2015 का विधेयक संख्यांक 26

वित्त विधेयक, 2015

(लोक सभा में पुर:स्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 2015

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन ।
4. धारा 6 का संशोधन ।
5. धारा 9 का संशोधन ।
6. नई धारा 9क का अंतःस्थापन ।
7. धारा 10 का संशोधन ।
8. धारा 11 का संशोधन ।
9. धारा 13 का संशोधन ।
10. धारा 32 का संशोधन ।
11. नई धारा 32कघ का अंतःस्थापन ।
12. धारा 35 का संशोधन ।
13. धारा 47 का संशोधन ।
14. धारा 49 का संशोधन ।
15. धारा 80ग का संशोधन ।
16. धारा 80गगग का संशोधन ।
17. धारा 80गगघ का संशोधन ।
18. धारा 80घ का संशोधन ।
19. धारा 80घघ का संशोधन ।
20. धारा 80घघख का संशोधन ।
21. धारा 80छ का संशोधन ।
22. धारा 80ञञकक का संशोधन ।
23. धारा 80प का संशोधन ।
24. धारा 92खक का संशोधन ।
25. धारा 95 का संशोधन ।
26. धारा 111क का संशोधन ।
27. धारा 115क का संशोधन ।
28. धारा 115कगक का संशोधन ।
29. धारा 115ञख का संशोधन ।
30. धारा 115प का संशोधन ।
31. धारा 115पक का संशोधन ।
32. अध्याय 12चख का अंतःस्थापन ।
33. धारा 132ख का संशोधन ।
34. धारा 139 का संशोधन ।
35. धारा 151 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
36. धारा 153ग का संशोधन ।

खंड

37. धारा 154 का संशोधन ।
38. धारा 156 का संशोधन ।
39. नई धारा 158कक का अंतःस्थापन ।
40. धारा 192 का संशोधन ।
41. नई धारा 192क का अंतःस्थापन ।
42. धारा 194क का संशोधन ।
43. धारा 194ग का संशोधन ।
44. धारा 194झ का संशोधन ।
45. धारा 194ठखक का संशोधन ।
46. नई धारा 194ठखख का अंतःस्थापन ।
47. धारा 194ठघ का संशोधन ।
48. धारा 195 का संशोधन ।
49. धारा 197क का संशोधन ।
50. धारा 200 का संशोधन ।
51. धारा 200क का संशोधन ।
52. धारा 203क का संशोधन ।
53. धारा 206ग का संशोधन ।
54. नई धारा 206गख का अंतःस्थापन ।
55. धारा 220 का संशोधन ।
56. धारा 234ख का संशोधन ।
57. धारा 245क का संशोधन ।
58. धारा 245घ का संशोधन ।
59. धारा 245ज का संशोधन ।
60. धारा 245जक का संशोधन ।
61. धारा 245ट का संशोधन ।
62. धारा 246क का संशोधन ।
63. धारा 253 का संशोधन ।
64. धारा 255 का संशोधन ।
65. धारा 263 का संशोधन ।
66. धारा 269धध के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
67. धारा 269न का संशोधन ।
68. धारा 271 का संशोधन ।
69. धारा 271घ का संशोधन ।
70. धारा 271ङ का संशोधन ।
71. नई धारा 271चकख का अंतःस्थापन ।
72. नई धारा 271छक का अंतःस्थापन ।
73. नई धारा 271झ का अंतःस्थापन ।
74. धारा 272क का संशोधन ।
75. धारा 273ख का संशोधन ।
76. नई धारा 285क का अंतःस्थापन ।
77. धारा 288 का संशोधन ।
78. धारा 295 का संशोधन ।

धन-कर

79. 1957 के अधिनियम संख्यांक 27 का संशोधन ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

80. धारा 28 का संशोधन ।
81. धारा 112 का संशोधन ।
82. धारा 114 का संशोधन ।
83. धारा 127क का संशोधन ।
84. धारा 127ख का संशोधन ।

खंड

85. धारा 127ग का संशोधन ।
86. धारा 127ङ का लोप ।
87. धारा 127ज का संशोधन ।
88. धारा 127ठ का संशोधन ।

सीमाशुल्क टैरिफ

89. पहली अनुसूची का संशोधन ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

90. धारा 3क का संशोधन ।
91. धारा 11क का संशोधन ।
92. धारा 11कग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
93. धारा 31 का संशोधन ।
94. धारा 32 का संशोधन ।
95. धारा 32ख का संशोधन ।
96. धारा 32ङ का संशोधन ।
97. धारा 32च का संशोधन ।
98. धारा 32ज का लोप ।
99. धारा 32ट का संशोधन ।
100. धारा 32ण का संशोधन ।
101. धारा 37 का संशोधन ।
102. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन ।
103. तीसरी अनुसूची का संशोधन ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

104. पहली अनुसूची का संशोधन ।

अध्याय 5

सेवा कर

105. धारा 65ख का संशोधन ।
106. धारा 66ख का संशोधन ।
107. धारा 66घ का संशोधन ।
108. धारा 66च का संशोधन ।
109. धारा 67 का संशोधन ।
110. धारा 73 का संशोधन ।
111. धारा 76 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
112. धारा 78 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
113. नई धारा 78ख का प्रतिस्थापन ।
114. धारा 80 का लोप ।
115. धारा 86 का संशोधन ।
116. धारा 94 का संशोधन ।

अध्याय 6

स्वच्छ भारत उपकर

117. स्वच्छ भारत उपकर ।

अध्याय 7

लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण का स्थापन

118. इस अध्याय का विस्तार और प्रारंभ।
119. परिभा-ााएं ।
120. लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण की स्थापना और निगमन ।

खंड

121. अभिकरण का उद्देश्य ।
122. अभिकरण का बोर्ड ।
123. बोर्ड की संरचना ।
124. ऋण, नकद और समाश्रित दायित्व प्रबंध ।
125. सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गमन ।
126. सरकारी प्रतिभूतियों पर संदाय ।
127. सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों का रजिस्टर ।
128. नामनिर्देशन ।
129. सरकारी प्रतिभूतियों का अंतरण ।
130. चिरभोग्यता और अंतरणीयता ।
131. सरकारी प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र ।
132. वित्तीय संव्यवहारों के लिए दायित्व ।
133. फीस ।
134. अनुदान और उधार ।
135. निधि ।
136. लेखे, लेखापरीक्षा और रिपोर्टें ।
137. केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।
138. नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।
139. अभिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।
140. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
141. करों से छूट ।
142. सूचना उपलब्ध कराने की रिजर्व बैंक की बाध्यता ।

अध्याय 8

वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि

143. विस्तार और प्रारंभ ।
144. परिभाषाएं ।
145. निधि की स्थापना ।
146. निधि के प्रशासन के लिए समिति का गठन ।
147. दावों का संदाय ।
148. जानकारी का प्रकाशन ।
149. केंद्रीय सरकार को राजगामित्व ।
150. खाता और रंपरीक्षा की रिर्पोटिंग ।
151. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
152. कतिपय दशाओं में छूट देने की शक्ति ।
153. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

154. प्रारंभ और 1934 के अधिनियम संख्यांक 2 का संशोधन ।
155. धारा 21 का संशोधन ।
156. धारा 45प का संशोधन ।
157. धारा 45ब का संशोधन ।

खंड

भाग 2

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का संशोधन

158. प्रारंभ और 1952 के अधिनियम 74 का संशोधन ।
159. धारा 29क और धारा 29ख का अंतःस्थापन ।

भाग 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

160. प्रारंभ और 1956 के अधिनियम संख्यांक 42 का संशोधन ।
161. धारा 18क का संशोधन ।
162. नई धारा 30क का अंतःस्थापन ।

भाग 4

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 का संशोधन

163. दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

भाग 5

वित्त अधिनियम, 1999 का संशोधन

164. दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

भाग 6

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का संशोधन

165. प्रारंभ और 1999 के अधिनियम संख्यांक 42 का संशोधन ।
166. धारा 6 का संशोधन ।
167. धारा 18 का संशोधन ।
168. नई धारा 37क का अंतःस्थापन ।
169. धारा 46 का संशोधन ।
170. धारा 47 का संशोधन ।

भाग 7

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

171. धारा 2 का संशोधन ।
172. धारा 5 का संशोधन ।
173. धारा 8 का संशोधन ।
174. धारा 20 का संशोधन ।
175. धारा 21 का संशोधन ।
176. धारा 60 का संशोधन ।
177. अनुसूची का संशोधन ।

भाग 8

वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का संशोधन

178. धारा 4 का संशोधन ।

भाग 9

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

179. धारा 95 का लोप ।
180. धारा 97 का संशोधन ।

खंड

181. धारा 98 का संशोधन ।
182. धारा 100 का संशोधन ।
183. धारा 101 का संशोधन ।

भाग 10

वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन

184. सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

भाग 11

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 का संशोधन

185. प्रारंभ और 2006 के अधिनियम संख्यांक 38 का संशोधन ।
186. नई धारा 35क का अंतःस्थापन ।

भाग 12

वित्त अधिनियम, 2007 का संशोधन

187. धारा 140 का लोप ।

भाग 13

वित्त अधिनियम, 2010 का संशोधन

188. दसवीं अनुसूची का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

चौथी अनुसूची ।

पांचवीं अनुसूची ।

लोक सभा में 28 फरवरी, 2015
को पुरःस्थापित रूप में

2015 का विधेयक संख्यांक 26

[दि फाइनेंस बिल, 2015 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2015

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2015 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 79 तक 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा । आय-कर ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) 1961 का 43 के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ, धारा 115ङ, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख,

धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ, धारा 115ङ, धारा 115ञख और धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या

सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो 'दो लाख पचास हजार रुपए' शब्दों के स्थान पर, 'तीन लाख रुपए' शब्द रखे गए हों:

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी है) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में, 1 अप्रैल, 2016 से— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (13क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2016 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(13क) "कारबार न्यास" से निम्नलिखित के रूप में रजिस्ट्रीकृत न्यास अभिप्रेत है,—

1992 का 15 (i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन कोई अवसंरचना विनिधान न्यास ; या

1992 का 15 (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन कोई भू-संपदा विनिधान न्यास ; और

जिसकी इकाइयों का पूर्वोक्त विनियमों के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है;';

(ख) खंड (15) में 1 अप्रैल, 2016 से,—

(i) "शिक्षा" शब्द के पश्चात् ", योग" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु सामान्य लोक उपयोगी किसी ऐसे अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप करना अंतर्वलित है भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की कोई भी प्रकृति हो, जब तक कि—

(i) ऐसा क्रियाकलाप किसी अन्य सामान्य लोक उपयोगी उद्देश्य के ऐसे उद्ग्रहण को वस्तुतः क्रियान्वित करने के अनुक्रम में हाथ में लिया गया है ; और

(ii) ऐसे क्रियाकलाप या क्रियाकलापों से सकल प्राप्तियां, पूर्ववर्ष के दौरान, उस न्यास या संस्था की, जो ऐसा क्रियाकलाप या ऐसे क्रियाकलाप हाथ में लेती है, उस पूर्ववर्ष की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।";

(ग) खंड (37क) के उपखंड (iii) के आरंभ में, "धारा 195" शब्द और अंकों के पहले, "धारा 194ठखक या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) के उपखंड (जग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जघ) किसी ऐसी पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट या यूनिटें हैं, की दशा में जो धारा 47 के खंड (xviii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वह कालावधि सम्मिलित होगी जिसके लिए पारस्परिक निधि की समेकन स्कीम में यूनिट या यूनिटें निर्धारिती द्वारा धारित की गई थी;"।

धारा 6 का संशोधन। **4.** आय-कर अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) खंड (1) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 2**— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि की दशा में, जो भारत का नागरिक है और भारत से विदेश को जाने वाले पोत के कर्मीदल का सदस्य है, ऐसी समुद्र यात्रा के संबंध में, भारत में रहने की कालावधि या कालावधियां ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन अवधारित की जाएंगी, जो विहित की जाएं ।";

(ii) खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2016 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(3) कोई कंपनी किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी कही जाएगी, यदि,—

(i) वह एक भारतीय कंपनी है ; या

(ii) उस वर्ष में किसी समय उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में रहा है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "प्रभावी प्रबंध का स्थान" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां किसी इकाई के कारबार के संपूर्ण संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंध संबंधी और वाणिज्यिक विनिश्चय, सारवान् रूप में किए जाते हैं ।'।

धारा 9 का संशोधन। **5.** आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(अ) खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 6**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट शेयर या हित का, भारत में अवस्थित आस्तियों से (चाहे मूर्त हों या अमूर्त) अपना मूल्य सारतः प्राप्त करना समझा जाएगा यदि विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी आस्तियों का मूल्य,—

(i) दस करोड़ रुपए की रकम से अधिक हो जाता है; और

(ii) यथास्थिति, कंपनी या सत्ता के स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों के मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है;

(ख) किसी आस्ति का मूल्य आस्ति के संबंध में दायित्वों को, यदि कोई हों, घटाए बिना ऐसी आस्ति का विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित उचित बाजार मूल्य होगा;

(ग) "विनिर्दिष्ट तारीख" से,—

(i) ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जिसको, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता की लेखा कालावधि किसी शेयर या हित के अंतरण की तारीख के पूर्व समाप्त होती है; या

(ii) अंतरण की तारीख अभिप्रेत है, यदि, अंतरण की तारीख को, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता का बही मूल्य उपखंड (i) में निर्दिष्ट तारीख को आस्तियों के बही मूल्य से पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो जाता है;

(घ) "लेखा कालावधि" से 31 मार्च को समाप्त होने वाले बारह मास की प्रत्येक अवधि अभिप्रेत है :

परंतु जहां स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट कोई कंपनी या सत्ता निम्नलिखित प्रयोजन के लिए नियमित रूप से 31 मार्च से भिन्न किसी अन्य दिवस को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अपनाती हैं,—

(i) उस राज्यक्षेत्र की कर विधियों के उपबंधों के अनुपालन में, जिसका वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है; या

(ii) शेयर या हित धारण करने वाले व्यक्तियों को रिपोर्ट करने के लिए,

अन्य दिवस को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता की लेखा कालावधि होगी :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता की प्रथम लेखा कालावधि इसके रजिस्ट्रीकरण या निगमन की तारीख से प्रारंभ होगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण या निगमन की तारीख के पश्चात्, यथास्थिति, 31 मार्च या किसी अन्य दिवस को समाप्त होगी, और बाद वाली लेखा कालावधि बारह मास की आनुक्रमिक अवधियां होंगी:

परंतु यह भी कि यदि कंपनी या अस्तित्व, उपरोक्तानुसार, लेखा कालावधि के समाप्त होने के पूर्व अस्तित्व में न रहे तो लेखा कालावधि, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता के अस्तित्व में न रहने के तुरंत पूर्व समाप्त हो जाएगी।

स्पष्टीकरण 7— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई आय, स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या सत्ता के किसी शेयर या उसमें किसी हित से भारत के बाहर अंतरण से किसी अनिवासी को प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी,—

(i) यदि भारत में स्थित आस्तियां प्रत्यक्षतः ऐसी कंपनी या सत्ता के स्वामित्वाधीन हैं और अंतरक (चाहे व्यष्टिक रूप से या अपने सहयुक्त उद्यमों के साथ), अंतरण की तारीख से पूर्व बारह मास में किसी भी समय, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या सत्ता के संबंध में, न तो प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार धारित करता है और न ही ऐसी कंपनी या सत्ता की कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी या कुल हित के पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित धारित करता है; या

(ii) यदि भारत में स्थित आस्तियां अप्रत्यक्षतः ऐसी कंपनी या अस्तित्व के स्वामित्व में हैं और अंतरक (चाहे व्यष्टिक रूप से या अपने सहयुक्त उद्यम के साथ) अंतरण की तारीख से पूर्व बारह मास में किसी भी समय, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या सत्ता के संबंध में न तो प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार धारित करता है और न ही ऐसी कंपनी या सत्ता में या उनके संबंध में कोई ऐसा अधिकार धारित करता है जो उसे ऐसी कंपनी या सत्ता में प्रबंध या नियंत्रण के अधिकार का हकदार बनाएगी जिसकी भारत में स्थित आस्तियां प्रत्यक्षतः उसके स्वामित्व में हों और न ही ऐसी कंपनी या सत्ता में मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित की ऐसी प्रतिशतता धारित करता हो जिसका परिणाम, यथास्थिति, उस कंपनी या सत्ता की कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी या कुल हित के पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित धारित करता है जो प्रत्यक्षतः भारत में स्थित आस्तियों की स्वामी हो ।

(ख) उसी दशा में, जहां स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन सभी आस्तियां भारत में स्थित न हों, इस खंड के अधीन ऐसी कंपनी या सत्ता के भारत के बाहर किसी शेयर या उसमें के हित के अंतरण से भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई अनिवासी अंतरक की आय का केवल ऐसा भाग आय होगी जो भारत में अवस्थित आस्तियों का होना युक्तियुक्त रूप से मानी जा सकती हो और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जो विहित की जाए ;

(ग) "सहयुक्त उद्यम" का वही अर्थ होगा जो धारा 92क में उसका है;';

(आ) उपधारा (1) के खंड (v) के उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) यह घोषित किया जाता है कि किसी अनिवासी की दशा में, जो बैंककारी कारबार में लगा कोई व्यक्ति है, ऐसे अनिवासी के भारत में के स्थायी स्थापन द्वारा ऐसे अनिवासी के भारत के बाहर के प्रधान कार्यालय या उसके किसी स्थायी स्थापन या किसी अन्य भाग को संदेय कोई ब्याज भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा और वह भारत में के स्थायी स्थापन को हुई मानी जा सकने वाली किसी आय के अतिरिक्त कर से प्रभार्य होगी और भारत में के स्थायी स्थापन को उस अनिवासी व्यक्ति से पृथक् और स्वतंत्र व्यक्ति समझा जाएगा

जिसका कि वह स्थायी स्थापन है और तदनुसार कुल आय की संगणना, कर के अवधारण और संग्रहण तथा वसूली से संबंधित अधिनियम के उपबंध लागू होंगे;

(ख) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खंड (iiiक) में उसका है ।'।

नई धारा 9क का अंतःस्थापन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् 1 अप्रैल, 2016 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

भारत में कारबार संबंध गठित न करने वाले क्रियाकलाप ।

'9क. (1) धारा 9 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए पात्र विनिधान निधि की दशा में, ऐसी निधि की ओर से कार्य करने वाले किसी पात्र निधि प्रबंधक द्वारा किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप से उक्त निधि का भारत में कारबार संबंध गठित नहीं होगा ।

(2) धारा 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी पात्र विनिधान निधि को, केवल इस कारण से कि उसकी ओर से निधि प्रबंधन क्रियाकलाप करने वाला पात्र निधि प्रबंधक भारत में स्थित है, उस धारा के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी नहीं कहा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र विनिधान निधि से ऐसी निधि अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत है, जो अपने सदस्यों के फायदे के लिए विनिधान करने हेतु इसे अपने सदस्यों से एकत्रित करती है और निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात्:—

(क) निधि भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है ;

(ख) निधि ऐसे किसी देश या किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की निवासी है जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार किया गया है ;

(ग) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निधि में संकलित भागीदारी या विनिधान समग्र निधि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है ;

(घ) निधि और इसके क्रियाकलाप, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में जहां वह स्थापित या निगमित या निवासी है, लागू विनिधानकर्ता संरक्षण विनियमों के अध्यधीन हैं,

(ङ) निधि में कम से कम पच्चीस सदस्य हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित व्यक्ति नहीं हैं ;

(च) संबद्ध व्यक्तियों सहित निधि का कोई भी सदस्य, निधि के दस प्रतिशत से अधिक होने पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भागीदारी हित नहीं रखेगा ;

(छ) निधि में संबद्ध सदस्यों के साथ दस या कम सदस्यों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संकलित भागीदारी हित पचास प्रतिशत से कम होगा ;

(ज) निधि में किसी सत्ता में के समग्र के बीस प्रतिशत से अधिक विनिधान नहीं करेगी ;

(झ) निधि द्वारा उसकी संगम सत्ता में कोई विनिधान नहीं किया जाएगा ;

(ञ) निधि के समग्र का मासिक औसत एक अरब रुपए से कम नहीं होगा :

परंतु यदि निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो निधि का समग्र, ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में एक अरब रुपए से कम नहीं होगा;

(ट) निधि, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में या भारत से कोई कारबार नहीं करेगी या उसे नियंत्रित या प्रबंधित नहीं करेगी ;

(ठ) निधि न तो किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगेगी जो भारत में कारबारी संबंध बनाए और न ही किसी व्यक्ति को, जिसका उसकी ओर से पात्र निधि प्रबंधक द्वारा किए गए क्रियाकलापों से भिन्न भारत में कारबार संबंध हो, अपनी ओर से कार्य कराएगा ।

(ड) पात्र निधि प्रबंधक को, उसके द्वारा किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलापों की बाबत निधि द्वारा संदत्त पारिश्रमिक उक्त क्रियाकलाप की असन्निकट कीमत से कम नहीं होगा ।

(4) किसी पात्र विनिधान निधि के संबंध में पात्र निधि प्रबंधक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निधि प्रबंध के क्रियाकलापों में लगा हुआ है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति, पात्र विनिधान निधि या निधि के संबद्ध व्यक्ति का कर्मचारी नहीं है ;

(ख) व्यक्ति विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार निधि प्रबंधक या विनिधान सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ग) व्यक्ति निधि प्रबंधक के रूप में कामकाज सामान्य अनुक्रम में कार्य कर रहा है ;

(घ) व्यक्ति अपने से संबद्ध व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निधि प्रबंधक के माध्यम से निधि द्वारा किए जा रहे संव्यवहारों से पात्र विनिधान को प्रोद्भूत या उद्भूत लाभों के बीस प्रतिशत से अधिक के लिए हकदार नहीं होगा।

(5) प्रत्येक पात्र विनिधान निधि, किसी वित्तीय वर्ष में अपने क्रियाकलापों के संबंध में, विहित प्ररूप में एक विवरण, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें इस धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी और ऐसी अन्य सुसंगत सूचना या दस्तावेज उपलब्ध कराएगा जो विहित की जाए ।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, पात्र विनिधान निधि की कुल आय से किसी ऐसी आय को अपवर्जित करने में लागू नहीं होगी, जिसे इस पर विचार किए बिना सम्मिलित किया जाता कि क्या पात्र निधि प्रबंधक के क्रियाकलाप ऐसी निधि का भारत में कारबारी संबंध हैं या नहीं ।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, पात्र निधि प्रबंधक की दशा में कुल आय या कुल आय के अवधारण के कार्यक्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगी ।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सहयोजित" से ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसमें विनिधान निधि का निदेशक या न्यासी या भागीदार या सदस्य या निधि प्रबंधक या ऐसी निधि के निधि प्रबंधक का निदेशक या न्यासी या भागीदार या सदस्य, व्यष्टिक रूप से या संयुक्त रूप से कोई शेयर या हित धारित करता है जो इसकी, यथास्थिति, शेयर पूंजी या हित के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है;

(ख) "समग्र" से पात्र विनिधान निधि द्वारा विनिधान के प्रयोजन के लिए किसी विशिष्ट तारीख को जुटाई गई निधि की कुल रकम अभिप्रेत है;

(ग) "संबद्ध व्यक्ति" का वही अर्थ है जो धारा 102 के खंड (4) में उसका है;

(घ) "सत्ता" से ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसमें कोई पात्र विनिधान निधि विनिधान करती है;

(ङ) "विनिर्दिष्ट विनियमों" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग प्रबंधक) विनियम, 1993 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विनिधान सलाहकार) विनियम, 2013 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
1992 का 15 अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए ऐसे अन्य विनियम अभिप्रेत हैं जो इस खंड के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन।

(I) खंड (11) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1873 का 5 "(11क) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के अधीन बनाया गया सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 के अनुसार खोले गए खाते से कोई संदाय ;";

(II) खंड (23ग) के उपखंड (iiiक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(iiiकक) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष ; या

(iiiककक) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि ; या";

(III) 1 अप्रैल, 2016 से,—

(क) खंड (23ङघ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(23ङङ) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा ऐसे विनियमों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी स्थापित ऐसी आंतरिक समझौता प्रत्याभूति निधि की कोई विनिर्दिष्ट आय :

परंतु जहां निधि के जमा खाते में पड़ी और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर प्रभारित न की गई किसी रकम को पूर्णतः या भागतः किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के साथ बांटा जाता है, वहां इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम को उस पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा जिसमें ऐसी रकम को इस प्रकार बांटा जाता है और तदनुसार वह आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
1992 का 15 अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टाक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ण) में है ;

1992 का 15 (ii) "विनियमों" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टाक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 अभिप्रेत है ।

(iii) "विनिर्दिष्ट आय" से,—

(क) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त अभिदाय द्वारा आय अभिप्रेत है ;

(ख) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा अधिरोपित और आंतरिक समझौता प्रत्याभूति निधि जमा शास्तियों के रूप में आय अभिप्रेत है ;

(ग) निधि द्वारा किए गए विनिधान से आय ;

(iv) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से,—

(क) कोई ऐसा मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम अभिप्रेत है जो आंतरिक समझौता प्रत्याभूति निधि स्थापित और अनुरक्षित करता है ; और

(ख) कोई ऐसा मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज अभिप्रेत है जो ऐसे मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में शेयरधारक है ;';

(ख) खंड (23चख) के स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की किसी आय के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की, धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक विनिधान निधि है, लागू नहीं होगी ।";

(ग) खंड (23चख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(23चखक) शीर्ष "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" के अधीन प्रभार्य आय से भिन्न किसी विनिधान निधि की कोई आय;

(23चखख) धारा 115पख में निर्दिष्ट किसी यूनिट धारक को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय, जो उस आय का वह अनुपात है, जो उसी प्रकृति का है जैसी "कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों" के शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की है ;'।

स्पष्टीकरण—खंड (23चखक) और खंड (23चखख) के प्रयोजनों के लिए "विनिधान निधि" पद का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में है ;';

(घ) खंड (23चग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(23चगक) किसी ऐसे कारबार न्यास, जो एक भू-संपदा विनिधान न्यास है, की ऐसे कारबार न्यास के प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन किसी भू-संपदा आस्ति को किराए या पट्टे या भाटक पर देने से प्राप्त कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भू-संपदा आस्ति" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (यञ) में है ;'; 1992 का 15

(ङ) खंड (23चघ) में, "खंड (23चग)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या खंड (23चगक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) खंड (38) में दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 11 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(I) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के उपखंड (ख) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति में "ऐसे विकल्प का प्रयोग धारा 139 की [उपधारा (1)] के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अनुदान समय की समाप्ति के पूर्व लिखित रूप में किया जाएगा, "(उस पूर्ववर्ष के दौरान" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "(ऐसे विकल्प का प्रयोग धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आय की विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा) उस पूर्ववर्ष के दौरान" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) उपधारा (2) में, खंड (क) और खंड (ख) और पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) ऐसा व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को विहित रीति से विहित प्ररूप में, उस प्रयोजन का कथन करते हुए जिसके लिए आय संचित की जा रही है या अलग रखी जा रही है और वह कालावधि जिसके लिए आय संचित की जानी है या अलग रखी जानी है जो किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक विवरण दे दे;

(ख) इस प्रकार संचित किया गया या अलग रखा गया धन उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों में विनिहित या निक्षिप्त कर दिया जाए;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पहले दे दिया जाए :

परंतु खंड (क) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की कालावधि की संगणना करने में वह कालावधि जिसके दौरान आय उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए आय इस प्रकार संचित की गई है या अलग रखी गई है किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश के कारण प्रयुक्त नहीं की जा सकी है, अपवर्जित कर दी जाएगी ।"।

धारा 13 का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(9) धारा 11 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट बात का इस प्रकार प्रभाव नहीं होगा जिससे किसी आय को उसके प्राप्तकर्ता व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय से अपवर्जित किया जा सके, यदि,—

(i) ऐसी आय की बाबत उक्त उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उसके पूर्व नहीं दी जाती है;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्ववर्ष की आय की विवरणी उक्त पूर्ववर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उसके पूर्व नहीं दी जाती है;"।

धारा 32 का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(क) खंड (ii) में,—

(अ) दूसरे परंतुक में, "खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कोई आस्ति" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के पश्चात् "या खंड (iiक) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट कोई आस्ति" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां, यथास्थिति, खंड (iiक) या खंड (iiक) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट कोई आस्ति, निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित की जाती है और उस पूर्ववर्ष में एक सौ अस्सी दिन से कम की अवधि के लिए कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है और ऐसी आस्ति की बाबत इस उपधारा के अधीन कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए खंड (iiक) के अधीन किसी आस्ति के लिए विहित प्रतिशतता के आधार पर परिकलित रकम के पचास प्रतिशत तक निर्बंधित की जाती है, तो खंड (iiक) के अधीन ऐसी आस्ति के लिए विहित प्रतिशतता के आधार पर परिकलित रकम के शेष पचास प्रतिशत की कटौती ऐसी आस्ति की बाबत ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष में इस उपधारा के अधीन अनुज्ञात की जाएगी :" ;

(ख) खंड (iiक) में,—

(अ) परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक के पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु जहां निर्धारिती किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के लिए कोई उपक्रम या उद्यम, आन्ध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य में, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी पिछड़े क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् संस्थापित करता है और उक्त पिछड़े क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2020 से पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए कोई नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) अर्जित और संस्थापित करता है, तो खंड (iiक) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पैंतीस प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हों :' ।

नई धारा 32कघ का अंतःस्थापन ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 32कग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय राज्यों में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान ।

'32कघ. (1) जहां कोई निर्धारिती, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए कोई उपक्रम या उद्यम, आंध्र प्रदेश राज्य में या तेलंगाना राज्य में केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी पिछड़े क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् स्थापना करता है और उक्त पिछड़े क्षेत्र में उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2020 के पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी नई आस्ति का अर्जन करता है और उसे प्रतिष्ठापित करता है, वहां उस पूर्ववर्ष से, जिसमें नई आस्ति प्रतिष्ठापित की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी नई आस्ति की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यदि निर्धारिती द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठापित किसी नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट कारबार के समामेलन या निर्विलियन या पुनःसंगठन के संबंध में के सिवाय, विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, तो ऐसी नई आस्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम को, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी नई आस्ति का विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, ऐसी नई आस्ति के अंतरण के मद्दे उद्भूत अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(3) जहां नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट कारबार के समामेलन या निर्विलियन या पुनःसंगठन के संबंध में विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, वहां उपधारा (2) के उपबंध, यथास्थिति, धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी या उत्तरवर्ती कंपनी को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट समामेलक कंपनी या निर्विलियत कंपनी या उत्तरवर्ती कंपनी को लागू होते हैं ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नई आस्ति" से कोई नया संयंत्र या मशीनरी (पोत या वायुयान से भिन्न) अभिप्रेत है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं—

(क) ऐसा कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा उसके प्रतिष्ठापित किए जाने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर किया गया था ;

(ख) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की आवास सुविधा भी है, प्रतिष्ठापित कोई संयंत्र या मशीनरी ;

(ग) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है ;

(घ) कोई यान ; या

(ङ) कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को किसी पूर्ववर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया जाता है ।'।

धारा 35 का संशोधन। **12.** आय-कर अधिनियम की धारा 35 में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(i) उपधारा (2कक) के परंतुक में, "ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए" शब्दों के पश्चात्, "प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2कख) में,—

(क) खंड (3) में, "सहयोग के लिए" शब्दों के पश्चात्, "उसके लेखे और संपरीक्षा के अनुरूप और रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से संबंधित ऐसी शर्तों को ऐसी रीति में पूरा करती हैं जो विहित की जाएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (4) में "जो विहित किया जाए" शब्दों के पश्चात्, "प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन। **13.** आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, 1 अप्रैल, 2016 से—

(क) खंड (viकक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viकख) समामेलन की स्कीम में किसी ऐसी पूंजी आस्ति का, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट किसी ऐसी विदेशी कंपनी का शेयर है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः समामेलक विदेशी कंपनी द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से अपने मूल्य सारवान् रूप से व्युत्पन्न करती है, समामेलित विदेशी कंपनी को कोई अंतरण, यदि—

(अ) समामेलक विदेशी कंपनी के शेयरधारकों में से कम से कम पच्चीस प्रतिशत शेयरधारक समामेलित विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं ; और

(आ) ऐसे अंतरण से उस देश में, जिसमें समामेलक कंपनी निगमित है, पूंजी अभिलाभों पर कोई कर नहीं लगता है ;" ;

(ख) खंड (viगख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viगग) किसी निर्विलयन को ऐसी पूंजी आस्ति का, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट किसी ऐसी विदेशी कंपनी का शेयर है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निर्विलीन विदेशी कंपनी द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से अपने मूल्य सारवान् रूप से व्युत्पन्न करती है, निर्विलीन परिणामी विदेशी कंपनी को कोई अंतरण, यदि—

(क) निर्विलीन विदेशी कंपनी के तीन-चौथाई से अन्यून मूल्य के शेयरधारण करने वाले शेयरधारक परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं ; और

(ख) ऐसे अंतरण से उस देश में, जिसमें निर्विलीन विदेशी कंपनी निगमित है, पूंजी अभिलाभों पर कोई कर नहीं लगता है :

परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से धारा 394 के उपबंध इस खंड में निर्दिष्ट निर्विलयनों की दशा में लागू नहीं होंगे ;"; 1956 का 1

(ग) खंड (xvii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xviii) किसी पूंजी के यूनिट धारक द्वारा किसी पारस्परिक निधि की समेकन स्कीम में उसके द्वारा धारित किसी पूंजी आस्ति का, जो कोई यूनिट है या हैं, उसको आबंटन के प्रतिफलस्वरूप पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम में किया गया कोई अंतरण :

परंतु समेकन साधारण शेयरोन्मुख निधि की दो या अधिक स्कीमों या साधारण शेयरोन्मुख निधि से भिन्न निधि की दो या अधिक स्कीमों का है।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजन के लिए,—

1992 का 15

(क) "समेकन स्कीम" से किसी पारस्परिक निधि की ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अनुसार पारस्परिक निधि की स्कीम के समेकन की प्रक्रिया के अधीन विलय होता है;

(ख) "समेकित स्कीम " से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जिसके साथ समेकन स्कीम का विलय होता है या जो ऐसे विलयन के परिणामस्वरूप बनाई जाती है ;

(ग) "साधारण शेयरोन्मुख निधि" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 10 के खंड (38) में है ;

(घ) "पारस्परिक निधि" से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि अभिप्रेत है ।" ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में,— धारा 49 का संशोधन।

(I) उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ङ) में, "या खंड (viकक) या खंड (viगक) या खंड (viगख)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या खंड (viकक) या खंड (viकख) या खंड (viख) या खंड (viगक) या खंड (viगख) या खंड (viगग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(II) उपधारा (2कग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(2कघ) जहां पूंजी आस्ति, जो पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम की यूनिट या यूनिटें हैं, धारा 47 के खंड (xviii) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को, पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम की यूनिट या यूनिटों के उसे अर्जित होने की लागत समझा जाएगा ।" ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग में,- धारा 80ग का संशोधन।

(I) उपधारा (2) के खंड (viii) में, "इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदान के रूप में है" शब्दों के स्थान पर "उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में अभिदान के रूप में है" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) उपधारा (4) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) उस उपधारा के खंड (viii) के प्रयोजनों के लिए, यदि स्कीम ऐसा विनिर्दिष्ट करे, तो किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि की कोई बालिका या ऐसी कोई बालिका, जिसका ऐसा व्यक्ति विधिक संरक्षक है ;"।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग की उपधारा (1) में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2016 से रखे जाएंगे । धारा 80गगग का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ में, 1 अप्रैल, 2016 से,— धारा 80गगघ का संशोधन।

(क) उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार लोप की गई उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती को उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती के अतिरिक्त पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त है, वहां उसे पूरी रकम की कटौती, जो पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, उसकी कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु ऐसी रकम के संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिस पर कटौती का दावा किया गया है और उसे उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात किया गया हो ;" ;

(ग) उपधारा (3) में,—

(I) "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "उपधारा (1) या उपधारा (1ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) "जिसके संबंध में उस उपधारा या" शब्दों के स्थान पर, "जिनके संबंध में उन उपधाराओं या" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) में "उपधारा (1)" शब्दों कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) या उपधारा (1ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 80घ का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ में 1 अप्रैल, 2016 से,—

(अ) उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थपित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) निर्धारिती या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर उपगत चिकित्सा व्यय के मद्दे संदत्त संपूर्ण रकम, जो कुल मिलाकर तीस हजार रुपए से अधिक नहीं है ; और

(घ) निर्धारिती के माता-पिता में से किसी के स्वास्थ्य पर उपगत चिकित्सा व्यय के मद्दे संदत्त संपूर्ण रकम, जो कुल मिलाकर तीस हजार रुपए से अधिक नहीं है :

परंतु खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट रकम किसी अति वरिष्ठ नागरिक के संबंध में संदत्त की गई हो और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए कोई रकम संदत्त न की गई हो :

परंतु यह और कि खंड (क) और खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि कुल मिलाकर या खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि कुल मिलाकर तीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। " ;

(आ) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां निर्धारिती हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात् :—

(क) उस हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम, जो कुल मिलाकर पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर उपगत चिकित्सा व्यय के मद्दे संदत्त संपूर्ण रकम, जो कुल मिलाकर तीस हजार रुपए से अधिक नहीं है :

परंतु खंड (ख) में निर्दिष्ट रकम किसी अति वरिष्ठ नागरिक के संबंध में संदत्त की जाती है और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने पर कोई रकम संदत्त नहीं की गई है :

परंतु यह और कि खंड (क) और खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट राशियों का योग तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।" ;

(इ) उपधारा (4) में,—

(i) "या उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "या उपधारा (3) का खंड (क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "वरिष्ठ नागरिक" शब्दों के पश्चात्, "या अति वरिष्ठ नागरिक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) "पन्द्रह हजार" शब्द के स्थान पर, "पच्चीस हजार" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) "बीस हजार" शब्द के स्थान पर, "तीस हजार" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(ई) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में का ऐसा व्यष्टि निवासी अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है ;

(ii) "अति वरिष्ठ नागरिक" से भारत में का ऐसा व्यष्टि निवासी अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है :' ।

धारा 80घघ का संशोधन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2016 से, रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान,—

(क) कोई व्यय किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किया है ; या

(ख) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, भरण-पोषण के लिए इस निमित्त बनाई गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कोई रकम संदत्त या जमा की है,

वहां निर्धारिती को इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ष की बाबत उसकी सकल कुल आय से पचहत्तर हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु जहां ऐसा आश्रित गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति है वहां इस उपधारा के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "पचहत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख पच्चीस हजार रुपए" रखे गए हों ।"।

धारा 80घघख का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(i) पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती, किसी तंत्रिका विज्ञानी, किसी अर्बुद्ध विज्ञानी, किसी मूत्र रोग विज्ञानी, किसी रुधिर विज्ञानी, किसी प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ से, जो विहित किया जाए, ऐसे चिकित्सा उपचार की चिकित्सा पर्ची अभिप्राप्त नहीं करता ।";

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि जहां कोई रकम निर्धारिती या उसके आश्रित या निर्धारिती के हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य की बाबत संदत्त की गई है और जो अति वरिष्ठ नागरिक है, वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "चालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "अस्सी हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों ;';

(iii) स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (ii) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(v) "अति वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि निवासी अभिप्रेत है, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है ।'।

धारा 80छ का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में,—

(अ) उपधारा (1) के खंड (i) में,—

(I) "उपखंड (iiiजञ) या" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "उपखंड (iiiजट) या उपखंड (iiiजठ) या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) "उपखंड (iiiजठ) या" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "उपखंड (iiiजड) या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपधारा (2) के खंड (क) में, —

(I) उपखंड (iiiजञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(iiiजट) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष, ऐसी राशि जो निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में खर्च की गई है, राशि से भिन्न है;

2013 का 18

(iiiजठ) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि, जहां ऐसा निर्धारिती निवासी है और ऐसी राशि, जो निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में खर्च की गई है, राशि से भिन्न है ;";

2013 का 18

(II) निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiiजड) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7क के अधीन गठित राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि ; या "।

1985 का 61

धारा 80जञकक का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 80जञकक में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(क) उपधारा (1) में, "जो भारतीय कंपनी है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) यदि कारखाना निर्धारिती द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति से अंतरण के रूप में या किसी कारबार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अर्जित किया जाता है ।";

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (i) में, "एक सौ कर्मकारों" शब्दों के स्थान पर, "पचास कर्मकारों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 80प का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80प की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2016 से, रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) किसी ऐसे व्यष्टि की, जो निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्त व्यक्ति प्रमाणित है, कुल आय की संगणना करने में पचहत्तर हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु जहां ऐसा व्यष्टि गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति है वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पचहत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख पच्चीस हजार रुपए" रखे गए हों ।"।

धारा 92खक का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 92खक में, अंत में आने वाले "पांच करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस करोड़ रुपए" शब्द, 1 अप्रैल, 2016 से रखे जाएंगे ।

धारा 95 का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 95 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) और उसके स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यह अध्याय, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की बाबत लागू होगा ।" ।

धारा 111क का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का 1 अप्रैल, 2016 से लोप किया जाएगा।

धारा 115क का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115क में, उपधारा (1) के खंड (ख) में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(क) उपखंड (अ) में, "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (आ) में, "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115कगक का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, अंत में आने वाले, "अनिवासी विनिधानकर्ताओं को साधारण शेयरों के पुरोधरण या पुरोधरण कंपनी के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय बंधपत्रों के मद्दे पुरोधृत किए गए हैं" शब्दों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2016 से, "विनिधानकर्ताओं को,—

(i) पुरोधरण कंपनी के, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, साधारण शेयरों के पुरोधरण ; या

(ii) पुरोधरण कंपनी के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय बंधपत्रों के मद्दे जारी की गई है" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 115जख का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण 1 में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(क) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चक) किसी ऐसी आय, जो व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय की आय में निर्धारिती का ऐसा हिस्सा हो, जिस पर धारा 86 के उपबंधों के अनुसार कोई आय-कर संदेय नहीं है, से संबंधित व्यय की रकम या रकमें ;

(चख) प्रतिभूतियों में के संव्यवहारों से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय (संव्यवहारों से उद्भूत ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों से भिन्न, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभार्य नहीं है), जो ऐसे किसी निर्धारिती को, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता है, प्रोद्भूत या उद्भूत हुई है, जिसने ऐसी प्रतिभूतियों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिधान किया है, से संबंधित व्यय की रकम या रकमें ;"; 1992 का 15

(ख) खंड (iiख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(iiग) आय की ऐसी रकम, जो व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय की आय में निर्धारिती का हिस्सा है, जिस पर धारा 86 के उपबंधों के अनुसार कोई आय-कर संदेय नहीं है, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि लेखा में जमा की जाती है ; या

(iiघ) प्रतिभूतियों में संव्यवहार से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय की रकम (ऐसे संव्यवहारों से उद्भूत ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों से भिन्न, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभार्य नहीं है), जो ऐसे किसी निर्धारिती को, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता है, प्रोद्भूत या उद्भूत हुई है, जिसने ऐसी प्रतिभूतियों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिधान किया है, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि लेखा में जमा की जाती है ;"; 1992 का 15

(ग) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 4**—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है ;

(ख) "प्रतिभूति" पद का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ।'। 1956 का 42

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115प की उपधारा (5) के पश्चात्, स्पष्टीकरण 1 के पहले निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 115प का संशोधन ।

"(6) इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की ऐसी किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि में, जो धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई विनिधान निधि है, किए गए विनिधानों से किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत हुई या उसके द्वारा प्राप्त हुई हो ।"।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (3) में, "खंड (23चग)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या खंड (23चगक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 115पक का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12चक के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय, 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— अध्याय 12चख का अंतःस्थापन ।

'अध्याय 12चख

विनिधान निधियों की आय और ऐसी निधियों से प्राप्त आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

115पख. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी विनिधान निधि का यूनिट धारक है, विनिधान निधि में किए गए विनिधानों से प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय उसी रीति में आय-कर के लिए प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त ऐसी आय होती यदि ऐसे विनिधान उसके द्वारा सीधे विनिधान निधि में किए गए हों । विनिधान निधि और इसके यूनिट धारकों की आय पर कर ।

(2) जहां किसी पूर्ववर्ष में विनिधान निधि की कुल आय की संगणना करने का शुद्ध परिणाम [धारा 10 के खंड (23चखक) के उपबंधों को प्रभावी किए बिना] आय के किसी शीर्ष के अधीन हानि है और ऐसी हानि उक्त पूर्ववर्ष की का आय का किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय से पूर्णतया मुजरा नहीं किया जा सकेगा या पूर्णतया मुजरा नहीं किया जाता है वहां—

(i) ऐसी हानि को अग्रनीत किया गया अनुज्ञात किया जाएगा और यह अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार विनिधान निधि द्वारा मुजरा किया जाएगा; और

(ii) ऐसी हानि की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनदेखी की जाएगी ।

(3) विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के पास उसी प्रकृति की और उसी अनुपात में आय समझी जाएगी मानो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए पूर्ववर्ष के दौरान विनिधान निधि द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो ।

(4) विनिधान निधि की कुल आय पर—

(i) सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट दर या दरों पर, जहां ऐसी निधि कोई कंपनी या कोई फर्म है; या

(ii) किसी अन्य मामले में, अधिकतम सीमांत दर पर,

कर प्रभारित किया जाएगा ।

(5) अध्याय 12घ या अध्याय 12ङ के उपबंध इस अध्याय के अधीन किसी विनिधान निधि द्वारा संदत्त आय को लागू नहीं होंगे ।

(6) विनिधान निधि को पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय, यदि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या उसके पास जमा नहीं की जाती है, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त व्यक्ति के खाते में पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को उसी अनुपात में, जिसमें ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करने का तब हकदार होता यदि उसका पूर्ववर्ष में संदाय किया गया होता, जमा की गई समझी जाएगी ।

(7) किसी विनिधान निधि की ओर से आय को जमा करने या उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और विनिधान निधि, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उस व्यक्ति को, जो ऐसी आय के संबंध में कर के लिए दायी है और विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित रूप में और ऐसी रीति में सत्यापित एक विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त या जमा की गई आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, होंगे ।

स्पष्टीकरण 1—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिधान निधि" से ऐसे किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में, जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 आनुकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है

और जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित किया जाता है, अभिप्रेत है; 1992 का 15

(ख) "न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित कोई न्यास अभिप्रेत है; 1882 का 2

(ग) "यूनिट" से विनिधान निधि या विनिधान निधि की किसी स्कीम में विनिधानकर्ता का फायदाप्रद हित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शेयर या भागीदारी हित भी आएंगे ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसी कोई आय, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में, उक्त पूर्ववर्ष में उसको प्रोद्भूत या उद्भूत होने के कारण किसी पूर्ववर्ष में सम्मिलित की गई है, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी आय का विनिधान निधि द्वारा उसे वस्तुतः संदाय किया गया है, उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी । '।

धारा 132ख का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख की उपधारा (1) के खंड (i) में, "व्यतिक्रम करने वाला समझा जाता है" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किए गए किसी आवेदन से उद्भूत दायित्व की रकम" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 139 का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(I) उपधारा (4ग) के खंड (ङ) में,—

(क) "अन्य शैक्षिक संस्था या" शब्दों के पश्चात्, "उपखंड (iiiकग) या" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "न्यास या संस्था या" शब्दों के पश्चात्, "उपखंड (iiiकग) या" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) उपधारा (4ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4च) धारा 115पख में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिधान निधि, जिससे इस धारा के किसी अन्य उपबंध के अधीन आय या हानि की विवरणी देना अपेक्षित नहीं है, प्रत्येक पूर्ववर्ष में अपनी आय या हानि की बाबत विवरणी देगी और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे मानो वह उपधारा (1) के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो ।"।

धारा 151 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, 1 जून, 2015 से निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सूचना जारी करने की मंजूरी ।

"151. (1) सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्षों की अविधि की समाप्ति के पश्चात् किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त का, निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना जारी किए जाने के लिए वह उपयुक्त मामला है ।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले से भिन्न मामले में, किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का है, धारा 148 के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक संयुक्त आयुक्त का, ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना जारी किए जाने के लिए वह उपयुक्त मामला है ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या संयुक्त आयुक्त का, धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने के पश्चात्, स्वयं ऐसी सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है ।"।

धारा 153ग का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (1) में, "धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी," शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले और "अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज ; या

(ख) अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या उसमें अंतर्विष्ट कोई सूचना,

धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं या उससे तात्पर्यित हैं या उसके संबंध में है, वहां अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर 1 जून, 2015 से रखे जाएंगे।

धारा 154 का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 154 में, 1 जून, 2015 से,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा ।";

(ii) उपधारा (2) के खंड (ख) में, "या कटौतीकर्ता द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या संग्रहणकर्ता द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) में, "या कटौतीकर्ता" शब्दों के पश्चात्, जहां-कहीं वे आते हैं, "या संग्रहणकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) उपधारा (5) में, "या कटौतीकर्ता" शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां कहीं वे आते हैं, "या संग्रहणकर्ता" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ;

(v) उपधारा (6) में, "या कटौतीकर्ता" शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां-कहीं वे आते हैं, "या संग्रहणकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(vi) उपधारा (8) में, "या कटौतीकर्ता" शब्दों के पश्चात् "या संग्रहणकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 156 का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 156 के परंतुक में, "धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन किसी राशि का अवधारण निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) या धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन किसी राशि का अवधारण निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा या संग्रहणकर्ता द्वारा" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर 1 जून, 2015 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 158कक का अंतःस्थापन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 158क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्रक्रिया, जब राजस्व द्वारा किसी अपील में, विधि का समरूप प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो ।

"158कक. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां आयुक्त या प्रधान आयुक्त की यह राय है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारिती के मामले में उद्‌भूत होने वाला विधि का कोई प्रश्न (ऐसे मामले को इसमें सुसंगत मामले के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) दूसरे निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में उद्‌भूत होने वाले ऐसे विधि के प्रश्न के समरूप हो जो धारा 261 के अधीन किसी अपील में या निर्धारिती के पक्ष में उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध (ऐसे मामले को इसमें अन्य मामले के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन किसी विशेष इजाजत याचिका में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, वह धारा 253 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन निर्धारण अधिकारी को अपील अधिकरण में अपील करने के लिए देने के बजाय, आयुक्त (अपील) का आदेश प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर विहित प्ररूप में निर्धारण अधिकारी को अपील अधिकरण में आवेदन करने का निदेश दे सकेगा कि सुसंगत मामले में उद्‌भूत विधि के प्रश्न पर अपील, अन्य मामले में विधि का प्रश्न अंतिम रूप से विनिश्चित होने पर फाइल की जाए ।

(2) आयुक्त या प्रधान आयुक्त, निर्धारण अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का निदेश देगा यदि निर्धारिती से इस आाय की स्वीकृति प्राप्त होती है कि अन्य मामले में विधि प्रश्न सुसंगत मामले में उस उद्‌भूत के समरूप है; और यदि ऐसी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो आयुक्त या प्रधान आयुक्त धारा 253 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार आगे कार्यवाही करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयुक्त (अपील) का आदेश अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय के अनुरूप न हो,वहां आयुक्त या प्रधान आयुक्त, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने के लिए निर्धारण अधिकारी को निदेश दे सकेगा और इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अध्याय 10 के भाग ख के सभी अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से जब उच्चतम न्यायालय का अन्य मामले में आदेश आयुक्त या प्रधान आयुक्त को संसूचित किया जाए, साठ दिनों के भीतर फाइल की जाएगी ।"।

धारा 192 का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (2ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2घ) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जिम्मेदार व्यक्ति, संदाय करने के लिए निर्धारिती की आय का प्राक्कलन करने या उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती से विहित दावों का (जिसके अंतर्गत हानि को मुजरा करने का दावा भी है) साक्ष्य या सबूत या विशिष्टियां अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में अभिप्राप्त करेगा, जो विहित किए जाएं ।"।

नई धारा 192क का अंतःस्थापन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 192 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय।

"192क. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन विरचित कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के न्यासी या स्कीम के अधीन कर्मचारियों को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति उन मामलों में, जहां किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष को चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 के उपबंधों के कारण उसकी कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य है, वहां शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय जिस समय किसी कर्मचारी को संदाय किया जाता है, तब उस पर आय-कर की दस प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी :

1952 का 19

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां पाने वाले को किए गए, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदाय की संकलित रकम तीस हजार रुपए से कम है :

परंतु यह और कि ऐसी किसी रकम को, जिस पर इस धारा के अधीन कर कटौती योग्य है, प्राप्त करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति, अपना स्थायी खाता संख्यांक ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को देगा, जिसे देने में असफल रहने पर, अधिकतम सीमांत दर पर कर की कटौती की जाएगी ।"।

धारा 194क का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) में, 1 जून, 2015 से,—

(क) खंड (i) में, परंतुक के पश्चात्,निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट रकम की संगणना, उस स्थिति में, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी द्वारा जमा की गई या संदत्त की गई आय के प्रति निर्देश से की जाएगी, जहां ऐसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी ने आंतरिक बैंककारी समाधानों को अंगीकार किया है; ";

(ख) खंड (v) में "किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उसके किसी सदस्य के" शब्दों के स्थान पर, "किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा (किसी सहकारी बैंक से भिन्न) उसके किसी सदस्य के या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में है ';

1949 का 10

(घ) खंड (ix) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ix) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम पर ब्याज के रूप में जमा की गई आय को लागू नहीं होंगे;

(ixक) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम पर ब्याज के रूप में जमा की गई या संदत्त ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई या संदत्त ऐसी रकमों का योग पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है;";

(ङ) स्पष्टीकरण 1 में खंड (xi) के नीचे "जिसके अंतर्गत आवर्ती निक्षेप नहीं हैं" शब्दों के स्थान पर, "जिसके अंतर्गत आवर्ती निक्षेप भी हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ग का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (6) में, "माल वाहन चलाने" से आरंभ होने वाले तथा " कटौती नहीं की जाएगी" शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "माल वाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के दौरान, पूर्ववर्ष के दौरान ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई या संदत्त किए जाने के लिए संभावित ऐसी राशि से कोई कटौती तब तक नहीं की जाएगी जहां ऐसे ठेकेदार के स्वामित्वाधीन पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय दस या कम माल वाहन नहीं हैं और उसने इस आशय का घोषणापत्र स्थायी लेखा संख्यांक सहित दे दिया है" शब्द 1 जून, 2015 से रखे जाएंगे ।

धारा 194झ का संशोधन।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां किराए के रूप में आय, किसी ऐसे कारबार न्यास को, जो धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट किसी भू-संपदा आस्ति की बाबत ऐसे कारबार न्यास द्वारा प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन कोई भू-संपदा विनिधान न्यास है, प्रत्ययित या संदत्त है, इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी । "।

धारा 194ठखक का संशोधन।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखक में, 1 जून, 2015 से,—

(क) उपधारा (1) में, "खंड (23चग)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या खंड (23चगक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "जो कंपनी न होते हुए अनिवासी है" शब्दों के स्थान पर, "जो अनिवासी (कंपनी न होते हुए) है" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो ऐसा अनिवासी है, (जो कंपनी) या कोई विदेशी कंपनी (नहीं है), संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर प्रवृत्त दर से आय-कर की कटौती करेगा ।";

नई धारा 194ठखख का अंतःस्थापन ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय ।

'194ठखख. जहां कोई आय, आय के उस अनुपात से भिन्न, जो उसी प्रकृति की है जो धारा 10 के खंड (23चखख) में निर्दिष्ट है, किसी यूनिट धारक को धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या कोई चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग द्वारा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करने के समय उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) में उसका है;

(ख) जहां यथा पूर्वोक्त किसी आय को ऐसे किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में जमा किया जाता है, वहां ऐसे जमा किए जाने को पाने वाले के खाते में उस आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे । '।

धारा 194ठघ का संशोधन।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ की उपधारा (2) में, "1 जून, 2015" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 जुलाई, 2017" अंक और शब्द, 1 जून, 2015 से रखे जाएंगे ।

धारा 195 का संशोधन।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (6) के स्थान पर, 1 जून, 2015 से निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि, चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या न हो, का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाए ।"।

धारा 197क का संशोधन।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 197क में, 1 जून, 2015 से,—

(i) उपधारा (1क) में, "धारा 193 या धारा 194क" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-कहीं वे आते हैं, क्रमशः "धारा 192क या धारा 193 या धारा 194क या धारा 194घक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1ग) में, "धारा 193 या धारा 194क" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-कहीं वे आते हैं, क्रमशः "धारा 192क या धारा 193 या धारा 194क या धारा 194घक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 200 का संशोधन।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार कटौती की गई राशि या धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कर, कोई चालान प्रस्तुत किए बिना, केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चेक आहरण और वितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो ऐसी राशि या कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित, ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक विवरण परिदत्त करेगा या कराएगा ।"।

धारा 200क का संशोधन।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 200क की उपधारा (1) के खंड (ग) से खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2015 से रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ग) फीस, यदि कोई हों, की संगणना धारा 234ङ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी;

(घ) कटौतीकर्ता को संदेय राशि या उसको शोध्य प्रतिदाय की रकम का अवधारण खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन संगणित रकम का धारा 200 या धारा 201 या धारा 234ङ के अधीन संदत्त किसी रकम और कर या ब्याज या फीस के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम से समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा;

(ङ) संसूचना, कटौतीकर्ता द्वारा खंड (घ) के अधीन संदेय रूप में अवधारित राशि या उसे शोध्य प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तैयार की जाएगी या बनाई जाएगी और उसे भेजी जाएगी; और

(च) खंड (घ) के अधीन अवधारण के अनुसरण में कटौतीकर्ता को शोध्य प्रतिदाय की रकम कटौतीकर्ता को मंजूर की जाएगी।" ।

धारा 203क का संशोधन।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 203क की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ।"।

धारा 206ग का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3क) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां उपधारा (1) या उपधारा (1ग) या उपधारा (1घ) के अधीन संगृहीत रकम का चालान पेश किए बिना, केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो ऐसा कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित रूप में एक विवरण, उसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, परिदत्त करेगा या कराएगा ।

(3ख) उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति उक्त परंतुक के अधीन विहित प्राधिकारी को किसी भूल को सुधारने के लिए या उक्त परंतुक के अधीन परिदत्त विवरण में दी गई सूचना में कुछ जोड़ने, उससे लोप करने या उसे अद्यतन बनाने के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित रूप में एक संशोधन विवरण भी परिदत्त कर सकेगा ।"।

नई धारा 206गख का अंतःस्थापन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 206गक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

स्रोत पर संगृहीत कर के विवरणों का तैयार किया जाना।

"206गख. (1) जहां स्रोत पर कर संग्रहण का कोई विवरण या कोई संशोधन विवरण किसी राशि का संग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे संग्रहणकर्ता कहा गया है) बनाया गया है, वहां ऐसा विवरण निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) इस अध्याय के अधीन संग्रहणीय राशियों की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरण में कोई गणित संबंधी गलती ;

(ii) विवरण में किसी सूचना से प्रकट कोई अशुद्ध दावा ;

(ख) ब्याज, यदि कोई हो, की संगणना विवरण में यथा संगणित संग्रहणीय राशियों के आधार पर की जाएगी ;

(ग) फीस, यदि कोई हो, की संगणना धारा 234ङ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ;

(घ) संग्रहणकर्ता द्वारा संदेय राशि या उसे शोध्य प्रतिदाय की रकम का अवधारण खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन संगणित रकम का धारा 206ग या धारा 234ङ के अधीन संदत्त किसी रकम और कर या ब्याज या फीस के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम में से समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा ;

(ङ) संसूचना संग्रहणकर्ता द्वारा खंड (घ) के अधीन संदेय रूप में अवधारित राशि या उसे शोध्य प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तैयार की जाएगी या बनाई जाएगी और उसे भेजी जाएगी ; और

(च) खंड (घ) के अधीन अवधारण के अनुसरण में संग्रहणकर्ता को शोध्य प्रतिदाय की रकम संग्रहणकर्ता को मंजूर की जाएगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई संसूचना उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें विवरण फाइल किया जाता है, समाप्ति से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विवरण में किसी सूचना से प्रकट अशुद्ध दावे" से विवरण में, किसी प्रविष्टि के आधार पर,—

(i) ऐसी किसी मद, जो उसकी किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है या उस विवरण में की किसी अन्य मद का; या

(ii) स्रोत पर कर के संग्रहण की दर के संबंध में, जहां ऐसी दर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है,

कोई दावा अभिप्रेत होगा ।

(2) बोर्ड, संग्रहणकर्ता द्वारा संदेय कर का या उसे शोध्य प्रतिदाय का यथाशीघ्र अवधारण करने के लिए, जैसा उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, स्रोत पर संगृहीत कर के केंद्रीयकृत रूप में विवरण तैयार करने संबंधी स्कीम बना सकेगा ।"।

धारा 220 का संशोधन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (2ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा,1 जून, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2ग) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई संसूचना में विनिर्दिष्ट कर की रकम पर धारा 206ग की उपधारा (7) के अधीन ब्याज, किसी अवधि के लिए, प्रभारित किया जाता है, वहां उसी अवधि के लिए उसी रकम पर उपधारा (2) के अधीन कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 234ख का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख में, 1 जून, 2015 से,—

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क)(क) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया हो, वहां निर्धारिती उस उपधारा में निर्दिष्ट आय-कर की अतिरिक्त रकम पर ऐसे निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली और ऐसा आवेदन करने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा;

(ख) जहां, किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के किसी आदेश के परिणामस्वरूप, धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र में प्रकट की गई कुल आय की रकम में वृद्धि हो जाती है, वहां निर्धारिती, ऐसे निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली और ऐसे आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए उस रकम पर जितनी से ऐसे आदेश के आधार पर अवधारित कुल आय पर कर, धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पत्र में प्रकट किए गए कुल आय पर कर से अधिक हो जाता है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।"।

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां धारा 147 या धारा 153क के अधीन पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के आदेश के परिणामस्वरूप, ऐसी रकम जिस पर उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम कर के संदाय में कमी की बाबत ब्याज संदेय था, बढ़ाई जानी है, वहां निर्धारिती, ठीक अगले ऐसे वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाली और धारा 147 या धारा 153क के अधीन पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में समाविष्ट उस रकम पर, जितनी से ऐसे पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के आधार पर अवधारित कुल आय पर कर, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट नियमित निर्धारण के आधार पर, कर से अधिक हो जाता है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज संदाय करने का दायी होगा ।"।

(iii) उपधारा (4) में, "अथवा धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के किसी आदेश" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 245क का संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 245क के खंड (ख) के स्पष्टीकरण में, 1 जून, 2015 से,—

(अ) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ हुई समझी जाएगी,—

(क) उस तारीख से जिसको किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन सूचना जारी की जाती है;

(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी सूचना के जारी किए जाने की तारीख से, किसी अन्य निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों में जिनके लिए धारा 148 के अधीन सूचना जारी नहीं की गई है किन्तु ऐसी सूचना ऐसी तारीख पर जारी की जा सकती थी यदि अन्य निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी, धारा 139 के अधीन या धारा 142 के अधीन किसी सूचना के उत्तर में प्रस्तुत की गई होती;";

(आ) खंड (iv) में, आने वाले "निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ की गई और उस तारीख को समाप्त की गई समझी जाएगी, जिसको निर्धारण किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से, जिसको धारा 139 या धारा

142 के अधीन सूचना के उत्तर में आय की विवरणी उस निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई और उस तारीख को, जिसको निर्धारण किया जाता है या जहां कोई निर्धारण न किया गया हो, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति पर, समाप्त की गई समझी जाएगी" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 245घ का संशोधन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (6ख) के स्थान पर, 1 जून, 2015 से, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6ख) समझौता आयोग, अभिलेख में प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का,—

(क) उस मास के अंत से, जिसमें आदेश पारित किया गया था, छह मास की अवधि के भीतर किसी समय; या

(ख) उस मास के अंत से, जिसमें, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आवेदक द्वारा सुधार के लिए आवेदन किया गया है छह मास की अवधि के भीतर किसी समय,

संशोधन कर सकेगा :

परंतु प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आवेदक द्वारा, उस मास के अंत से, जिसमें समझौता आयोग द्वारा उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, छह मास की समाप्ति के पश्चात् सुधार के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन तब तक ऐसा कोई संशोधन, जिसका आवेदक के दायित्व को उपांतरित करने का प्रभाव है, नहीं किया जाएगा जब तक समझौता आयोग, आवेदक और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना नहीं दे देता है और आवेदक और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुनवाई का अवसर अनुज्ञात नहीं कर देता है ।

धारा 245ज का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 245ज की उपधारा (1) में, "ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे" शब्दों के पश्चात्, 1 जून, 2015 से, "लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 245जक का संशोधन ।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 245जक की उपधारा (1 में), 1 जून, 2015 से,—

(अ) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन के संबंध में, धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौते के निबंधन का उपबंध न करते हुए एक आदेश पारित किया गया है; या ";

(आ) स्पष्टीकरण में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) खंड (iiiक) में निर्दिष्ट किसी आवेदन के संबंध में, उस दिन, जब धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन आदेश समझौते के निबंधनों का उपबंध न करते हुए पारित किया गया था ; "।

धारा 245ट का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 245ट में, 1 जून, 2015 से—

(अ) उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति में, "वहां वह किसी अन्य मामले के संबंध में" शब्दों के स्थान पर, "वहां वह या ऐसे व्यक्ति से संबंधित कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबंधित व्यक्ति कहा गया है) किसी अन्य मामले के संबंध में" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(आ) उपधारा (2) में, "वहां ऐसा व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "या कोई अन्य संबंधित व्यक्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के संबंध में, "संबंधित व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) जहां ऐसा व्यक्ति कोई व्यष्टि है, वहां ऐसी कोई कंपनी, जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी समय पचास प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार धारण करता है या कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी समय पचास प्रतिशत से अधिक लाभों का हकदार है या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसमें ऐसा व्यक्ति कर्ता है;

(ii) जहां ऐसा व्यक्ति कोई कंपनी है, वहां ऐसा कोई व्यष्टि, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने की तारीख के पूर्व किसी समय ऐसी कंपनी में पचास प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार धारण किए हुए था;

(iii) जहां ऐसा व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि-निकाय है, वहां ऐसा कोई व्यष्टि, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने की तारीख के पूर्व किसी समय उस फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय में पचास प्रतिशत से अधिक लाभों का हकदार था;

(iv) जहां ऐसा व्यक्ति कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, उस हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कर्ता ।'।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में, 1 जून, 2015 से,— धारा 246क का संशोधन ।

(क) आरंभिक भाग में, "या कोई कटौतीकर्ता" शब्दों के पश्चात्, "या कोई संग्रहणकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, "धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन कोई संसूचना, जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 200क की उपधारा (1) या धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन कोई संसूचना, जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 253 का संशोधन ।

"(च) विहित प्राधिकारी द्वारा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन पारित कोई आदेश ;"।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (3) में, "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह लाख रुपए" शब्द 1 जून, 2015 से रखे जाएंगे । धारा 255 का संशोधन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 263 का संशोधन ।

"**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को गलत समझा जाएगा जहां तक वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त की राय में,—

(क) आदेश ऐसी जांच या सत्यापन के बिना पारित किया गया है, जो किया जाना चाहिए था ;

(ख) आदेश, ऐसी किसी राहत को, दावे की जांच किए बिना, अनुज्ञात करते हुए पारित किया गया है ;

(ग) आदेश, बोर्ड द्वारा धारा 119 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, निदेश या अनुदेश के अनुसार नहीं किया गया है ;

(घ) आदेश, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए ऐसे किसी विनिश्चय, जो निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, के अनुसार पारित नहीं किया गया है ।" ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 269धध के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2015 रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 269धध के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"269धध. कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से (जिसे इसमें निक्षेपकर्ता कहा गया है) कोई उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट धनराशि, पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके ही लेगा या प्रतिगृहीत करेगा अन्यथा नहीं, यदि— कुछ उधार, निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशियां लेने या प्रतिग्रहण करने का ढंग ।

(क) ऐसे उधार या निक्षेप की रकम या विनिर्दिष्ट राशि अथवा ऐसे उधार, निक्षेप और विनिर्दिष्ट राशि की कुल रकम; या

(ख) ऐसे उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि लेने या उसका प्रतिग्रहण करने की तारीख को ऐसे व्यक्ति द्वारा उस निक्षेपकर्ता से पहले लिया गया या प्रतिगृहीत उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि (चाहे प्रतिसंदाय शोध्य हो गया हो या नहीं) की रकम या कुल रकम, जो असंदत्त है; या

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट रकम या कुल रकम खंड (क) में निर्दिष्ट रकम या कुल रकम के साथ मिलकर,

बीस हजार रुपए या उससे अधिक है :

परंतु इस धारा के उपबंध ऐसे किसी उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि को लागू नहीं होंगे जो निम्नलिखित से ली अथवा प्रतिगृहीत की जाती है या ऐसे किसी उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि को लागू नहीं होंगे जो निम्नलिखित द्वारा ली जाती है या प्रतिगृहीत की जाती है, अर्थात् :—

(क) सरकार;

(ख) कोई बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक;

(ग) केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम;

2013 का 18 (घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी;

(ङ) ऐसी अन्य संस्था, संगम या निकाय अथवा ऐसे वर्ग की संस्थाएं, संगम या निकाय जिन्हें केंद्रीय सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध किसी उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि को लागू नहीं होंगे जहां ऐसा व्यक्ति जिससे उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि ली जाती है या प्रतिगृहीत की जाती है और ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट धनराशि ली जाती है या प्रतिगृहीत की जाती है, दोनों ही की कृषि आय है और उनमें से किसी की भी इस अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "बैंककारी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध लागू होते हैं और इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है ; 1949 का 10

(ii) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में उसका है ; 1949 का 10

(iii) "उधार या निक्षेप" से धन का उधार या निक्षेप अभिप्रेत है ;

(iv) "विनिर्दिष्ट राशि" से किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के संबंध में, चाहे ऐसा अंतरण होता है अथवा नहीं, अग्रिम के रूप में या अन्यथा, प्राप्य कोई धनराशि अभिप्रेत है ।"।

धारा 269न का संशोधन ।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 269न में, 1 जून, 2015 से,—

(अ) आरंभिक भाग में,—

(क) "उनको दिए गए किसी उधार या किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय" शब्दों के पश्चात् "या उसके द्वारा प्राप्त किसी विनिर्दिष्ट रकम का संदाय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "उनको दिए गए किसी उधार या निक्षेप की रकम" शब्दों के पश्चात् "या संदत्त विनिर्दिष्ट अग्रिम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) खंड (क) में "उधार या निक्षेप" शब्दों के पश्चात् "या विनिर्दिष्ट अग्रिम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) खंड (ख) में, "या" शब्द अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ई) खंड (ख) के पश्चात् और दीर्घ पंक्ति के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) ऐसे विनिर्दिष्ट अग्रिम पर संदेय ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्ततः ऐसे संदाय की तारीख तक ब्याज, यदि कोई है, के साथ, प्राप्त विनिर्दिष्ट अग्रिम की कुल रकम;";

(उ) दूसरे परंतुक में "किसी उधार या निक्षेप" शब्दों के पश्चात् "या विनिर्दिष्ट अग्रिम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ऊ) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(iv) "विनिर्दिष्ट अग्रिम" से किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के संबंध में, चाहे अंतरण हुआ है या नहीं, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अग्रिम की प्रकृति में की कोई धनराशि अभिप्रेत है ।

धारा 271 का संशोधन ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 271 में, 1 अप्रैल, 2016 से, उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण 4--इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) अपवंचन के लिए प्रयास की जाने वाली कर की रकम निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित की जाएगी—

(क-ख) + (ग-घ)

जिसमें

क = धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न (जिन्हें इसमें साधारण उपबंध कहा गया है) उपबधों के अनुसार निर्धारित कुल आय पर कर की रकम ;

ख = कर की रकम, जो तब प्रभार्य होती यदि साधारण उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय में से आय की ऐसी रकम को घटा दिया जाता, जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं ;

ग = धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय पर कर की रकम ;

घ = कर की रकम, जो तब प्रभार्य होती यदि धारा 115ञख या धारा 115ञग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय में से आय की ऐसी रकम को घटा दिया जाता, जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं :

परंतु जहां आय की ऐसी रकम, जिसकी बाबत किसी विवाद्यक पर विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, पर धारा 115ञख या धारा 115ञग और साधारण उपबंधों, दोनों के अधीन विचार कर लिया गया है, तो ऐसी रकम को, मद घ के अधीन रकम का अवधारण करते समय निर्धारित कुल आय में से नहीं घटाया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे मामले में जहां धारा 115ञख और धारा 115ञग में अंतर्विष्ट उपबंध लागू नहीं होते हैं, वहां सूत्र में मद (ग-घ) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा;

(ख) किसी ऐसे मामले में, जिसमें आय की उस रकम, जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, का प्रभाव विवरणी में घोषित हानि को कम करना या उस हानि को आय में संपरिवर्तित करना है, अपवंचन का प्रयास की जाने वाली कर की रकम का अवधारण खंड (क) में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार इस उपांतरण के साथ किया जाएगा कि उस सूत्र में मद (क-ख) के लिए अवधारित की जाने वाली रकम, कर की वह रकम होगी जो उस आय पर प्रभार्य होती, जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, यदि ऐसी आय कुल आय होती ।

(ग) किसी ऐसे मामले में, जिसको स्पष्टीकरण 3 लागू होता है, अपवंचन का प्रयास की जाने वाली कर की रकम, धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने से पहले संदत्त अग्रिम कर, स्रोत पर कटौती किया गया कर, स्रोत पर संगृहीत किया गया कर और स्वःनिर्धारण कर घटाने के पश्चात् निर्धारित कुल आय पर कर होगा ।'।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 271घ की उपधारा (1) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "उधार या निक्षेप" शब्दों के पश्चात् "या विनिर्दिष्ट राशि" शब्द 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 271घ का संशोधन।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ की उपधारा (1) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "उधार या निक्षेप" शब्दों के पश्चात् "या विनिर्दिष्ट राशि" शब्द 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 271ङ का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 271चकक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271चकख का अंतःस्थापन ।

"271चकख. यदि कोई पात्र विनिधान निधि, जिससे धारा 9क की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित कोई विवरण या कोई सूचना या दस्तावेज देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे विवरण या सूचना या दस्तावेज उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर देने में असफल रहती है तो उक्त उपधारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी निधि, शास्ति के रूप में, पांच लाख रुपए की राशि का संदाय करेगी ।"। किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा विवरण या सूचना या दस्तावेज देने में असफल रहने के लिए शास्ति ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 271छ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271छक का अंतःस्थापन ।

"271छक. यदि कोई भारतीय समुत्थान, जिससे धारा 285क के अधीन कोई सूचना या दस्तावेज देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसा आय-कर प्राधिकारी जो उक्त धारा के अधीन विहित किया जाए, जो यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा भारतीय समुत्थान,— धारा 285क के अधीन सूचना या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति ।

(i) ऐसे संव्यवहार के, जिसके संबंध में ऐसी असफलता हुई है, मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की राशि का, यदि ऐसे संव्यवहार का प्रभाव भारतीय समुत्थान के संबंध में प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतिरत करने का है ;

(ii) किसी अन्य मामले में पांच लाख रुपए की राशि का,

शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।"।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 271ज के पश्चात्, 1 जून, 2015 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271झ का अंतःस्थापन ।

"271झ. यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में एक लाख रुपए की राशि का संदाय करेगा ।"। धारा 195 के अधीन जानकारी देने में असफलता या गलत सूचना देने के लिए शास्ति।

धारा 272क का संशोधन।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (2) में, 1 जून, 2015 से,—

(क) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) कोई विवरण ऐसे समय के भीतर जो धारा 200 की उपधारा (2क) या धारा 206ग की उपधारा (3क) में विहित किया जाए, परिदत्त करने या कराने में,";

(ख) पहले परंतुक में, "धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन विवरणों" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 200 की उपधारा (2क) या उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक या उपधारा (3क) के अधीन विवरणों" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 273ख का संशोधन।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में,—

(I) "धारा 271चख, धारा 271छ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 271चकख, धारा 271चख, धारा 271छ, धारा 271छक" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2016 से रखे जाएंगे ;

(II) "धारा 271ज" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, "धारा 271झ" शब्द, अंक और अक्षर, 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 285क का अंतःस्थापन ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 285 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में भारतीय समुत्थान द्वारा सूचना या दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना।

"285क. जहां भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में कोई शेयर या हित, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राप्त किया जाए, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में यथा विनिर्दिष्ट भारत में अवस्थित आस्तियों से सारतः इसका मूल्य और, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या इकाई भारत में किसी समुत्थान में या के माध्यम से ऐसी आस्तियां प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारित करती है, वहां ऐसा भारतीय समुत्थान, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना या दस्तावेज विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित अवधि के भीतर, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।"।

धारा 288 का संशोधन ।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 288 में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**— इस धारा में, "लेखापाल" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जिसके पास उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का एक विधिमान्य प्रमाणपत्र हो किंतु इसमें उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती के प्रतिनिधि के प्रयोजनों के सिवाय) सम्मिलित नहीं है,— 1949 का 38

(क) निर्धारिती की दशा में, जो कोई कंपनी हो, व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उक्त कंपनी में संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है; या 2013 का 18

(ख) किसी अन्य मामले में,—

(i) स्वयं निर्धारिती या ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो कोई फर्म, व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब हो, फर्म का कोई भागीदार, संगम या कुटुंब का सदस्य;

(ii) निर्धारिती की दशा में, जो कोई न्यास या संस्था हो, धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (गग) में निर्दिष्ट व्यक्ति;

(iii) उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में, व्यक्ति जो धारा 140 के उपबंधों के अनुसार धारा 139 के अधीन विवरणियां सत्यापित करने में सक्षम हो;

(iv) उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी का कोई नातेदार;

(v) निर्धारिती का कोई अधिकारी या कर्मचारी;

(vi) कोई व्यष्टि, जो निर्धारिती का भागीदार हो या उसके नियोजन में हो या उसका कोई अधिकारी या कर्मचारी;

(vii) कोई व्यष्टि या उसका नातेदार या भागीदार जो—

(I) निर्धारिती के संबंध में कोई प्रतिभूति या हित धारित कर रहा हो :

परंतु यह कि नातेदार, निर्धारिती में उस अंकित मूल्य की प्रतिभूति या हित धारित कर सकेगा जो एक लाख रुपए से अधिक न हो;

(II) निर्धारिती का ऋणी हो :

परंतु यह कि नातेदार निर्धारिती का ऐसी रकम के लिए ऋणी हो सकेगा जो एक लाख रुपए से अधिक न हो;

(III) किसी अन्य व्यक्ति के लिए निर्धारिती को ऋणिता के संबंध में गारंटी देता है या प्रतिभूति उपलब्ध कराता है :

परंतु यह कि नातेदार किसी ऋणिता के संबंध में निर्धारिती को ऐसी रकम के लिए गारंटी दे सकेगा या प्रतिभूति उपलब्ध करा सकेगा जो एक लाख रुपए से अधिक न हो ।

(viii) कोई व्यक्ति, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निर्धारिती के साथ ऐसी प्रकृति का कारबारी संबंध रखता हो, जो विहित किया जाए;

(ix) कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें कपट अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो ;";

(ii) उपधारा (4) में, "(ग) जो दिवालिया हो गया है" कोष्ठकों, अक्षर और शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "अर्ह नहीं होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) जो दिवालिया हो गया है; या

(घ) जिसे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें कपट अंतर्वलित है,

उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, सभी समयों के लिए, खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, ऐसे समय के लिए जो प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, आदेश द्वारा अवधारित करे, खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में किसी अवधि के लिए जिसके दौरान दिवालापन जारी रहे, और खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में दोषसिद्धि की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अर्ह होगा ।";

(iii) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**— इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यष्टि के संबंध में "नातेदार" से अभिप्रेत है-—

(क) व्यष्टि की पत्नी या पति;

(ख) व्यष्टि का भाई या बहिन;

(ग) व्यष्टि की पत्नी या पति या का भाई या बहिन;

(घ) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज;

(ङ) व्यष्टि की पत्नी या पति का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज;

(च) उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (घ) या उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की पत्नी या पति;

(छ) व्यष्टि या व्यष्टि के पति या पत्नी के भाई अथवा बहिन का कोई पारंपरिक वंशज ।'।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 295 का संशोधन।

"(जक) अधिनियम के अधीन संदेय आय-कर के विरुद्ध, भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में धारा 90 या धारा 90क या धारा 91 के अधीन संदत्त आय-कर में, यथस्थिति, राहत देने या कटौती करने की प्रक्रिया;"।

धन-कर

79. धन-कर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में, "1 अप्रैल, 1993 से" अंकों और शब्दों के पश्चात्, "किंतु 1 अप्रैल, 2016 के पूर्व" शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । 1957 के अधिनियम संख्यांक 27 का संशोधन ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 28 का संशोधन।

80. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 28 में,— 1962 का 52

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सूचना की तामील की गई है और उचित अधिकारी की यह राय है कि यथास्थिति, धारा 28कक के अधीन शुल्क की रकम उस पर संदेय ब्याज सहित या सूचना में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज की रकम, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर पूर्णतया संदत्त कर दी गई है, वहां कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी और ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनको उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उक्त सूचना की तामील की गई है, कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।";

(ख) उपधारा (5) में, "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पंद्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 3—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूलवश प्रतिदाय के किसी मामले के संबंध में, जहां हेतुक दर्शित करने संबंधी सूचना, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन जारी की गई है किन्तु उपधारा (8) के अधीन शुल्क का अवधारण करने संबंधी आदेश उस तारीख के पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पारित नहीं किया गया है, कार्यवाहियां धारा 135, धारा 135क और धारा 140 के उपबंधों पर, जैसे लागू हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि, यथास्थिति, उपधारा (2) के परंतुक या उपधारा (5) के अधीन शुल्क, ब्याज और शास्ति को उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन के भीतर पूर्णतया संदत्त कर दिया जाता है ।"।

धारा 112 का संशोधन।

81. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112 के खंड (ख) में, उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) प्रतिषिद्ध माल से भिन्न ऐसे शुल्क्य माल की दशा में, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो धारा 114क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे शुल्क के, जिसका अपवंचन किए जाने का प्रयास किया गया है, दस प्रतिशत से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी, इनमें से जो भी अधिक हो :

परंतु जहां धारा 28 की उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित ऐसा शुल्क और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसे शुल्क का अवधारण करने वाले उचित अधिकारी के आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत होगी ;" ।

धारा 114 का संशोधन ।

82. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114 के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) प्रतिषिद्ध माल से भिन्न शुल्क्य माल की दशा में, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो धारा 114क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे शुल्क के, जिसका अपवंचन करने का प्रयास किया गया है, दस प्रतिशत से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी, इनमें से जो भी अधिक हो :

परंतु जहां धारा 28 की उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित ऐसा शुल्क और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसे शुल्क का अवधारण करने वाले उचित अधिकारी के आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत होगी ;" ।

धारा 127क का संशोधन ।

83. सीमाशुल्क की धारा 127क के खंड (ख) के परंतुक में "यथास्थिति, किसी अपील या पुनरीक्षण में" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 127ख का संशोधन ।

84. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख की उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा ।

धारा 127ग का संशोधन ।

85. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग की उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 127ङ का लोप ।

86. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ङ का लोप किया जाएगा ।

87. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ज की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 127ज का संशोधन ।

88. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ की उपधारा (1) में,—

धारा 127ठ का संशोधन ।

2007 का 22

(क) खंड (i) में, "धारा 127ग की उपधारा (7) जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 102 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, या धारा 127ग की उपधारा (5) के अधीन पारित" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

2007 का 22

(ख) खंड (ii) में "उक्त उपधारा (7), जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 122 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, या धारा 127ग की उपधारा (5)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

89. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में, पहली अनुसूची का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

90. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क के स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 3क का संशोधन ।

"**स्पष्टीकरण 3**—उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "कारक" शब्द के अंतर्गत "कारकों" भी है।

91. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में,—

धारा 11क का संशोधन ।

(i) उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (7क), उपधारा (8) और उपधारा (11) के खंड (ख) में "या उपधारा (5)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का, जहां कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण 1 में,—

(अ) खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "नियत तारीख को" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) उपखंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—"

(vi) उस दशा में जहां केवल ब्याज की वसूली की जानी है, शुल्क के संदाय की ऐसी तारीख जिससे ऐसे ब्याज संबंधित हैं ।";

(इ) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(iv) उपधारा (15) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(16) इस धारा के उपबंध उस मामले को लागू नहीं होंगे जिनमें ऐसे शुल्क के दायित्व का, जिसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है, स्वतः निर्धारण किया गया है और निर्धारिती द्वारा फाइल की गई कालिक विवरणियों में उसके द्वारा संदेय शुल्क के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे मामलों में शुल्क के असंदाय या कम संदाय की वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ।" ।

(v) स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां उस तारीख से पहले जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, कोई कारण बताओ सूचना जारी नहीं की गई है, वहां कोई उद्ग्रहण न किया जाना, कम उद्ग्रहण किया जाना, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय किया जाना, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 11क के उपबंधों द्वारा शासित होगा ।";

92. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 11कग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

'11कग. (1) अनुद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण या असंदाय या कम संदाय या भूल से प्रतिदाय के लिए शास्ति की रकम निम्नानुसार होगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में शुल्क के कम उद्ग्रहण या अनुद्ग्रहण के लिए शास्ति।

(क) जहां कोई उत्पाद-शुल्क कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी

उपबंध के उल्लंघन के कारण से भिन्न किसी कारण से उद्‌गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्‌गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अवधारित शुल्क के दस प्रतिशत से अनधिक शास्ति या पांच हजार रुपए का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करने के लिए भी दायी होगा :

परंतु जहां धारा 11कक के अधीन संदेय ऐसे शुल्क और ब्याज का या तो हेतुक दर्शित करने वाली सूचना जारी किए जाने के पूर्व या हेतुक दर्शित करने वाली सूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर संदाय कर दिया जाता है, वहां शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा, जिसने शुल्क का संदाय किया है, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त शुल्क और ब्याज के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ;

(ख) जहां धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित किसी शुल्क और खंड (क) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में, धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज का उस केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के, जिसने ऐसे शुल्क को अवधारित किया है, आदेश की संसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर संदाय किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, अधिरोपित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी कम की गई शास्ति भी इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त कर दी गई है ;

(ग) जहां कोई उत्पाद-शुल्क कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण उद्‌गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्‌गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अवधारित शुल्क के बराबर शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगा :

परंतु जहां ऐसे मामलों के संबंध में, जहां ऐसे संव्यवहारों से संबंधित ब्यौरे 8 अप्रैल, 2011 से आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अवधि के लिए विनिर्दिष्ट अभिलेख में लेखबद्ध किए जाते हैं, वहां शास्ति इस प्रकार अवधारित शुल्क का पचास प्रतिशत होगी ;

(घ) जहां ऐसे किसी शुल्क का, जिसकी खंड (ग) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत जारी की गई हेतुक दर्शित करने वाली किसी सूचना में मांग की गई है और धारा 11कक के अधीन संदेय ब्याज का हेतुक दर्शित करने वाली सूचना की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर दिया जाता है, वहां ऐसी शास्ति की रकम, जिसका वह व्यक्ति संदाय करने का दायी है, मांग किए गए शुल्क का पन्द्रह प्रतिशत इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी कम की गई शास्ति का भी इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय कर दिया गया है और उक्त शुल्क, ब्याज और शास्ति की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ;

(ङ) जहां धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित किसी शुल्क और खंड (क) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में, धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज का उस केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के, जिसने ऐसे शुल्क को अवधारित किया है, आदेश की संसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर संदाय किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, अधिरोपित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी कम की गई शास्ति का भी इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय कर दिया गया है ।

(2) यदि अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अवधारित उत्पाद-शुल्क की रकम को उपांतरित करता है तो उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संदेय शास्ति और धारा 11कक के अधीन संदेय ब्याज की रकम तदनुसार उपांतरित हो जाएगी और इस प्रकार उपांतरित उत्पाद-शुल्क की रकम को ध्यान में रखकर वह व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अंतरित शास्ति और ब्याज की ऐसी रकम का संदाय करने के लिए भी दायी होगा ।

(3) जहां शुल्क या शास्ति की रकम अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय द्वारा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन अवधारित रकम से और अधिक बढ़ाई जाती है तो उस समय की, जिसके भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन ब्याज और कम की गई शास्ति संदेय है, संगणना ऐसी वर्धित रकम के संबंध में अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय के आदेश की तारीख से की जाएगी ।"।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि—

(i) अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय का ऐसा मामला, जहां उस तारीख से, जिसको वित्त अधिनियम, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व कोई हेतुक दर्शित करने संबंधी सूचना जारी नहीं की गई है, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित धारा 11कग के उपबंधों द्वारा शासित होगा;

(ii) अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय का ऐसा मामला, जहां हेतुक दर्शित करने संबंधी सूचना जारी की गई है किन्तु धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन शुल्क का अवधारण करने संबंधी आदेश उस तारीख से, जिसको वित्त अधिनियम, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व पारित नहीं किया गया है, उपधारा (1) के खंड (क) के परंतुक के अधीन शुल्क और ब्याज का संदाय करने पर या उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन शुल्क, ब्याज और शास्ति का संदाय करने पर कार्यवाहियां बंद किए जाने का पात्र होगा, परंतु यह तब जबकि, यथास्थिति, शुल्क, ब्याज और शास्ति का संदाय उस तारीख से, जिसको वित्त अधिनियम, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है ;

(iii) अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय का ऐसा मामला, जहां धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन शुल्क का अवधारण करने संबंधी आदेश उस तारीख के, जिसको वित्त अधिनियम, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पश्चात् पारित किया जाता है, वहां उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ङ) के अधीन कम की गई शास्ति के संदाय के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए पात्र होगा, कि शुल्क, ब्याज और शास्ति का संदाय आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण 2—"विनिर्दिष्ट अभिलेख" से उस व्यक्ति द्वारा, जिससे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार शुल्क प्रभार्य है, बनाए रखे गए अभिलेख अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत अभिलेख भी हैं ।'।

धारा 31 का संशोधन ।

93. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के खंड (ग) के परंतुक में "यथास्थिति, किसी अपील या पुनरीक्षण में" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 32 का संशोधन ।

94. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 32ख का संशोधन ।

95. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ख में, "यथास्थिति, उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से ऐसा कोई एक उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "सदस्य" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 32ङ का संशोधन ।

96. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (1) का लोप किया जाएगा ।

धारा 32च का संशोधन ।

97. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (6) में "31 मई, 2007 को या उससे पूर्व फाइल किए गए आवेदन की बाबत 29 फरवरी, 2008 के पश्चात् और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 32ज का लोप ।

98. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ज का लोप किया जाएगा ।

धारा 32ट का संशोधन ।

99. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ट की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 32ण का संशोधन ।

100. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण की उपधारा (1) में,—

2007 का 22

(क) खंड (i) में, "धारा 32च की उपधारा (7) जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 122 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, या उपधारा (5) के अधीन पारित" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

2007 का 22

(ख) "उक्त उपधारा (7), जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 122 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, या धारा 32च" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

धारा 37 का संशोधन ।

101. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) और उपधारा (5) में, "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन ।

102. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, और विनिर्दिष्ट तारीख तक के लिए, संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) केंद्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर प्राप्त थी ।

(3) ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो उस दशा में इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

तीसरी अनुसूची का संशोधन ।

103. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में, तीसरी अनुसूची का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची का संशोधन ।

1986 का 5

104. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में, पहली अनुसूची का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

अध्याय 5
सेवा कर

धारा 65ख का संशोधन।

1994 का 32

105. वित्त अधिनियम, 1994 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1994 का अधिनियम कहा गया है), अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 65ख में,—

(क) खंड (9) का उस तारीख से लोप किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) खंड (23) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1982 का 40

'(23क) "चिट फंड का फोरमैन" का वही अर्थ होगा जो चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 2 के खंड (ञ) में "फोरमैन" पद का है ;';

(ग) खंड (24) का उस तारीख से लोप किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(घ) खंड (26) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(26क) "सरकार" से केंद्रीय सरकार और उसके विभाग, कोई राज्य सरकार और उसके विभाग तथा संघ राज्यक्षेत्र और उसके विभाग अभिप्रेत हैं, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसी इकाई, चाहे वह किसी कानून द्वारा या अन्यथा सृजित की गई हो, सम्मिलित नहीं है, जिसके लेखे संविधान के अनुच्छेद 150 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखे जाने अपेक्षित नहीं है ;';

(ङ) खंड (31) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1998 का 17

'(31क) "लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता" से किसी राज्य द्वारा लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार उस राज्य द्वारा किसी भी रीति में आयोजित किसी भी प्रकार की लाटरी के प्रकार का संवर्धन, विपणन, विक्रय या सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए उसके वितरक या विक्रय अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;';

(च) खंड (40) में, "मानव उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर" शब्दों का उस तारीख से लोप किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(छ) खंड (44) में, स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "धन या अनुयोज्य दावे का संव्यवहार" पद के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आएंगे,—

(i) धन के प्रयोग या एक स्वरूप करेंसी या अंकित मूल्य से किसी दूसरे स्वरूप, करेंसी या अंकित मूल्य में नकद या किसी अन्य ढंग से उसके संपरिवर्तन से संबंधित कोई ऐसा क्रियाकलाप, जिसके लिए कोई पृथक् प्रतिफल प्रभारित किया जाता है ;

(ii) धन या अनुयोज्य दावे में के किसी संव्यवहार के संबंध में या उसे सुकर बनाने के लिए प्रतिफलार्थ किया गया कोई क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत ऐसा क्रियाकलाप भी है, जो,—

(क) लाटरी के संवर्धन, विपणन, आयोजन, विक्रय के संबंध में या किसी प्रकार की लाटरी के आयोजन को सुकर बनाने की किसी अन्य रीति में लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता द्वारा किसी रीति में प्रतिफलार्थ किया गया क्रियाकलाप ;

(ख) किसी रीति में किसी चिट का संचालन या आयोजन करने के लिए चिटफंड के किसी फोरमैन द्वारा किसी रीति में प्रतिफलार्थ किया गया क्रियाकलाप,

भी है ।";

(ज) खंड (49) का उस तारीख से लोप किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

106. 1994 के अधिनियम की धारा 66ख में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, "बारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "चौदह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे । धारा 66ख का संशोधन।

107. 1994 के अधिनियम की धारा 66घ में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,— धारा 66घ का संशोधन।

(1) खंड (क) के उपखंड (iv) में, "सहायक सेवाएं" शब्दों के स्थान पर, "कोई सेवा" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) किसी संक्रिया के, जो माल के निर्माण या उत्पादन की कोटि में आती है, मानव उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर को छोड़कर, क्रियान्वयन के रूप में सेवाएं ;";

(3) खंड (झ) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजन के लिए, "दांव, द्यूत या लाटरी" पद के अंतर्गत दांव, द्यूत या लाटरी के संबंध में किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं होगा, जिसके लिए किसी रीति में प्रतिफल प्राप्त किया जाता है ;';

(4) खंड (ञ) का लोप किया जाएगा ।

108. 1994 के अधिनियम की धारा 66च की उपधारा (1) में, निम्नलिखित दृष्टांत अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 66च का संशोधन।

'दृष्टांत

धारा 66घ के खंड (ख) में की प्रविष्टि, अर्थात् "भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवाएं" केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई मुख्य सेवा के प्रति निर्देश करती हैं, किंतु इनके अंतर्गत किसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराई गई अभिकरण संबंधी सेवा नहीं आएगी । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मुख्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयुक्त ऐसी अभिकरण संबंधी सेवा, जो निवेश सेवा है, जिसके लिए प्रतिफल अभिकर्ता बैंक द्वारा प्राप्त फीस या कमीशन या किसी अन्य रकम के रूप में है, धारा 66घ में की नकारात्मक सूची के खंड (ख) में की मुख्य सेवा में सम्मिलित किए जाने के आधार पर सेवा कर से अपवर्जित नहीं होगी और इस प्रकार ऐसी सेवा, सेवा कर के लिए उद्ग्रहणीय है ।' ।

109. 1994 के अधिनियम की धारा 67 के स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 67 का संशोधन।

'(क) "प्रतिफल" के अंतर्गत,—

(i) कोई ऐसी रकम, जो उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली कराधेय सेवा के लिए संदेय है ;

(ii) ऐसी परिस्थितियों के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कोई कराधेय सेवा उपलब्ध कराने के या उपलब्ध कराने का करार करने के अनुक्रम में ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा उपगत और सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित कोई प्रतिपूर्ति योग्य व्यय या लागत ;

(iii) लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता द्वारा, लाटरी टिकट की सकल विक्रय रकम से, यथास्थिति, फीस या कमीशन, यदि कोई हो, या प्राप्त छूट अर्थात् लाटरी टिकट के अंकित मूल्य और ऐसी कीमत, जिस पर वितरक या विक्रय अभिकर्ता ऐसा टिकट प्राप्त करता है, के बीच के अंतर के अतिरिक्त प्रतिधारित कोई रकम ;' ।

110. 1994 के अधिनियम की धारा 73 में,— धारा 73 का संशोधन।

(i) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में, जहां उपधारा (1) के अधीन दी गई विवरणी में संदेय सेवा कर की रकम का स्वतः निर्धारण किया गया है किन्तु वह पूर्णरूप से या भागतः संदत्त नहीं की गई है, वहां उसको उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के बगैर धारा 87 में विनिर्दिष्ट रीतियों में से किसी रीति से उस पर ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा ।";

(ii) उपधारा (4क) का लोप किया जाएगा ।

धारा 76 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

111. 1994 के अधिनियम की धारा 76 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सेवा कर का संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति।

"76. (1) जहां सेवा कर के संदाय के अपवंचन के आशय से कोई सेवा कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन से भिन्न किसी कारण से भूलवश उसका प्रतिदाय किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति, जिस पर धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना में विनिर्दिष्ट सेवा कर और ब्याज के अतिरिक्त ऐसी शास्ति का संदाय करने का भी दायी होगा जो ऐसी सेवा कर की रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु जहां ऐसा सेवा कर और ब्याज—

(i) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त कर दिया जाता है वहां कोई शास्ति संदेय नहीं होगी ;

(ii) धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन सेवा कर की रकम का अवधारण करने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, यदि ऐसी घटाई गई शास्ति का भी ऐसी अवधि के भीतर संदाय कर दिया जाता है तो वहां संदेय शास्ति उस आदेश में अधिरोपित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत होगी।

(2) जहां, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय, धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन अवधारित सेवा कर का उपांतरण करता है, वहां तदनुसार उस पर संदेय शास्ति की रकम भी उपांतरित हो जाएगी और उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन घटाई गई शास्ति का फायदा तभी उपलब्ध होगा यदि इस प्रकार संदेय ऐसा सेवा कर, ब्याज और घटाई गई शास्ति ऐसे आदेश की, जिसके द्वारा ऐसा उपांतरण किया गया है, प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त कर दिए जाते हैं ।" ।

धारा 78 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

112. 1994 के अधिनियम की धारा 78 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कपट आदि के कारण सेवा कर का संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति।

"78. (1) जहां सेवा कर के संदाय के अपवंचन के आशय से, कोई सेवा कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिस पर धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना में विनिर्दिष्ट सेवा कर और ब्याज के अतिरिक्त ऐसी शास्ति का संदाय करने का भी दायी होगा जो ऐसी सेवा कर की रकम के शत प्रतिशत बराबर होगी :

परंतु जहां ऐसा सेवा कर और ब्याज,—

(i) धारा 73 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन सूचना की तामील होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त कर दिया जाता है वहां संदेय शास्ति ऐसे सेवा कर के पन्द्रह प्रतिशत होगी ;

(ii) धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन सेवा कर की रकम का अवधारण करने वाले केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, वहां संदेय शास्ति इस प्रकार अवधारित सेवा कर का पच्चीस प्रतिशत होगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन घटाई गई शास्ति का फायदा केवल तभी उपलब्ध होगा यदि ऐसी घटाई गई शास्ति की रकम का भी ऐसी अवधि के भीतर संदाय कर दिया जाता है ।

(2) जहां, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय, धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन अवधारित सेवा कर का उपांतरण करता है, वहां तदनुसार उस पर संदेय शास्ति की रकम भी उपांतरित हो जाएगी और उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन घटाई गई शास्ति का फायदा तभी उपलब्ध होगा यदि इस प्रकार संदेय ऐसा सेवा कर, ब्याज और घटाई गई शास्ति ऐसे आदेश की, जिसके द्वारा ऐसा उपांतरण किया गया है, प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त कर दिए जाते हैं ।"।

नई धारा 78ख का प्रतिस्थापन ।

113. 1994 के अधिनियम की धारा 78क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अस्थायी उपबंध।

"78ख. (1) जहां, किसी मामले में,—

(क) सेवा कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है

या कम संदाय किया गया है या भूलवश प्रतिदाय किया गया है और धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन और उसके परंतुक के अधीन उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त अधिनियम, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी सूचना की तामील नहीं की गई है ; या

1975 का 51

(ख) सेवा कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या भूलवश प्रतिदाय किया गया है और धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन और उसके परंतुक के अधीन सूचना की तामील कर दी गई है, उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त अधिनियम, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

वहां ऐसे मामलों की बाबत वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित, यथास्थिति, धारा 76 या धारा 78 के उपबंध लागू होंगे ।";

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 73 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन आने वाले उन मामलों की बाबत, जो वित्त अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन की तारीख से पूर्व प्रवृत्त थे, जहां धारा 73 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन किसी व्यक्ति पर सूचना की तामील नहीं की गई है या जहां इस प्रकार तामील कर दी गई है, धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन उस तारीख से पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां उद्ग्रहणीय शास्ति सेवा कर के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

114. 1994 के अधिनियम की धारा 80 का लोप किया जाएगा । धारा 80 का लोप।

115. 1994 के अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) में,— धारा 86 का संशोधन।

(क) "कोई निर्धारिती" शब्दों के स्थान पर, "अन्यथा उपबंधित के सिवाय" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां किसी ऐसी सेवा, जो निर्यात की जाती है, संबंधित कोई आदेश धारा 85 के अधीन पारित किया गया है और उसके अधीन विवाद निवेश सेवाओं पर सेवा कर के रिबेट या ऐसी सेवा उपलब्ध कराने में प्रयुक्त निवेशों पर संदत्त शुल्क का रिबेट अनुदत्त करने के संबंध में है वहां ऐसे आदेश पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ङङ के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी :

1944 का 1

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन आने वाले सभी विषयों की बाबत अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई सभी अपीलें, जो वित्त अधिनियम, 2012 के प्रवृत्त होने के पश्चात् और जो उस तारीख तक, जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगी और उन पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ङङ के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।"।

2012 का 23

1944 का 1

116. धारा 94 की उपधारा (2) में, खंड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 94 का संशोधन।

"(कक) कराधेय सेवा की रकम और मूल्य का अवधारण, उसकी रीति तथा वे परिस्थितियां और शर्तें, जिनके अधीन ऐसी रकम धारा 67 के अधीन प्रतिफल नहीं होगा ;"।

अध्याय 6

स्वच्छ भारत उपकर

117. (1) यह अध्याय ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । स्वच्छ भारत उपकर।

(2) स्वच्छ भारत पहलों को वित्तपोषित करने और उसका संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार सभी या किसी कराधेय सेवाओं पर ऐसी सेवाओं के मूल्य पर स्वच्छ भारत कोष के नाम से ज्ञात उपकर, सेवा कर के रूप में दो प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा ।

1994 का 32

(3) उपधारा (2) के अधीन उद्गृहणीय स्वच्छ भारत कोष उपकर, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर किसी उपकर या सेवा कर के अतिरिक्त होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन उद्गृहणीय स्वच्छ भारत कोष उपकर के आगम, पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और केंद्रीय सरकार संसद् द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किए गए सम्यक् विनियोग द्वारा, स्वच्छ भारत कोष उपकर की ऐसी धनराशियों का उपयोग उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगी ।

1994 का 32

(5) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत कर, ब्याज के प्रतिदाय और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, कराधेय सेवाओं पर स्वच्छ भारत कोष उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति वित्त

अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कराधेय सेवाओं पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

अध्याय 7

लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण का स्थापन

भाग 1

प्रारंभिक

इस अध्याय का विस्तार और प्रारंभ।

118. (1) इस अध्याय का विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परंतु इस अध्याय के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि राज्य, इस अध्याय के उपबंधों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन उस निमित्त एक संकल्प पारित करके अंगीकार नहीं करता है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अध्याय के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

परिभाषाएं ।

119. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अभिकरण" से धारा 120 के अधीन स्थापित लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण अभिप्रेत है ;

(2) "बोर्ड" से अभिकरण का बोर्ड अभिप्रेत है ;

(3) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से अभिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(4) "कार्यपालक अधिकारी" से अभिकरण बोर्ड का ऐसा कोई सदस्य, जो नामनिर्देशिती सदस्य नहीं है, अभिप्रेत है, जो अभिकरण के दिन प्रतिदिन के प्रबंध और कृत्यों के लिए उत्तरदायी है ;

(5) "सरकारी प्रतिभूति" से ऐसी कोई प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा सृजित या निर्गमित की जाती है ;

(6) "नामनिर्देशिती सदस्य" से अभिकरण बोर्ड का कोई ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो धारा 125 की उपधारा (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(7) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(8) "विहित" से इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(9) "लोक ऋण" से उधारों से, चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य, केंद्रीय सरकार पर उद्भूत बाध्यता अभिप्रेत है ;

(10) "धारक रजिस्टर" से धारा 127 के अधीन अभिकरण द्वारा बनाया रखा गया सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(11) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है । 1934 का 2

भाग 2

लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण की स्थापना

लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण की स्थापना और निगमन ।

120. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, भारतीय लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण नामक एक निकाय की स्थापना की जाएगी ।

(2) अभिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, उसे धारण और उसका व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) अभिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(4) अभिकरण, अधिसूचना द्वारा, भारत में या भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर अपने कार्यालय या शाखाएं स्थापित कर सकेगा ।

121. अभिकरण का उद्देश्य, केंद्रीय सरकार के साधारण अधीक्षण के अधीन इस भाग में यथा उपबंधित सभी समयों पर स्वीकार्य जोखिम स्तर के भीतर दीर्घावधि के लिए लोक ऋण जुटाने और उस संबंध में सेवा उपलब्ध कराने की लागत को कम करने का है । अभिकरण का उद्देश्य।

122. (1) अभिकरण के कामकाज का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध अभिकरण के बोर्ड में निहित होगा । अभिकरण का बोर्ड ।

(2) बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा, जो अभिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जिसके पास अभिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों के संबंध में साधारण निदेशन और नियंत्रण की शक्ति होगी ।

(3) बोर्ड ऐसे किसी विषय के बारे में उसे सलाह देने के लिए उतनी सलाहकार परिषदें गठित कर सकेगा जितने बोर्ड अपेक्षा करे ।

123. (1) बोर्ड उतने कार्यपालक और नामनिर्देशिती सदस्यों से मिलकर बनेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं और राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं । बोर्ड की संरचना।

(2) कार्यपालक सदस्यों के अंतर्गत अभिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी आएगा ।

(3) नामनिर्देशिती सदस्यों में निम्नलिखित आएंगे—

(क) केंद्रीय सरकार का नामनिर्देशिती ; और

(ख) रिजर्व बैंक का नामनिर्देशिती ।

(4) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को बोर्ड के किसी सदस्य की सेवाओं को उपधारा (4) के अधीन विहित अवधि के अवसान के पूर्व किसी समय, उसे तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या उसके बदले तीन मास का वेतन और भत्ते देकर, समाप्त करने का अधिकार होगा और सदस्य को भी उपधारा (5) के अधीन विहित अवधि के अवसान के पूर्व किसी समय तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर अपना पद त्यागने का अधिकार होगा।

(6) केंद्रीय सरकार बोर्ड के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि—

(क) वह दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या वह किसी समय ऐसा रहा है ; या

(ख) वह अस्वस्थ चित्त का है और जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ; या

(ग) वह ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(घ) उसने केंद्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक होगा :

परंतु किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(7) बोर्ड, लिखित आदेश द्वारा, इस अध्याय के अधीन अभिकरण के कृत्य, अभिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी कर्मचारी को, ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, आबंटित कर सकेगा ।

(8) अभिकरण अपने आंतरिक कृत्यों को शासित करने के लिए उपविधियां बनाएगा ।

(9) अभिकरण का कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) अभिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) अभिकरण के निदेशक के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) अभिकरण की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

भाग 3
लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण के कृत्य और शक्तियां

124. (1) अभिकरण, इस भाग के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियां निर्गमित करेगा, धारकों का रजिस्टर बनाए रखेगा और उनका प्रबंध करेगा । ऋण, नकद और समाश्रित दायित्व प्रबंध।

(2) अभिकरण के कृत्यों में निम्नलिखित आएंगे,—

(क) लोक ऋण, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा इस अध्याय के अधीन भिन्न रूप में उधार लेना भी है, के बारे में सूचना संगृहीत करना और उसका प्रकाशन करना ;

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में क्रय करना, पुनःनिर्गमित करना और लेन-देन करना ; और

(ग) ऐसे अन्य संव्यवहार करना, जो लोक ऋण के प्रबंधन के लिए अपेक्षित हों ।

(3) अभिकरण, केंद्रीय सरकार के समाश्रित दायित्व का प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) केंद्रीय सरकार के कुल समाश्रित दायित्व का परिकलन करने के उपाय विकसित करना ;

(ख) केंद्रीय सरकार को उसके समाश्रित दायित्वों पर सलाह देना ;

(ग) ऐसे अन्य संव्यवहार करना, जो केंद्रीय सरकार के समाश्रित दायित्वों को कम करने या ऐसे समाश्रित दायित्वों की लागत कम करने के लिए आवश्यक हों ।

(4) अभिकरण, केंद्रीय सरकार के लिए नकदी प्रबंधन का कार्य हाथ में लेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) केंद्रीय सरकार की नकद आस्तियों के बारे में सूचना संगृहीत करना ;

(ख) केंद्रीय सरकार की नकदी की अपेक्षाओं का परिकलन करने और उनका पूर्व प्राक्कलन करने की पद्धतियां विकसित करना ;

(ग) ऐसी अल्पकालिक प्रतिभूतियों को निर्गमित करना और उनका उन्मोचन करना, जो केंद्रीय सरकार की नकदी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों ;

(घ) केंद्रीय सरकार के नकदी प्रबंधन पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना ; और

(ङ) ऐसे अन्य संव्यवहार करना, जो केंद्रीय सरकार के नकदी के प्रबंध के लिए आवश्यक हों ।

(5) उपधारा (4) के प्रयोजन के लिए "नकदी" शब्द से केंद्रीय सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा नकद रूप में या बैंक निक्षेपों के रूप में, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा धारित निक्षेप भी हैं, धारित धनराशियां अभिप्रेत हैं ।

(6) केंद्रीय सरकार, ऐसी सभी सूचना उपलब्ध कराएगी, जिसकी अभिकरण द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाए ।

(7) यदि केंद्रीय सरकार, अभिकरण को कोई गोपनीय सूचना उपलब्ध कराता है तो अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी गोपनीयता बनाए रखी जाए ।

सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गमन।

125. (1) केंद्रीय सरकार अभिकरण को सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन का कार्य सौंपेगी ।

(2) अभिकरण इस अध्याय और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियां निर्गमित करेगा ।

(3) सरकारी प्रतिभूतियों के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

(4) सभी सरकारी प्रतिभूतियां अभौतिक रूप में निर्गमित की जाएंगी।

सरकारी प्रतिभूतियों पर संदाय।

126. (1) अभिकरण सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के निबंधनों के अनुसार संदाय करने का उत्तरदायी होगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, इस बारे में कि ऐसे संदायों का दावा किस प्रकार किया जाएगा और ऐसे संदाय किस प्रकार किए जाएंगे, नियम विहित कर सकेगी ।

सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों का रजिस्टर ।

127. (1) अभिकरण, धारकों का एक रजिस्टर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, बनाए रखेगा ।

(2) धारकों के प्रत्येक रजिस्टर में उसमें सम्मिलित किए गए नामों की एक अनुक्रमणिका होगी ।

(3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अधीन किसी निक्षेपागार द्वारा बनाए रखे गए हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर और अनुक्रमणिका को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए तत्स्थानी रजिस्टर और अनुक्रमणिका समझा जाएगा। 1996 का 22

नामनिर्देशन ।

128. (1) सरकारी प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसमें उसकी प्रतिभूतियां, उसकी मृत्यु की दशा में निहित होंगी, किसी भी समय विहित रीति से नामनिर्देशित कर सकेगा ।

(2) जहां कोई सरकारी प्रतिभूति एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाती है, वहां संयुक्त धारक, ऐसे किसी व्यक्ति को, विहित रीति से नामनिर्देशित कर सकेंगे, जिसमें ऐसी सरकारी प्रतिभूति, उन सब संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में, निहित होगी ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में किसी व्ययन में, चाहे वह वसीयती हो या अन्यथा, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विहित रीति से किया गया नामनिर्देशन किसी व्यक्ति को सरकारी प्रतिभूतियों को निहित करने का अधिकार प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है, वहां नामनिर्देशिती, यथास्थिति, ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के धारक की मृत्यु पर या संयुक्त धारकों की मृत्यु पर, सरकारी प्रतिभूतियों में, यथास्थिति, धारक के या संयुक्त धारकों के, ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकारों का, उन सब अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए, तब तक हकदार हो जाएगा जब तक कि नामनिर्देशन को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, परिवर्तित या रद्द नहीं कर दिया जाता है ।

(4) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां सरकारी प्रतिभूतियों के उस धारक के लिए, जो नामनिर्देशन करता है, विहित रीति से ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा, जो सरकारी प्रतिभूतियों का उसकी अवयस्कता के दौरान नामनिर्देशिती की मृत्यु की दशा में हकदार होगा ।

सरकारी प्रतिभूतियों का अंतरण ।

129. (1) अभिकरण सरकारी प्रतिभूतियों के किसी अंतरण को तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अंतरण ऐसी रीति से न किया जाए, जो विहित की जाए ।

(2) इस धारा की कोई बात अभिकरण के प्रति न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को प्रभावित नहीं करेगी ।

चिरभोग्यता और अंतरणीयता।

130. किसी भी वर्ग या किस्म की सभी सरकारी प्रतिभूतियां, चिरभोग्य होंगी और निर्बाध रूप से अंतरणीय होंगी ।

सरकारी प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र ।

131. (1) अभिकरण की सामान्य मुद्रा के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र, जिससे किसी व्यक्ति द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियां विनिर्दिष्ट हो, उस व्यक्ति के सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति हक का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा ।

(2) सरकारी प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र या उसकी दूसरी प्रति जारी करने की रीति, ऐसे प्रमाणपत्र का प्ररूप, धारकों के रजिस्टर में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां और अन्य विषय ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं ।

(3) जहां कोई सरकारी प्रतिभूति निक्षेपागार के रूप में धारित की जाती है, वहां निक्षेपागार का अभिलेख धारक के हित का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होता है ।

वित्तीय संव्यवहारों के लिए दायित्व।

132. केंद्रीय सरकार अपने द्वारा प्राधिकृत किसी वित्तीय संव्यवहार से, जो अभिकरण द्वारा हाथ में लिया जाता है या किन्हीं निधियों से, जो केंद्रीय सरकार की ओर से अभिकरण द्वारा जुटाई जाती है, उद्भूत बाध्यताओं को पूरा करने के लिए दायी है ।

भाग 4
वित्त, लेखा और संपरीक्षा

फीस ।

133. (1) अभिकरण, केंद्रीय सरकार के परामर्श से, उसके द्वारा इस अध्याय के अधीन प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में संदेय फीस का उपबंध करने के लिए उपविधियां बनाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार अभिकरण को ऐसी फीस का संदाय करेगी जो उपविधियों में वर्णित की जाए ।

अनुदान और उधार।

134. केंद्रीय सरकार अभिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान या ऐसी धनराशियां उधार दे सकेगी जो वह उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के संबंध में ठीक समझे ।

निधि ।

135. (1) अभिकरण द्वारा एक निधि की स्थापना की जाएगी और बनाए रखी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) अभिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, उधार और फीसें ; और

(ख) अभिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, प्राप्त सभी धनराशियां ;

(2) निधि का उपयोग इस अध्याय द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के व्ययों को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

लेखे, लेखापरीक्षा और रिपोर्टें ।

136. (1) अभिकरण, लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) अभिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी ।

(3) बोर्ड को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर एक वार्षिक रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्टें तैयार करनी चाहिए और उन्हें केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रस्तुत करना चाहिए ।

(4) अभिकरण के, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ।

(5) केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लेखाओं की और उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

137. (1) केंद्रीय सरकार किसी लिखित आदेश द्वारा अभिकरण को समय-समय पर नीति विषयक निदेश जारी कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार का इस बारे में विनिश्चय कि कोई निदेश नीति विषयक है अथवा नहीं, अंतिम है ।

(3) इस धारा के अधीन कोई निदेश जारी करने के पूर्व, अभिकरण को अपने मत अभिव्यक्त करने के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ।

(4) अभिकरण, इस अध्याय के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या अपने कृत्यों के निर्वहन में इस धारा के अधीन जारी किन्हीं निदेशों से आबद्धकर है ।

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

138. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार,—

(क) धारा 123 की उपधारा (4) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद के निबंधन और अन्य शर्तें ;

(ख) धारा 125 की उपधारा (3) के अधीन सरकारी प्रतिभूति के निबंधन और अन्य शर्तें ;

(ग) धारा 126 की उपधारा (2) के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को संदाय करने और उनके द्वारा दावे करने की रीति ;

(घ) धारा 127 की उपधारा (1) के अधीन धारकों के रजिस्टर बनाए रखने की रीति ;

(ङ) धारा 128 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन नामनिर्देशन करने और उसे रद्द करने की रीति ;

(च) धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों के अंतरण की रीति ;

(छ) धारा 131 की उपधारा (2) के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों को प्रमाणपत्र जारी करने की रीति ;

(ज) धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अभिकरण के लिए निधियों के स्रोत ;

(झ) धारा 136 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन अभिकरण के लेखाओं को बनाए रखने की रीति, और वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

भाग 5

प्रकीर्ण

अभिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।

139. अभिकरण के सदस्य और कर्मचारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे ऋण अभिकरण द्वारा कृत्य प्रत्यायोजित किया गया है, जब वह इस अध्याय के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहा हो या उसका कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे । 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

140. इस अध्याय के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, केंद्रीय सरकार, अभिकरण या उसके सदस्यों या कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं की जाएंगी ।

करों से छूट ।

141. भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899, धन-कर अधिनियम, 1957, आय-कर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम, 1994, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में, जो धन, आय, लाभों, अभिलाभों, प्रतिभूति संव्यवहारों, स्टांप अथवा सेवाओं पर कर या शुल्क से संबंधित है, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभिकरण, अपने धन, अपनी आय, अपने लाभों, अभिलाभों, हाथ में लिए गए संव्यवहारों या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में धन-कर, आय-कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, स्टांप शुल्क, सेवा-कर या कोई अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।

1899 का 2
1957 का 27
1961 का 43
1994 का 32
2004 का 23

142. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक ऐसी सभी सूचना उपलब्ध कराएगा और ऐसी सभी सहायता प्रदान करेगा जिसकी अभिकरण उपलब्ध कराए जाने या प्रदान किए जाने की अपेक्षा करे, जिससे अभिकरण अपने कृत्यों का निर्वहन बिना व्यवधान के करने में समर्थ हो सके । सूचना उपलब्ध कराने की रिजर्व बैंक की बाध्यता ।

अध्याय 8

वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि

भाग 1

प्रारंभिक

143. (1) इस अध्याय का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा । विस्तार और प्रारंभ ।

(2) यह अध्याय उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

144. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(1) "संस्था" से कोई बैंक, डाकघर या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्था अभिप्रेत है जो अदावाकृत रकम वाले अप्रवर्तनशील खाते धारित कर रही है ;

(2) "समिति" से धारा 146 के अधीन गठित अंतर-मंत्रालयीय समिति अभिप्रेत है ;

(3) "पात्र ब्याज" से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर निधि को अंतरित मूल पर ब्याज अभिप्रेत है ;

(4) "वित्तीय वर्ष" से प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(5) "निधि" से धारा 145 के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है ;

(6) "अप्रवर्तनशील खाता" से धारा 145 की उपधारा (2) द्वारा या इसके अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं स्कीमों के अधीन कोई खाता अभिप्रेत है और जो, यथास्थिति, यदि नियमित आधार पर प्रवर्तनयोग्य है तो तीन वर्ष की अवधि तक या यदि परिपक्वता की तारीख है तो परिपक्वता की तारीख से अप्रवर्तनशील है ;

(7) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(8) "विहित" से इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(9) "वरिष्ठ नागरिक" से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है जिसने साठ वर्ष या अधिक की आयु अभिप्राप्त कर ली हो ;

(10) "अदावाकृत रकम" से धारा 145 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट रकम अभिप्रेत है ।

भाग 2

निधि की स्थापना और प्रशासन

145. (1) केंद्रीय सरकार, "वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि" नामक एक निधि की स्थापना करेगी । निधि की स्थापना ।

(2) अप्रवर्तनशील खाते के रूप में इसकी घोषणा की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदावाकृत बने रहे निम्नलिखित स्कीम के अधीन किन्हीं खातों में कोई जमा शेष उन्हें धारित करने वाले संबद्ध संस्थाओं द्वारा निधि को अंतरित किया जाएगा :—

(क) ऐसी स्कीमों को लागू करने के लिए प्राधिकृत डाकघरों और बैंकों के साथ केंद्रीय सरकार की लघु बचत और अन्य बचत स्कीम ;

(ख) संस्था द्वारा अनुरक्षित लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के अधीन लोक भविष्य निधि के खाते; और

(ग) किसी खाता या स्कीम में ऐसी अन्य रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) निधि का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के उन्नयन के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो विहित की जाए ।

(4) केंद्रीय सरकार, समय-समय निधि में पड़े धन के लिए ब्याज की पात्र दर अधिसूचित करेगी ।

146. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निधि के प्रशासन के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की ऐसी संख्या को मिलाकर एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन करेगी जिन्हें केंद्रीय सरकार नियुक्त करे । निधि के प्रशासन के लिए समिति का गठन।

(2) निधि के प्रशासन की रीति, समिति की बैठकें ऐसे नियमों के अनुसार होंगी जो विहित की जाएं ।

(3) समिति धारा 145 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निधि में से धन खर्च करने के लिए सक्षम होगी ।

दावों का संदाय ।

147. (1) निधि को अंतरित अदावाकृत रकम का हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 149 में यथा उपबंधित रकम के निर्वापित हो जाने के अधिकार के पूर्व किसी समय उस संबद्ध संस्था को आवेदन कर सकेगा जिसके पास शोध्य रकम मूलतः पड़ी थी या जमा थी ।

(2) आवेदन करने वाले व्यक्ति पर उस रकम को प्राप्त करने के अपने अधिकार को स्थापित करने का भार होगा जिससे आवेदन संबंधित है ।

(3) संस्था, यथासंभव यथाशीघ्र आवेदन पर विचार करेगी और आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर किसी भी दशा में पात्र ब्याज के साथ संदाय करेगी ।

(4) इस धारा के अधीन कोई संदाय निधि में जमा रकम की बाबत दायित्व से संस्था को उन्मोचित करेगी ।

(5) निधि को अंतरित धन पर संदेय ब्याज, यदि कोई है, का अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जएगा और अधिसूचित किया जाएगा ।

जानकारी का प्रकाशन ।

148. (1) संस्था ऐसी जानकारी प्रकाशित करेगी जो अदावाकृत रकम को निधि में जमा करने से पूर्व अदावाकृत रकम के अस्तित्व की युक्तियुक्त सूचना देने के लिए आवश्यक और पर्याप्त है ।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसी रीति विहित कर सकेगी जिसके द्वारा ऐसी जानकारी प्रकाशित की जाए ।

केंद्रीय सरकार को राजगामित्व ।

149. (1) जहां, इस अध्याय की धारा 147 में यथा विनिर्दिष्ट कोई अनुरोध या दावा निधि में अदावाकृत रकम के जमा की तारीख से पच्चीस वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब तक न्यायालय अन्यथा आदेश न करे, यह केंद्रीय सरकार को राजगामी होगी ।

(2) अदावाकृत रकम का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि तक बना रहेगा और इसके पश्चात् निर्वापित हो जाएगा ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भी दशा में केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे समुचित कारण थे जिससे कोई व्यक्ति समय पर प्रतिदाय करने के लिए दावा करने से विरत रहा, तो यह तथ्यों की परीक्षा पर आधारित समिति की सिफारिशों पर उसे राजगामित्व धन का प्रतिदाय कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार, निधि के प्रयोजनों के लिए निधि में राजगामित्व ऐसे धन को रख सकेगी ।

भाग 3
खाता और संपरीक्षा

खाता और संपरीक्षा की रिपोर्टिंग ।

150. (1) निधि, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, वित्त वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को अग्रसारित करेगी ।

(2) निधि के खातों की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, की जाएगी और उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ ऐसे संपरीक्षित संस्था द्वारा केंद्रीय सरकार को अग्रसारित की जाएगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई संपरीक्षा रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

भाग 4
प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

151. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित का उपबंध कर सकेंगे—

(क) धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन निधि का प्रबंध करने के लिए समिति की रचना;

(ख) धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन निधि के प्रशासन की रीति और समिति की बैठकें करने से संबंधित प्रक्रिया;

(ग) धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन अदावाकृत रकम के अस्तित्व के बारे में आम जनता को सूचना देने की रीति;

(घ) धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन निधि के प्रशासन की रीति और समिति की बैठकें करने की प्रक्रिया;

(ङ) धारा 148 की उपधारा (2) के अधीन अदावाकृत रकमों के आस्तित्व के बारे में सार्वजनिक सूचना देने की स्थिति;

(च) कोई अन्य विषय जिसका होना अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कतिपय दशाओं में छूट देने की शक्ति ।

152. केंद्रीय सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी अदावाकृत रकम या संस्था या अदावाकृत रकम का वर्ग या संस्थाओं को इस अध्याय के किन्हीं या सभी उपबंधों से साधारणतया या ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, छूट प्रदान कर सकेगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

153. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई होती है तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए कोई बात कर सकेगी जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अध्याय के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष इसे बनाए जाने के यथाशीघ्र पश्चात् रखा जाएगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

प्रारंभ और 1934 के अधिनियम संख्यांक 2 का संशोधन।

154. (अ) इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस भाग के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

1934 का 2

धारा 17 का संशोधन।

(आ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (जिसे इसमें इसके पश्चात् रिजर्व बैंक अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (11) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु बैंक केंद्रीय सरकार के लिए इस उपधारा के खंड (ङ) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट कृत्य कर सकेगा, यदि केंद्रीय सरकार धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन एक अधिसूचना लोक ऋण के प्रबंधन का कार्य और केंद्रीय सरकार के बंधपत्र और डिबेंचर जारी करने और उनका प्रबंध करने का कार्य बैंक को न्यस्त करती है ।"।

धारा 21 का संशोधन।

155. रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बैंक या वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 120 के अधीन स्थापित लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण को ऐसी शर्तों पर, जिन पर सहमति हो, लोक ऋण का प्रबंध, केंद्रीय सरकार के बंधपत्र और डिबेंचर का जारी किया जाना और प्रबंध तथा किन्हीं नए ऋणों का जारी किया जाना न्यस्त करेगी ।"।

156. रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45प में,—

धारा 45प का संशोधन ।

(I) खंड (क) में,—

(i) 'प्रतिभूतियों की कीमत (जिसे पूर्वाधिकार भी कहा जाता है)' शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "ऐसी अन्य लिखत" शब्दों के पश्चात्, ",जो कोई प्रतिभूति नहीं है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे

(II) खंड (ख) में, "ऐसा अन्य ऋण लिखत" शब्दों के पश्चात्, ",जो कोई प्रतिभूति नहीं है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(III) खंड (ग) में, "प्रतिभूतियों" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वह आता है, "निगमित बंधपत्रों और डिबेंचरों" शब्द रखे जाएंगे ;

(IV) खंड (घ) में, "प्रतिभूतियों" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वह आता है, "निगमित बंधपत्रों और डिबेंचरों" शब्द रखे जाएंगे ;

(V) खंड (ङ) में, 'और जिसमें "रेपो" या "रिवर्स रेपो" के प्रयोजनों के लिए "निगमित बंधपत्र और डिबेंचर भी हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 45ब का संशोधन ।

157. रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45ब की उपधारा (1) में,—

(I) "प्रतिभूतियों" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(II) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि उस तारीख को, जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा यह परंतुक अधिसूचित किया जाता है,—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय 3घ के अधीन किसी प्रतिभूति की बाबत रिजर्व बैंक द्वारा जारी कोई निदेश निरसित हो जाएगा ;

(ख) ऐसे निदेश के अनुसरण में किसी प्रतिभूति की बाबत किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई विधिमान्य समझी जाएगी और रहेगी ।"।

भाग 2

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का संशोधन

प्रारंभ और 1952 के अधिनियम संख्यांक 74 का संशोधन ।

158. (अ) इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस भाग के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

नई धारा 28क का अंतःस्थापन ।

(आ) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अग्रिम संविदा अधिनियम कहा गया है) की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1952 का 74

मान्यताप्राप्त संगमों की व्यावृत्ति ।

"28क. (1) अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त सभी संगमों, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (इसमें प्रतिभूति संविदा अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) के अधीन मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज समझे जाएंगे । 1956 का 42

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इसमें प्रतिभूति बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट) ऐसे समझे गए एक्सचेंजों को प्रतिभूति संविदा अधिनियम और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों, नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या वैसी ही लिखतों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कर सकेगा ।

(3) अग्रिम संविदा अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त संगम द्वारा बनाई गई उप विधियां, परिपत्र और वैसी ही लिखत, उस तारीख से, जिसको वह अधिनियम निरसित हुआ है, एक वर्ष की अवधि या प्रतिभूति बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित समय, जो भी पूर्वतर हो, के लिए इस प्रकार लागू होना जारी रहेंगे मानो अग्रिम संविदा अधिनियम निरसित नहीं हुआ हो।

(4) अग्रिम संविदा अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त संगमों को लागू आयोग या केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम, निदेश, मार्गदर्शक सिद्धांत, अनुदेश, परिपत्र या वैसी ही अन्य लिखित उस तारीख से, जिसको वह अधिनियम निरसित हुआ है, एक वर्ष की अवधि या बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित समय, जो भी पूर्वतर हो, के लिए इस प्रकार प्रवृत्त होना जारी रहेंगे मानो अग्रिम संविदा अधिनियम निरसित नहीं हुआ हो ।

(5) प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम के अधीन शक्तियों के अतिरिक्त, प्रतिभूति बोर्ड और केंद्रीय सरकार, ऐसे समझे गए एक्सचेंजों पर मान्यताप्राप्त संगमों के संबंध में क्रमशः आयोग और केंद्रीय सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग एक वर्ष की अवधि के लिए इस प्रकार करेगा, मानो अग्रिम संविदा अधिनियम निरसित नहीं हुआ हो ।"।

नई धारा 29क और धारा 29ख का अंतःस्थापन।

159. अग्रिम संविदा अधिनियम की धारा 29 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

निरसन और व्यावृत्ति।

"29क. (1) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 निरसित किया जाता है । 1952 का 74

(2) अग्रिम संविदा अधिनियम के निरसन की तारीख से ही—

(क) केंद्रीय सरकार और आयोग द्वारा अग्रिम संविदा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और विनियम निरसित हो जाएंगे ;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिम संविदा अधिनियम के अधीन स्थापित सभी प्राधिकरण और इकाइयां, जिनमें उस अधिनियम की धारा 25 के अधीन स्थापित आयोग और सलाहकार परिषदें सम्मिलित हैं, विघटित हो जाएंगी;

(ग) उपधारा (1) में निरसित अधिनियम के अधीन किए गए, प्रारंभ किए गए या जारी किए गए निरीक्षण, आदेश, शास्ति, कार्यवाही या नोटिस अथवा की गई कोई पुष्टि या घोषणा अथवा प्रदान की गई उपांतरित या प्रतिसंहृत कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, प्राधिकार या छूट अथवा संपादित कोई दस्तावेज या लिखित अथवा दिए गए किसी निदेश सहित की गई कोई बात या कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई जारी रहेगी या प्रतिभूति बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्रवृत्त की जाएगी, मानो वह अधिनियम निरसित नहीं हुआ हो ;

(घ) कारित सभी अपराध और ऐसे अपराधों के संबंध में विद्यमान कार्यवाहियां, जो अग्रिम संविदा अधिनियम के अधीन कारित किए गए हों, उस अधिनियम के उपबंधों द्वारा इस प्रकार शासित होना जारी रहेंगे, मानो वह अधिनियम निरसित नहीं हुआ हो ;

(ङ) प्रतिभूति बोर्ड के द्वारा अग्रिम संविदा अधिनियम के अधीन उस तारीख से जब वह अधिनियम निरसित हुआ हो, तीन वर्षों की अवधि के भीतर उस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में नई कार्यवाही इस प्रकार प्रारंभ की जा सकेगी और इस प्रकार कार्यवाही इस प्रकार चलाई जाएगी मानो अधिनियम निरसित नहीं हुआ हो ;

(च) खंड (घ) और खंड (ङ) में यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी न्यायालय अग्रिम संविदा अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान उस तारीख से नहीं लेगा जब वह अधिनियम निरसित हुआ हो ;

1897 का 10

(छ) खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अंतर्गत न आने वाले विषयों पर निरसन के प्रभाव के संबंध में, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण उपयोग का इन उपधाराओं में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा या वह इन्हें प्रभावित नहीं करेगी ।

आयोग के उपक्रम का अंतरण और निहित होना ।

29ख. (1) उस तारीख को जब अग्रिम संविदा अधिनियम निरसित हो जाता है, उपक्रम अंतरित हो जाएगा और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में निहित हो जाएगा ।

(2) यदि उस तारीख को, जब अग्रिम संविदा अधिनियम निरसित हो जाता है, उपक्रम के संबंध में आयोग के विरुद्ध कोई विद्यमान कार्यवाही या वाद हेतुक हो, तो ऐसी कार्यवाही या वाद हेतुक जारी रहेंगे तथा प्रतिभूति बोर्ड के द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त होंगे ।

(3) आयोग की इसके उपक्रम के संबंध में किसी कर, शुल्क और उपकर की बाबत प्रदान किए गए किसी फायदे और छूट सहित रियायतें, विशेषाधिकार, फायदे और छूट, उस तारीख को प्रतिभूति बोर्ड को अंतरित हो जाएंगे जब अग्रिम संविदा अधिनियम निरसित हो जाता है ।

(4) आयोग के अधीन उस तारीख से तुरंत पूर्व, जिसको अग्रिम संविदा अधिनियम निरसित हो जाता है, कोई पद धारित करने वाला प्रत्येक कर्मचारी (आयोग के सदस्यों को छोड़कर), केंद्रीय सरकार या प्रतिभूति बोर्ड में, जैसा कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करे, वह पद उसी अवधि के लिए और सेवा के वैसे ही निबंधनों और शर्तों पर धारित करेगा जैसा कि वह कर्मचारी ऐसा पद धारित करता है, यदि आयोग विघटित नहीं हुआ होता :

परंतु जहां केंद्रीय सरकार यह अधिसूचित करे कि आयोग का कोई कर्मचारी, पूर्वोक्त उपबंध के अधीन केंद्रीय सरकार का कर्मचारी बना रहेगा, केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति बोर्ड के अनुरोध पर ऐसे कर्मचारी को ऐसी अवधि के लिए, जो अग्रिम संविदा अधिनियम के निरसित होने की तारीख से दो वर्ष से अधिक न हो, प्रतिभूति बोर्ड में प्रतिनियुक्त कर सकेगी।

(5) उस तारीख से, जिसको अग्रिम संविदा अधिनियम निरसित हो, छह मास के भीतर, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या प्रतिभूति बोर्ड का कर्मचारी न रहने का विकल्प देने वाला आयोग का कोई कर्मचारी, अपना ऐसा विनिश्चय केंद्रीय सरकार या प्रतिभूति बोर्ड को संसूचित करेगा ।

(6) किसी अन्य प्रवृत्त विधि में अंतर्विष्ट कोई बात, अग्रिम संविदा अधिनियम के निरसन और आयोग के पारिणामिक विघटन के कारण किसी कर्मचारी को पद की हानि के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगी और किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(7) अग्रिम संविदा अधिनियम की धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सदस्य उस तारीख से पद पर नहीं रहेंगे जिसको अग्रिम संविदा अधिनियम निरसित हो जाए ।

(8) आयोग के सदस्य, अग्रिम संविदा के निरसन और आयोग के पारिणामिक विघटन के कारण या ऐसे सदस्य द्वारा आयोग के साथ की गई प्रबंध-मंडल की किसी संविदा के समय पूर्व समापन के लिए, पद की हानि के लिए किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होंगे और किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

1899 का 2

(9) उपक्रम का अंतरण और निहित होना, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अधीन किसी स्टांप शुल्क या राज्य विधियों के अधीन लागू किन्हीं स्टांप शुल्कों के संदाय के लिए दायी नहीं होंगे ।"।

भाग 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

प्रारंभ और 1956 के अधिनियम संख्यांक 42 का संशोधन ।

160. (अ) इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस भाग के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी । 1956 का 42

धारा 2 का संशोधन ।

(आ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिभूति संविदा अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (कग) के उपखंड (आ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(इ) रेपो और रिवर्स रेपो ;

(ई) वस्तु व्युत्पन्न ; और

(उ) ऐसी अन्य लिखतें, जो केंद्रीय सरकार द्वारा व्युत्पन्न घोषित की जाएं ;"; 1944 का 18

(ii) खंड (ख) में, "और जो लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट रूपों में से किसी रूप की है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(खख) "माल" से अनुयोज्य दावों, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न हर प्रकार की जंगम सम्पत्ति अभिप्रेत है ;

(खग) "वस्तु व्युत्पन्न" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे माल के परिदान की संविदा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाए और जो कोई तुरंत परिदान संविदा नहीं है ; या

(ii) अंतरों की संविदा, जो अपना मूल्य ऐसे अंतर्निहित माल की कीमतों या कीमतों के अक्षांकों या क्रियाकलापों, सेवाओं, अधिकारों, हितों, और दशाओं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं, से व्युत्पन्न करती है, किंतु इसके अंतर्गत प्रतिभूतियां नहीं हैं ;';

(iv) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गक) "अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा" से ऐसी विनिर्दिष्ट परिदान संविदा अभिप्रेत है, जिसके अधीन या किसी परिदान आदेश, रेल प्राप्ति, लदान बिल या, भांडागार प्राप्ति उससे संबंधित किन्हीं अन्य दस्तावेजों के अधीन के अधिकार या दायित्व अंतरणीय नहीं होते ;';

(v) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङक) "तुरंत परिदान संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है, जिसमें माल के परिदान और उसके लिए कीमत के संदाय का, या तो तुरंत या संविदा की तारीख के पश्चात् ग्यारह दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी माल की बाबत विनिर्दिष्ट करे, उपबंध हो और ऐसी संविदा के अधीन अवधि उसके पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से या अन्यथा बढ़ाए जाने वाली न हो:

परंतु जहां ऐसी संविदा का पालन या तो पूर्णतः या भागतः,—

(I) किसी ऐसी धनराशि, जो संविदा दर और परिनिर्धारित दर या समाशोधन दर या किसी मुजराई संविदा की दर में अंतर है, की वसूली द्वारा किया जाता है ; या

(II) किसी अन्य साधन, जो भी हो, द्वारा किया जाता है और जिसके परिणामस्वरूप संविदा में समाविष्ट माल का वास्तविक निविदान या उसकी पूरी कीमत का संदाय अभिमोचित कर दिया जाता है,

तो ऐसी संविदा को तुरंत परिदान संविदा नहीं समझा जाएगा ;';

(vi) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(चक) "रेपो" से किसी सहमत कीमत पर पारस्परिक रूप से सहमत किसी भविष्यवर्ती तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों का पुनः क्रय करने के करार के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करके निधियां उधार लेने, जिसके अंतर्गत उधार ली गई निधियों पर ब्याज भी है, के लिए कोई लिखत अभिप्रेत है ;

(चख) "रिवर्स रेपो" से किसी सहमत कीमत पर पारस्परिक रूप से सहमत किसी भविष्यवर्ती तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों का पुनः विक्रय करने के करार के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करके निधियां उधार देने, जिसके अंतर्गत उधार दी गई निधियों पर ब्याज भी है, के लिए कोई लिखत अभिप्रेत है ;';

(vii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(जक) "विनिर्दिष्ट परिदान संविदा" से ऐसी वस्तु व्युत्पन्न अभिप्रेत है जिसमें उसके द्वारा नियत कीमत पर या उसके द्वारा नियत की जाने वाली कीमत पर सहमत किसी विनिर्दिष्ट भावी अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट गुणवत्ता या प्रकार के माल के वास्तविक परिदान का उपबंध है और जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों के नाम वर्णित हैं ;';

(viii) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ट) "अंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा" से ऐसी विनिर्दिष्ट परिदान संविदा अभिप्रेत है जो अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा नहीं है, और जो उसकी अंतरणीयता के संबंध में ऐसी शर्तों के अध्यधीन है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;'।

धारा 18क का संशोधन ।

161. प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 18क को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) व्युत्पन्न में संविदा उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी ";

नई धारा 30क का अंतःस्थापन ।

162. प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वस्तु व्युत्पन्नों से संबंधित विशेष उपबंध ।

"30क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को लागू नहीं होगी :

परंतु कोई व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में (किसी स्टॉक एक्सचेंज से भिन्न), जिसको धारा 13 के उपबंध लागू कर दिए गए हैं, किसी ऐसे संगम को संचालित नहीं करेगा या संचालन में सहायता नहीं करेगा या उसका सदस्य नहीं बनेगा, जो संविदा के किसी पक्षकार द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार को या उससे या संविदा में नामित किसी अन्य पक्षकार को या उससे वास्तविक परिदान किए बिना या प्राप्त किए बिना किसी अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा के पालन की सुविधाओं का उपबंध करता है ।

(2) जहां किसी क्षेत्र की बाबत, किसी माल या माल के वर्ग के क्रय या विक्रय के लिए वस्तु व्युत्पन्नों के संबंध में धारा 13 के उपबंध लागू कर दिए गए हैं तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि उक्त क्षेत्र या उसके किसी ऐसे भाग में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध उक्त माल या माल के वर्ग के क्रय या विक्रय के लिए अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को साधारणतया या ऐसे वर्ग की किसी संविदा को विशिष्टतया लागू नहीं होंगे ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि व्यापार के हित में या लोक हित में किसी क्षेत्र में अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को विनियमित या नियंत्रित किया जाना समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध ऐसे माल या माल के वर्ग की बाबत, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे क्षेत्र में ऐसे वर्ग या वर्गों की अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को लागू नहीं होंगे और वह रीति, जिसमें तथा वह सीमा, जिस तक उक्त सभी या कोई उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।" ।

भाग 4

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 का संशोधन

1998 का 21

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

163. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "आठ रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

भाग 5

वित्त अधिनियम, 1999 का संशोधन

1999 का 27

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

164. वित्त अधिनियम, 1999 की दूसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "आठ रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

भाग 6

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का संशोधन

प्रारंभ और 1999 के अधिनियम संख्यांक 42 का संशोधन ।

165. (अ) इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस भाग के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

1999 का 42

धारा 2 का संशोधन।

(आ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् विदेशी मुद्रा अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गग) "प्राधिकृत अधिकारी" से धारा 37क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी अभिप्रेत है; ';

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(छछ) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 37क की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;' ।

धारा 6 का संशोधन ।

166. विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 6 की,—

(अ) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) पूंजीगत लेखा संव्यवहार के, जिसमें ऋण लिखतें अंतर्वलित हैं, ऐसे किसी वर्ग या वर्गों को, जो अनुज्ञेय है; ";

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) ऐसी कोई शर्तें जो ऐसे संव्यवहारों के लिए रखी जा सकेंगी; ";

(iii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु रिजर्व बैंक या केंद्रीय सरकार, कारबार के मामूली अनुक्रम में उधारों के अपकरण मद्दे या सीधे विनिधानों के अवक्षयण के लिए शोध्य संदायों के लिए विदेशी मुद्रा के निकाले जाने पर कोई निर्बन्धन नहीं लगाएगी ।";

(आ) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(2क) केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक के परामर्श से,—

(क) पूंजीगत लेखा संव्यवहार के, जिसमें ऋण लिखतें अंतर्वलित नहीं हैं, ऐसे किसी वर्ग या वर्गों को, जो अनुज्ञेय है;

(ख) वह सीमा जिस तक विदेशी मुद्रा ऐसे संव्यवहारों के लिए अनुज्ञेय होगी; और

(ग) ऐसी कोई शर्तें, जो ऐसे संव्यवहारों के लिए रखी जाएं,

विहित कर सकेगी । ";

(इ) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा;

(ई) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "ऋण लिखतें" पद से ऐसी लिखतें अभिप्रेत हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से अवधारित की जाएं ।' ।

धारा 18 का संशोधन ।

167. विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 18 में, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "सक्षम प्राधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 37क का अंतःस्थापन ।

168. विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 37 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी; अर्थात् :—

धारा 4 के उल्लंघन में भारत से बाहर धारित आस्तियों के संबंध में विशेष उपबंध ।

"37क. (1) किसी जानकारी या अन्यथा की प्राप्ति पर, यदि केंद्रीय सरकार द्वारा विहित प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि भारत के बाहर कोई विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या कोई स्थावर संपत्ति स्थित है तो धारा 4 के अधीन धारित होने का संदेह है तो वह ऐसे कारण, जो अभिलिखित किए जाएंगे, आदेश द्वारा, भारत के भीतर स्थित ऐसी विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या स्थावर संपत्ति के समतुल्य मूल्य का अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई अभिग्रहण ऐसे मामले में नहीं किया जाएगा जहां भारत के बाहर स्थित ऐसी विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या किसी स्थावर संपत्ति का कुल मूल्य उस मूल्य से कम है जो विहित किया जाए ।

(2) सुसंगत सामग्री के साथ अभिग्रहण का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे अभिग्रहण की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे सक्षम अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न का नहीं होगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के प्रतिनिधि और व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् पुष्ट करते हुए या ऐसे आदेश को अपास्त करते हुए अभिग्रहण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर ऐसी याचिका का निपटान करेगा ।

स्पष्टीकरण—एक सौ अस्सी दिनों की अवधि की संगणना करते समय न्यायालय द्वारा अनुदत्त रोक की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा और ऐसे रोक आदेश के बातिल की संसूचना की तारीख से कम से कम तीस दिन की और अवधि अनुदत्त की जाएगी ।"।

2007 का 22

169. विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) में,— धारा 46 का संशोधन।

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कक) ऐसी लिखतें, जो धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन ऋण लिखतें अवधारित की जाएं;

(कख) धारा 6 की उपधारा (2क) के अनुसार पूंजीगत लेखा संव्यवहारों के अनुज्ञेय वर्ग, विदेशी मुद्रा की स्वीकार्यता की सीमाएं और ऐसे संव्यवहारों का प्रतिषेध, निर्बन्धन या विनियमन;"; 2010 का 14

(ii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छछ) धारा 37क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा का सकल मूल्य ;" ।

170. विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 47 में,— धारा 47 का संशोधन।

(अ) उपधारा (2) में;—

2011 का 11

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) पूंजीगत लेखा संव्यवहारों के ऐसे अनुज्ञेय वर्ग, जिनमें धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन अवधारित ऋण लिखतें अंतर्वलित हैं, ऐसे संव्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा की अनुज्ञेय सीमा और धारा 6 के अधीन ऐसे पूंजीगत लेखा संव्यवहारों का प्रतिषेध निर्बन्धन या विनियमन; ";

(ii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छक) करेंसी या करेंसी नोटों का निर्यात, आयात या उन्हें रखना; ";

(आ) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उस तारीख से पूर्व, जिसको इस धारा के उपबंध अधिसूचित किए जाते हैं, इस अधिनियम की धारा 6 और धारा 47 के अधीन पूंजीगत लेखा संव्यवहारों पर रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए सभी विनियम, जिनकी बाबत विनियम बनाने की शक्ति अब केंद्रीय सरकार में निहित है, तब तक विधिमान्य बने रहेंगे जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें संशोधित या विखंडित नहीं कर दिया जाता है ।"।

भाग 7

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

2003 का 15

171. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) खंड (प) में, "या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य" शब्दों के पश्चात् "या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली जाती है या धारित की जाती है, वहां देश के भीतर धारित सममूल्य की संपत्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (म) में, उपखंड (ii) में, "तीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

172. धन-शोधन अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक में, "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "पहले परंतुक" शब्द रखे जाएंगे । धारा 5 का संशोधन।

173. धन-शोधन अधिनियम की धारा 8 में,— धारा 8 का संशोधन।

(i) उपधारा (3) के खंड (ख) में, "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "विशेष न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(8) जहां कोई संपत्ति उपधारा (5) के अधीन केंद्रीय सरकार को अधिहृत हो गई है, वहां विशेष न्यायालय ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार को दावाकर्ता की ऐसी अधिहृत संपत्ति या उसका कोई भाग संपत्ति में के विधि सम्मत हित के साथ प्रत्यावर्तित करने का निदेश भी दे सकेगा, जिसे धन-शोधन के अपराध के परिणामस्वरूप अत्यधिक हानि हुई हो :

परंतु विशेष न्यायालय ऐसे दावे पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि दावाकर्ता ने सद्भावपूर्वक कार्य किया है और उसे सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां बरतने के बावजूद हानि पहुंची है और वह धन-शोधन के अपराध में अंतर्वलित नहीं है; "।

धारा 20 का संशोधन।

174. धन-शोधन अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) उपधारा (5) में, "यथास्थिति, न्यायालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (6) में,—

(क) "न्यायालय" शब्द के स्थान पर, "विशेष न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "ऐसे आदेश की" शब्दों के पश्चात्, "प्राप्ति की" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन।

175. धन-शोधन अधिनियम की धारा 21 में,—

(i) उपधारा (5) में, "धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन अधिहरण" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (6) या उपधारा (7) या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन अधिहरण या निर्मोचन" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (6) में,—

(क) "धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन न्यायालय द्वारा या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "न्यायालय द्वारा या धारा 21 की उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) "ऐसे आदेश की" शब्दों के पश्चात् "प्राप्ति की" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 60 का संशोधन।

176. धन-शोधन अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2क) में "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "विशेष न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

अनुसूची का संशोधन।

177. धन-शोधन अधिनियम की अनुसूची में, भाग क के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

भाग ख

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अपराध

धारा	**अपराध का वर्णन**
132	मिथ्या घोषणा, मिथ्या दस्तावेज, आदि

भाग 8

वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का संशोधन

धारा 4 का संशोधन।

178. वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 4 में, "31 मार्च, 2015" अंक, अक्षर और शब्द जहां-कहीं वे आते हैं "31 मार्च, 2018" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 9

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

धारा 95 का लोप।

179. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 2004 का अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 6 में धारा 95 का, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, लोप किया जाएगा । 2004 का 23

धारा 97 का संशोधन।

180. 2004 के अधिनियम में, 1 जून, 2015 से, धारा 97 में,—

(i) खंड (5क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(5कक) "आरंभिक प्रस्थापना" का वही अर्थ है, जो,—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (थ) में ऐसे कारबार न्यास, जो भू संपदा विनिधान न्यास है, की दशा में उसका है,; 1992 का 15

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (फ) में ऐसे कारबार न्यास, जो अवसंरचना विनिधान न्यास है, की दशा में उसका है,; 1992 का 15

(ii) खंड (13) के उपखंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1991 का 43

"(कख) किसी कारबार न्यास की ऐसी असूचीबद्ध यूनिटों का, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफल स्वरूप अर्जित की गई थीं, ऐसी यूनिटों के किसी धारक द्वारा जनसाधारण को विक्रय के लिए ऐसी किसी प्रस्थापना के अधीन, जो किसी आरंभिक लोक प्रस्थापना में सम्मिलित है और जहां ऐसी यूनिटें बाद में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की जाती हैं, विक्रय ; या"।

धारा 98 का संशोधन।

181. 2004 के अधिनियम की धारा 98 में, सारणी में, क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं0	कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
1	2	3	4
"7.	धारा 97 के खंड (13) के उपखंड (कख) में निर्दिष्ट विक्रय की किसी प्रस्थापना के अधीन किसी कारबार न्यास की असूचीबद्ध यूनिटों का विक्रय ।	0.2 प्रतिशत	विक्रेता ।"।

धारा 100 का संशोधन ।

182. 2004 के अधिनियम की धारा 100 में,—

(i) उपधारा (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2ख) किसी आरंभिक प्रस्थापना की बाबत कारबार न्यास द्वारा नियुक्त प्रमुख वाणिज्यिक बैंककार, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो धारा 97 के खंड (13) के उपखंड (कख) में निर्दिष्ट कोई कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार करता है, धारा 98 में विनिर्दिष्ट दर से प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा ।;"

(ii) उपधारा (3) में,—

(अ) "उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या किसी उपधारा (2ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) "आरंभिक लोक प्रस्थापना" शब्दों के पश्चात्, "या किसी आरंभिक प्रस्थापना" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(iii) उपधारा (4) में, "आरंभिक लोक प्रस्थापना पर" शब्दों के पश्चात् "या आरंभिक प्रस्थापना पर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 101 का संशोधन ।

183. 2004 के अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) में,—

(अ) "आरंभिक लोक प्रस्थापना" शब्दों के पश्चात्, "या किसी आरंभिक प्रस्थापना" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(आ) "जो ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी पारस्परिक निधि के यूनिटों का विक्रय है" शब्दों के स्थान पर "जो ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभिक लोक प्रस्थापना के अधीन ऐसी पारस्परिक निधि के यूनिटों का विक्रय या असूचीबद्ध शेयरों का विक्रय या उसकी बाबत जिसके लिए ऐसा प्रमुख मर्चेन्ट बैंकर नियुक्त है, आरंभिक प्रस्थापना के अधीन कारबार न्यास की असूचीबद्ध यूनिट का विक्रय है" शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 10

वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन

2005 का 18

सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

184. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में, उपशीर्ष 2202 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

भाग 11

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 का संशोधन

2006 का 38

प्रारंभ और 2006 के अधिनियम संख्यांक 38 का संशोधन ।

185. (अ) इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस भाग के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

नई धारा 34क का अंतःस्थापन।

(आ) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिभूति अधिनियम कहा गया है) की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण को पारगमित बैंक की शक्ति ।

"34क. इस अधिनियम में बैंक के प्रति सभी निर्देशों का वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 120 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा :

परंतु उस तारीख से ही जिसको इस धारा के उपबंध प्रवृत्त होते हैं,—

(क) इस अधिनियम के अधीन बैंक द्वारा जारी सभी निदेश, निरसित हो जाएंगे;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बैंक द्वारा जारी किसी निदेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां विधिमान्य और जारी रही समझी जाएंगी ।"।

नई धारा 35क का अंतःस्थापन ।

186. प्रतिभूति अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

निरसन और व्यावृत्तियां ।

"35क. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 इसके द्वारा निरसित किया जाता है : 2006 का 38

परंतु,—

(क) ऐसे निरसन की तारीख से पूर्व जारी सभी सरकारी प्रतिभूतियां, वित्त अधिनियम, 2015 के अध्याय 7 के अधीन जारी की गई समझी जाएंगी;

(ख) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे निरसन की तारीख से पहले की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, वित्त अधिनियम, 2015 के अध्याय 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की गई समझी जाएंगी मानो सभी तात्विक समयों पर उक्त अध्याय विद्यमान था। 2006 का 38

भाग 12

वित्त अधिनियम, 2007 का संशोधन

धारा 140 का लोप।

187. वित्त अधिनियम, 2007 के अध्याय 4 की धारा 140 का, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, लोप किया जाएगा । 2007 का 22

भाग 13

वित्त अधिनियम, 2010 का संशोधन

दसवीं अनुसूची का संशोधन ।

188. वित्त अधिनियम, 2010 की दसवीं अनुसूची में, सभी शीर्षों के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "300 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी । 2010 का 14

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 89, खंड 103, खंड 104, खंड 163, खंड 164 और खंड 188 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रवृत्त होंगे । 1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है	25,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है	1,25,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है	20,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है	1,20,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है	1,00,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ।
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; अथवा	
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,	
और जहां, ऐसा करार दोनों में से किसी भी दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा उधार लिए गए धन या सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उपगत ऋण पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्याधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है,	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ओ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां भारत में निवासी किसी व्यक्ति को ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ix) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(x) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखङ या धारा 115ङ या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	25,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,25,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	20,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,20,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ;
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या	
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,	
और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्‌गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(viii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 89 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 27 में, टैरिफ मद 2701 12 00 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्ट के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 72 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(3) अध्याय 73 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(4) अध्याय 87 में, शीर्ष 8702 और 8704 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 102 देखिए)

<table>
<tr><th>अधिसूचना संख्यांक और तारीख</th><th>संशोधन</th><th>संशोधन के प्रभावी होने की अवधि</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>सा0का0नि0 संख्यांक 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 [12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012], जिसका, सा0का0नि0 संख्यांक 75 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2014 [03/2014-केंद्रीय उत्पाद -शुल्क, तारीख 3 फरवरी, 2014] द्वारा संशोधन किया गया।</td><td>उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 205 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th></tr>
<tr><td>“205क</td><td>7302 या 8530</td><td>लौह या इस्पात की रेल या ट्राम पथ निर्माण सामग्री ।
स्पष्टीकरण—इस छूट के प्रयोजनों के लिए, माल का मूल्य रेल के मूल्य को अपवर्जित करते हुए माल का मूल्य होगा ।</td><td>12%</td><td>49”;</td></tr>
</table></td><td>17 मार्च, 2012 से 2 फरवरी, 2014 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)</td></tr>
</table>

चौथी अनुसूची

(धारा 103 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(i) क्रम संख्यांक 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं0	**शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
"15क.	2101 20	चाय या मेट के निष्कर्ष, सत और सांद्र और इन निष्कर्ष, सतों या सांद्रों के आधार वाली या चाय या मेट के आधार वाली निर्मितियां";

(ii) क्रम संख्यांक 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं0	**शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
"23क.	2202	सभी माल";

(iii) क्रम संख्यांक 94 के सामने,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "अध्याय 85 या अध्याय 94" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) स्तंभ (3) में "आटोमोबाइल्स के लिए लैम्प के सिवाय" शब्दों के स्थान पर "शीर्ष 8539 के अधीन आने वाला (आटोमोबाइल्स के लिए लैम्प के सिवाय), एलईडी लाइट्स या फिक्सचर्स जिसके अंतर्गत अध्याय 85 या शीर्ष 9405 के अधीन आने वाला एलईडी लैम्प भी है" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 104 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(i) अध्याय 4 में, टैरिफ मद 0402 91 10 और 0402 99 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) अध्याय 11 में,—

(क) शीर्ष 1107 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 1108 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 1108 20 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) अध्याय 13 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर (टैरिफ मद 1302 11 00 के सिवाय) सभी टैरिफ मदों के सामने "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) अध्याय 15 में,—

(क) टैरिफ मद 1517 10 22 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 1520 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 1521 और शीर्ष 1522 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) अध्याय 17 में शीर्ष 1701 (टैरिफ मद 1701 13 20 और 1701 14 20 के सिवाय), 1702 (टैरिफ मद 1702 90 10 के सिवाय) और 1704 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) अध्याय 18 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) अध्याय 19 में,—

(क) टैरिफ मद 1901 20 00, 1901 90 10 और 1901 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 1902 40 10 और 1902 40 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 1904 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 1905 32 11, 1905 32 19 और 1905 32 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर,"12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) अध्याय 21 में,—

(क) शीर्ष 2101 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2101 30 10, 2101 30 20 और 2101 30 90 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 2102, 2103 और 2104 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 2106 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2106 90 20 और 2106 90 92 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) अध्याय 22 में,—

(क) शीर्ष 2201 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2201 90 10 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2202 10 10, 2202 10 20 और 2202 10 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "18%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2202 90 30 और 2202 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2207 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 2209 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) अध्याय 24 में,—

(क) टैरिफ मद 2402 10 10 और 2402 10 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार, जो भी उच्चतर हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2402 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1280 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2402 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2335 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1280 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 2402 20 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1740 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2335 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) टैरिफ मद 2402 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "3375 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 2402 90 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "3375 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(झ) टैरिफ मद 2402 90 20 और 2402 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार, जो भी उच्चतर हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ञ) टैरिफ मद 2403 99 70 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70 रुपए प्रति कि. ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) अध्याय 25 में,—

(क) टैरिफ मद 2503 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2515 12 20 और 2515 12 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2523 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2523 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) उपशीर्ष 2523 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1000 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2523 30 00, 2523 90 10, 2523 90 20 और 2523 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) अध्याय 26 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) अध्याय 27 में, टैरिफ मद 2710 19 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "14% + 15 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) अध्याय 28 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2804 40 10, 2844 30 22, 2845 10 00, 2845 90 10 और 2853 00 30 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) अध्याय 29 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2933 41 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) अध्याय 31 में शीर्ष 3102, 3103, 3104 और 3105 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) अध्याय 32 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3215 90 10 और 3215 90 20 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) अध्याय 33 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3307 41 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) अध्याय 34 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) अध्याय 35 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) अध्याय 36 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) अध्याय 37 में शीर्ष 3701, 3702, 3703, 3704 और 3707 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) अध्याय 38 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3824 50 10, 3825 10 00, 3825 20 00 और 3825 30 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) अध्याय 39 में,—

(क) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3916 10 20, 3916 20 11, 3916 20 91, 3916 90 10, 3923 21 00, 3923 29 10 और 3923 29 90 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 3923 21 00, 3923 29 10 और 3923 29 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "18%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) अध्याय 40 में,—

(क) शीर्ष 4002 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 4003 00 00 और 4004 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 4005 से 4007, 4008 (टैरिफ मद 4008 19 10, 4008 21 10 और 4008 29 20 के सिवाय), 4009 से 4011 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 4012 90 10 से 4012 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 4013, 4014 (टैरिफ मद 4014 10 10 और 4014 10 20 के सिवाय), 4015, 4016 और 4017 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) अध्याय 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) अध्याय 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) अध्याय 44 में,—

(क) शीर्ष 4401, 4403, 4404, 4406, 4408 (टैरिफ मद 4408 10 30, 4408 31 30, 4408 39 30 और 4408 90 20 के सिवाय), 4409 से 4412 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 4413 00 00 और 4414 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 4415 और 4416 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 4417 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 4418 से 4421 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) अध्याय 45 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) अध्याय 47 में, शीर्ष 4707 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) अध्याय 48 में,—

(क) शीर्ष 4803, 4806 (टैरिफ मद 4806 20 00 और 4806 40 10 के सिवाय), 4809 और 4811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 4812 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 4813, 4814, 4816, 4818, 4819 (टैरिफ मद 4819 20 10 के सिवाय), 4820 से 4822 और 4823 (टैरिफ मद 4823 90 11 के सिवाय), की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) अध्याय 49 में, शीर्ष 4908 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) अध्याय 50 में, शीर्ष 5004 से 5007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) अध्याय 51 में, शीर्ष 5105 से 5113 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) अध्याय 52 में, शीर्ष 5204 से 5212 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) अध्याय 53 में, शीर्ष 5302, 5305, 5306, 5307 (टैरिफ मद 5307 10 90 के सिवाय), 5308 (टैरिफ मद 5308 10 10, 5308 10 20 और 5308 10 90 के सिवाय), 5309, 5310 और 5311 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) अध्याय 54 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) अध्याय 55 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) अध्याय 56 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) अध्याय 57 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) अध्याय 58 में, शीर्ष 5801, 5802, 5803, 5804 (टैरिफ मद 5804 30 00 के सिवाय), 5806 और 5808 से 5811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) अध्याय 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) अध्याय 60 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) अध्याय 61 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) अध्याय 62 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) अध्याय 63 में,—

(क) शीर्ष 6301 से 6307 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 6308 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) अध्याय 64 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) अध्याय 65 की (टैरिफ मद 6503 00 00 के सिवाय) सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) अध्याय 66 में शीर्ष 6603 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(l) अध्याय 67 में शीर्ष 6702 से 6704 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(li) अध्याय 68 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lii) अध्याय 69 में (टैरिफ मद 6901 00 10 और 6904 10 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liii) अध्याय 70 में (टैरिफ मद 7012 00 00, 7018 10 10, 7018 10 20, 7020 00 11, 7020 00 12 और 7020 00 21 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liv) अध्याय 71 में,—

(क) शीर्ष 7101, 7103, 7104 (टैरिफ मद 7104 10 00 के सिवाय), 7105 और 7106 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 7107 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 7108 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 7109 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 7110 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 7111 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) शीर्ष 7112 से 7116 और 7118 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lv) अध्याय 72 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvi) अध्याय 73 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvii) अध्याय 74 में,—

(क) शीर्ष 7401 से 7404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 7405 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 7406 से 7412 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 7413 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 7415, 7418 और 7419 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lviii) अध्याय 75 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lix) अध्याय 76 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lx) अध्याय 78 में, शीर्ष 7801, 7802, 7804 और 7806 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxi) अध्याय 79 में, शीर्ष 7901 से 7905 और 7907 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxii) अध्याय 80 में, शीर्ष 8001, 8002, 8003 और 8007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxiii) अध्याय 81 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxiv) अध्याय 82 में (टैरिफ मद 8215 10 00, 8215 20 00, 8215 91 00 और 8215 99 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxv) अध्याय 83 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxvi) अध्याय 84 में, शीर्ष 8401 से 8423, 8424 (टैरिफ मद 8424 81 00 के सिवाय), 8425 से 8431, 8434, 8435, 8438 से 8451, 8452 (टैरिफ मद 8452 10 12, 8452 10 22, 8452 30 10, 8452 30 90, 8452 90 11, 8452 90 19, 8452 90 91 और 8452 90 99 के सिवाय), 8453 से 8468, 8469 (टैरिफ मद 8469 00 30 और 8469 00 40 के सिवाय), 8470 से 8478, 8479 (टैरिफ मद 8479 89 92 के सिवाय), 8480 से 8484, 8486 और 8487 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxvii) अध्याय 85 में,—

(क) शीर्ष 8501 से 8519, 8521, 8522, 8523, 8525 से 8533 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 8534 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 8535 से 8547 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 8548 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxviii) अध्याय 86 में,—

(क) टैरिफ मद 8604 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 8607 और 8608 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 8609 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxix) अध्याय 87 में,—

(क) शीर्ष 8701, 8702 (टैरिफ मद 8702 10 11, 8702 10 12, 8702 10 19, 8702 90 11, 8702 90 12 और 8702 90 19 के सिवाय), की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मदें 8703 10 10 और 8703 90 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 8704 (टैरिफ मद 8704 10 90, 8704 31 90, 8704 32 19, 8704 32 90, 8704 90 19 और 8704 90 90 के सिवाय) और 8705 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 8706 00 11, 8706 00 19, 8706 00 31, 8706 00 41 और 8706 00 50 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 8707, 8708 और 8709 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 8710 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) शीर्ष 8711, 8712 और 8714 से 8716 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxx) अध्याय 88 में, शीर्ष 8802 (टैरिफ मद 8802 60 00 के सिवाय) और 8803 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxi) अध्याय 89 में,—

(क) शीर्ष 8903 और 8907 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 8908 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxii) अध्याय 90 में,—

(क) शीर्ष 9001 (टैरिफ मद 9001 40 10, 9001 40 90 और 9001 50 00 के सिवाय), 9002 से 9008, 9010 से 9016, 9017 (टैरिफ मद 9017 20 10, 9017 20 20, 9017 20 30 और 9017 20 90 के सिवाय), 9018 और 9019 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 9020 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 9022 से 9032 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 9033 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxiii) अध्याय 91 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxiv) अध्याय 92 में,—

(क) शीर्ष 9201, 9202 और 9205 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 9206 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 9207 से 9209 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxv) अध्याय 93 में,—

(क) टैरिफ मद 9302 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 9303 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 9304 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 9305 और 9306 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 9307 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxvi) अध्याय 94 में (टैरिफ मद 9405 50 10 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxvii) अध्याय 95 में शीर्ष 9503 से 9508 (टैरिफ मद 9508 10 00 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxviii) अध्याय 96 में,—

(क) शीर्ष 9601 से 9603 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 9604 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 9605, 9606 में (टैरिफ मदें 9606 21 00, 9606 22 00, 9606 29 10, 9606 29 90 और 9606 30 10 के सिवाय) और 9607 से 9608 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 9611 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) शीर्ष 9612 और 9613 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 9614 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) शीर्ष 9616 और 9617 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 9618 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2** वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है ।

निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में आय-कर की उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वे दरें हैं, जो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है । ये दरें वही हैं, जो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी, सिवाय 1 मार्च, 1976 को या उसके पश्चात् तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और फीस के संदाय की दशा में अब स्रोत पर कर की कटौती पच्चीस प्रतिशत की पूर्व दर के स्थान पर दस प्रतिशत की दर से की जाएगी।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में—

(i) प्रत्येक अनिवासी (कंपनी से भिन्न) की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(iii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए उन दरों को, जिन पर "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और उन दरों को भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

इस भाग के पैरा क में आय-कर की निम्नलिखित दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि की दशा में [उपपैरा (ii) और उप पैरा (iii) में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित से भिन्न] या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है :—

2,50,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है:—

3,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष की या अधिक की आयु का है:—

5,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

इस पैरा में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । ऐसी सहकारी सोसाइटियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसी फर्मों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह

प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । देशी कंपनियों और देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों, दोनों की दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । तथापि, देशी कम्पनी की दशा में निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए 30 प्रतिशत से कम करके 29 प्रतिशत कर दी जाएगी;

ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है,सात प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दो प्रतिशत की दर से अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

सभी अन्य मामलों (जिनमें धारा 115ञख, धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115भक आदि भी हैं) में, अधिभार बारह प्रतिशत की दर से लागू होगा ।

पहली अनुसूची के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में दो प्रतिशत की दर से "शिक्षा उपकर" और एक प्रतिशत की दर से "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा । पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, स्रोत से कटौती किए गए या संगृहीत कर पर कोई शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का उद्‌ग्रहण नहीं किया जाएगा । दोनों उपकर, वेतन भुगतानों की दशा में स्रोत पर कटौती किए गए कर के संबंध में लागू रहेंगे । ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उद्‌ग्रहीत किए जाते रहेंगे ।

विधेयक का **खंड 3,** आय-कर अधिनियम की धारा 2 का, जो परिभाषाओं से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (13क) को, "कारबार न्यास" को निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत न्यास के रूप में परिभाषित करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है,—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन कोई अवसंरचना विनिधान न्यास; या

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन कोई भू-संपदा विनिधान न्यास; और

जिनकी इकाइयों का पूर्वोक्त विनियमों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड 15 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि पूर्त प्रयोजन की परिभाषा के अंतर्गत शिक्षा और चिकित्सा सहायता के अनुरूप "योग" भी विनिर्दिष्ट रूप से एक पृथक् प्रवर्ग के रूप में आएगा ।

पूर्वोक्त धारा के खण्ड 15 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का और प्रस्ताव है कि सामान्य लोक उपयोगी किसी ऐसे अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप करना अंतर्वलित है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की कोई भी प्रकृति हो, जब तक कि—

(i) ऐसा क्रियाकलाप किसी अन्य सामान्य लोक उपयोगी उद्देश्य के ऐसे उद्‌ग्रहण को वस्तुतः क्रियान्वित करने के अनुक्रम में हाथ में लिया गया है; और

(ii) ऐसे क्रियाकलाप या क्रियाकलापों से सकल प्राप्तियां, पूर्ववर्ष के दौरान, उस न्यास या संस्था की, जो ऐसा क्रियाकलाप या ऐसे क्रियाकलाप हाथ में लेती है, पूर्ववर्ष की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

उक्त धारा के खंड (37क) का भी यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 194ठखक के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में, "प्रवृत्त दरें" से सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आय-कर की दर या दरें अभिप्रेत होंगी ।

उक्त धारा के खंड (42क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में अल्पकालीन पूंजी आस्ति की परिभाषा का उपबंध है । उक्त खंड के स्पष्टीकरण 1 में उस अवधि के अवधारण का उपबंध है, जिसके लिए पूंजी आस्ति निर्धारिती द्वारा धारित की जाती है ।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (i) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट या यूनिटें हैं, की दशा में जो धारा 47 के खंड (xviii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके लिए पारस्परिक निधि की समेकन स्कीम में यूनिट या यूनिटें निर्धारिती द्वारा धारित की गई थीं ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-2017 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 4,** आय-कर अधिनियम की धारा 6 का, जो भारत में निवास के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कोई व्यष्टि किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाता है जब कि वह उस वर्ष के पूर्ववर्ती चार वर्षों के अंदर कुल मिलाकर तीन सौ पैंसठ या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में होते हुए, उस वर्ष कुल मिलाकर साठ या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में रहा है । उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण का खंड (क) यह उपबंध करता है कि ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत का नागरिक है, जो किसी भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में किसी पूर्ववर्ष में 'भारत' छोड़ देता है, तो ऊपर वर्णित साठ दिन की शर्त, एक सौ बयासी दिनों तक विस्तारित की जाती है ।

उक्त खण्ड का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करके एक नया स्पष्टीकरण 2 अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि किसी व्यष्टि की, जो भारत का नागरिक है और भारत से विदेश को जाने वाले पोत के कर्मीदल के सदस्य की दशा में, ऐसी समुद्र यात्रा के संबंध में, भारत में रहने की कालावधि

या कालावधियां ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन अवधारित की जाएंगी, जो विहित की जाएं ।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-2016 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा के खण्ड (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई कंपनी किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी तब कही जाती है जबकि—

(i) वह एक भारतीय कंपनी है ; या

(ii) उस वर्ष के दौरान उसके कामकाज का नियंत्रण और प्रबंध संपूर्णतः भारत में स्थित रहा है ।

उक्त खण्ड (3) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि कोई कंपनी किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होगी, यदि—

(क) वह एक भारतीय कंपनी है ; या

(ख) उस वर्ष में किसी समय उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में रहा है ।

इसमें एक स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि "प्रभावी प्रबंध का स्थान" पद से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां किसी इकाई के कारबार के संपूर्ण संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंध संबंधी और वाणिज्यिक विनिश्चय सारवान् रूप में किए जाते हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-2017 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होगा।

विधेयक का **खंड 5,** आय-कर अधिनियम की धारा 9 का, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

उपधारा (1) का खंड (i) परिस्थितियों के ऐसे समूह का उपबंध करता है जिसमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय, भारत में कराधेय है । उक्त खंड का स्पष्टीकरण 5 उपबंध करता है कि ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या सत्ता में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा और सदैव यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है यदि उस शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है ।

उक्त खंड (i) को संशोधित करने और स्पष्टीकरण 6 अंतःस्थापित करके यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि शेयर या हित, भारत में अवस्थित आस्तियों (चाहे मूर्त हों या अमूर्त) से अपना मूल्य सारवान रूप से प्राप्त करना समझा जाएगा यदि निर्दिष्ट तारीख को ऐसी आस्तियों का मूल्य दस करोड़ रुपए की रकम से अधिक हो और वह, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता के स्वामित्व वाली सभी आस्तियों के उचित बाजार मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हों । उक्त स्पष्टीकरण पर आस्तियों का मूल्य और विनिर्दिष्ट तारीख की परिभाषा का उपबंध करना भी प्रस्तावित है ।

उक्त खंड में यह उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण 7 को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट शेयर या हित के अंतरक की दशा में आय प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होगी जब तक कि—

(क) वह अपने सहबद्ध उद्यमियों के साथ,—

(i) न तो नियंत्रण अथवा प्रबंध का अधिकार धारित करता है,

(ii) और न ही भारतीय आस्तियां (प्रत्यक्षतः धारित कंपनी) प्रत्यक्षतः धारित करने वाली किसी विदेशी कंपनी या सत्ता में कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित धारित करता है;

(ख) ऐसी विदेशी सत्ता में शेयर या हित के अंतरण की दशा में जो भारतीय आस्तियां प्रत्यक्षतः धारित नहीं करती है, यदि वह अपने सहयुक्त उद्यमियों के साथ,—

(i) न तो ऐसी, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता के संबंध में, प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार धारित करता है,

(ii) न ही ऐसी कंपनी में कोई अधिकार धारित करता है जो उसे प्रत्यक्ष धारित कंपनी के नियंत्रण और प्रबंध का प्रयोग करने के लिए हकदार बनाए या प्रत्यक्ष धारित कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति का हकदार बनाए ।

धारा 9 की उपधारा (1) का खण्ड (v) ब्याज की आय से संबंधित है और यह उपबंध करता है कि चाहे ब्याज के रूप में आय उक्त खण्ड में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा संदेय है तो उसे भारत में प्रौद्भूत और उद्भूत समझा जाएगा।

यह उपबंध करने के लिए उक्त खण्ड का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी अनिवासी की दशा में जो बैंककारी कारबार मे लगा कोई व्यक्ति है, ऐसे अनिवासी के भारत में के स्थायी स्थापन द्वारा ऐसे अनिवासी के भारत के बाहर के प्रधान कार्यालय या उसके किसी अन्य भाग को संदेय कोई ब्याज भारत में प्रौद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा और वह भारत में के स्थायी स्थापन को हुई मानी जाने वाली किसी आय के अतिरिक्त कर से प्रभार्य होगी और भारत में के स्थायी स्थापन को उस अनिवासी व्यक्ति से पृथक् और स्वतंत्र व्यक्ति समझा जाएगा जिसका कि वह स्थायी स्थापन है और कुल आय की संगणना, कर के अवधारण और संग्रहण तथा वसूली से संबंधित अधिनियम के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खण्ड (iiiक) में उसका है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 6,** कतिपय क्रियाकलाप भारत में कारबारी संबंध नहीं होने से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 9क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

धारा 9 की उपधारा (1) का खंड (i) परिस्थितियों के ऐसे समूह का उपबंध करता है जिनमें आय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत या उद्भूत होना समझी जाती है और भारत में कराधेय है ।

प्रस्तावित नई धारा 9 की उप धारा (1) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि पात्र विनिधान निधि, ऐसी निधि की ओर से कार्यरत किसी पात्र निधि प्रबन्धक के द्वारा की जा रही कोई निधि प्रबंध क्रियाकलाप उक्त निधि का भारत में कारबार के संबंध में सम्मिलित नहीं होगा।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 6 के प्रयोजनों के लिए कोई पात्र विनिधान निधि मात्र इसलिए निवासी नहीं कही जाएगी कि अपनी ओर से निधि प्रबंध क्रियाकलाप करने वाला पात्र निधि प्रबंधक भारत में अवस्थित है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि पात्र विनिधान निधि से अभिप्रेत है भारत के बाहर किसी न्यास या कंपनी या

सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में स्थापित निगमित या रजिस्ट्रीकृत कोई निधि, जो अपने सदस्यों के फायदे के लिए विनिधान करने हेतु इसे अपने सदस्यों से एकत्रित करती है और उपधारा में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करती है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी पात्र विनिधान के संबंध में पात्र निधि प्रबंधक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निधि प्रबंध के क्रियाकलापों में लगा हुआ है और उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा करता है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि प्रत्येक पात्र विनिधान निधि अपने क्रियाकलापों के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंत से नब्बे दिन के भीतर विहित आय प्राधिकारी को विहित प्ररूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगी ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (6) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसी आय, कुल आय से अपवर्जित नहीं की जाएगी जिसे इस पर विचार किए बिना सम्मिलित किया गया होता कि क्या पात्र निधि प्रबंधक के क्रियाकलाप ऐसी निधि का भारत में कारबारी संबंध होने हैं या नहीं ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (7) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, पात्र निधि प्रबंधक की दशा में कुल आय या कुल आय के अवधारण के कार्यक्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगी ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (8) में कतिपय पदों जैसे, "सहयोजित" "संबद्ध व्यक्ति" "समग्र" "सत्ता" और "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" को परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 7,** आय-कर अधिनियम की धारा 10 का, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा का उसमें एक नया खंड (11क) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के अधीन बनाई गई सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 के अनुसार खोले गए खाते से किया गया कोई संदाय निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा के खण्ड (23ग) के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि कतिपय आय के सम्बन्ध में कर से पूर्तनिधियां या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि जैसी संस्था; प्रधानमंत्री निधि (लोक कला विकास); प्रधानमंत्री विद्यार्थी निधि सहायता निधि राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान आदि को छूट के लिए है।

पूर्वोक्त खंड का उसमें दो नए उपखंड, उपखंड (iiiकक) और उपखंड (iiiककक) अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय को छूट दी जा सके और केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय को छूट दी जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इसमें मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा ऐसे विनियमों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, किसी स्थापित ऐसी आंतरिक समझौता प्रत्याभूति निधि की कोई विनिर्दिष्ट आय की बाबत छूट का उपबंध करने के लिए पूर्वोक्त धारा में एक नया खंड (23डड) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा का खंड (23चख) यह उपबंध करता है कि किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान से जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई आय, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

उक्त खंड का, उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की किसी आय को, जो धारा 115पख के स्पष्टीकरण (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक विनिधान निधि है, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए छूट प्राप्त नहीं होगी ।

उक्त धारा का खंड (23चख) यह उपबंध करता है कि किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान से किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई आय, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

उक्त खंड में यह उपबंध करने के लिए परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई आय, जो किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की किसी आय, जो 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए धारा 115पख के स्पष्टीकरण के खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक विनिधान निधि है, के संबंध में लागू नहीं होगी ।

पूर्वोक्त धारा में एक नया खंड (23चखक) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि वृद्धि या "कारबार के लाभों और अभिलाभों" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से भिन्न किसी विनिधान निधि की कोई आय ऐसी निधि की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

एक नया खंड (23 चख) भी यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि किसी विनिधान निधि में आई आय किसी यूनिट धारक को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय, जो उस आय का वह अनुपात हो, जिसकी प्रकृति कारबार या वृत्ति के "लाभों और अभिलाभों" के शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के समान है, ऐसे व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

नया खंड (चगक) को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधों किया जा सके कि किसी कारबार न्यास, जो कि एक भू-संपदा विनिधान न्यास हो, की ऐसे कारबार न्यास के प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन किसी भू-संपदा आस्ति को किराए या पट्टे या भाटक पर देने से प्राप्त कोई आय, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

नया खण्ड (चघ) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का और प्रस्ताव है कि, धारा 115पक में निर्दिष्ट ऐसी कोई वितरित आय, जो कारबार न्यास से किसी यूनिट धारक द्वारा प्राप्त की गई है, जो उस आय के अनुपात में, जो कारबार न्यास द्वारा प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन किसी भू-संपदा आस्ति को किराए पर या पट्टे पर या भाटक पर देने से प्राप्त हुई प्रकृति की आय है, कुल आय में सम्मिलित की जाएगी और उसे छूट प्राप्त नहीं होगी ।

उक्त धारा के खण्ड (38) का संशोधन करने का भी यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव है कि किसी कारबार न्यास की यूनिटों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की कोई आय, जो विशेष प्रयोजन एकक में शेयरों के विनिमय के प्रतिफलस्वरूप अर्जित की गई थी और जिस पर प्रतिभूति संव्यवहार कर संदत्त कर दिया है, प्रायोजक की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 8,** आय-कर अधिनियम की धारा 11 का, जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय का पचासी प्रतिशत पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में प्रयुक्त न हो या प्रयुक्त न समझा जाए किंतु भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त किए जाने के लिए पूर्णतः या भागतः संचित किया जाए या अलग रखा जाए वहां ऐसी आय जो इस प्रकार संचित या अलग रखी गई हो उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी । तथापि, उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है कि,—

(i) ऐसा व्यक्ति लिखित सूचना द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप 10 में वह प्रयोजन जिसके लिए आय संचित की जा रही है या अलग रखी जा रही है और वह कालावधि जिसके लिए आय संचित की जानी है या अलग रखी जानी है, दस वर्ष से अधिक नहीं है, विनिर्दिष्ट कर दे; और

(ii) इस प्रकार संचित किया गया या अलग रखा गया धन धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों में विनिहित या निक्षिप्त कर दिया जाए ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों का संशोधन करने की दृष्टि से उक्त उपधारा के खंड (क) में विनिर्दिष्ट दस वर्ष की कालावधि को घटा कर पांच वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है । एक नया खंड अंतःस्थापित करने के लिए और प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त उपखंड (1) में निर्दिष्ट विवरण पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पहले दे दिया जाए। विद्यमान पहले और दूसरे परंतुकों के स्थान पर एक नया परंतुक रखने का भी प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि खंड (क) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की कालावधि की संगणना करने में वह कालावधि जिसके दौरान आय उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए आय इस प्रकार संचित की गई है या अलग रखी गई है, किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश के कारण प्रयुक्त नहीं की जा सकी है, अपवर्जित कर दी जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 9**, आय-कर अधिनियम की धारा 13 का, जो कतिपय दशाओं में धारा 11 के लागू न होने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि धारा 11 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार प्रभाव नहीं होगा जिससे किसी आय को उसके प्राप्तकर्ता व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय से अपवर्जित हो जाए, यदि—

(i) ऐसी आय की बाबत उक्त उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उसके पूर्व न दे दिया जाए;

(ii) पूर्ववर्ष की आय की विवरणी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्ववर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उसके पूर्व न दे दी जाए;

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 10**, आय-कर अधिनियम की धारा 32 का, जो अवक्षयण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में या बिजली के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के कारबार में लगे किसी निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2005 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर और राशि के अवक्षयण के रूप में भी कटौती अनुज्ञात की गई है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारिती आन्ध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य में केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी पिछड़े क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है और कोई उपक्रम या कोई उद्यम संस्थापित करता है और उक्त पिछड़े क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2020 के पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए कोई नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) अर्जित और संस्थापित करता है, तो खंड (iiक) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पैंतीस प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हैं।

परिणामतः, पूर्वोक्त धारा 32 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में खंड (iiक) में अंतःस्थापित नए परंतुक का निर्देश अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

धारा 32 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कोई आस्ति, निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित की जाती है और उस पूर्ववर्ष में एक सौ अस्सी दिन से कम की अवधि के लिए कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, वहां ऐसी आस्ति की बाबत इस उपधारा के अधीन कटौती, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iiक) के अधीन किसी आस्ति के लिए विहित प्रतिशतता के आधार पर परिकलित रकम के पचास प्रतिशत तक निर्बंधित होगी ।

धारा 32 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात् एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां, यथास्थिति, खंड (iiक) या खंड (iiक) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट कोई आस्ति, निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित की जाती है और उस पूर्ववर्ष में एक सौ अस्सी दिन से कम की अवधि के लिए कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है और ऐसी आस्ति की बाबत इस उपधारा के अधीन कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए खंड (iiक) के अधीन किसी आस्ति के लिए विहित प्रतिशतता के आधार पर परिकलित रकम के पचास प्रतिशत तक निर्बंधित की जाती है, तो खंड (iiक) के अधीन ऐसी आस्ति के लिए विहित प्रतिशतता के आधार पर परिकलित रकम के शेष पचास प्रतिशत की कटौती ऐसी आस्ति की बाबत ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष में इस उपधारा के अधीन अनुज्ञात की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 11**, आय-कर अधिनियम में, कतिपय राज्यों में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान के संबंध में एक नई धारा 32कघ अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई निर्धारिती, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश राज्य में या तेलंगाना राज्य में केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी पिछड़े क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् किसी उपक्रम या उद्यम की स्थापना करता है और उक्त पिछड़े क्षेत्र में उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी नई आस्ति का अर्जन करता है और उसे प्रतिष्ठापित करता है, वहां उस पूर्ववर्ष से, जिसमें नई आस्ति प्रतिष्ठापित की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी नई आस्ति की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

प्रस्तावित पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि यदि निर्धारिती द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठापित किसी नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित

किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट कारबार के समामेलन या निर्विलियन या पुनःसंगठन के संबंध में के सिवाय, विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, तो ऐसी नई आस्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम को, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी नई आस्ति का विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, ऐसी नई आस्ति के अंतरण के मद्दे उद्भूत अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

प्रस्तावित पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि जहां नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट कारबार के समामेलन या निर्विलियन या पुनःसंगठन के संबंध में विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, वहां उपधारा (2) के उपबंध, यथास्थिति, धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी या उत्तरवर्ती कंपनी को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट समामेलक कंपनी या निर्विलीन कंपनी या उत्तरवर्ती कंपनी को लागू होते हैं ।

प्रस्तावित पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नई आस्ति" से कोई नया संयंत्र या मशीनरी (पोत या वायुयान से भिन्न) अभिप्रेत है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं—

(क) ऐसा कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा उसके प्रतिष्ठापित किए जाने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर किया गया था ;

(ख) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की आवास सुविधा भी है, प्रतिष्ठापित कोई संयंत्र या मशीनरी ;

(ग) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है ;

(घ) कोई यान ; या

(ङ) कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को किसी पूर्ववर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 12**, आय-कर अधिनियम की धारा 35 का, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2कक) के विद्यमान परंतुक में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि विहित प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा । उक्त परंतुक में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त का निर्देश अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे विहित प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2कख) के खंड (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि कोई भी कंपनी खंड (1) के अधीन कटौती के लिए तब तक हकदार नहीं होगी जब तक कि वह ऐसे अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए तथा उस सुविधा के लिए रखे गए लेखाओं की संपरीक्षा के लिए विहित प्राधिकारी से करार नहीं करती है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2कख) के खंड (3) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि कोई भी कंपनी खंड (1) के अधीन कटौती के लिए तब तक हकदार नहीं होगी जब तक कि वह ऐसे अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए विहित प्राधिकारी के साथ करार नहीं करती है और ऐसे करार के समय विद्यमान विहित शर्तों को पूरा नहीं करती है ।

उक्त धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह और उपबंधित है कि विहित प्राधिकारी उक्त अनुसंधान और विकास सुविधा के अनुमोदन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा। उक्त खंड में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त का निर्देश अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे विहित प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 13,** आय-कर अधिनियम की धारा 47 का, जो अंतरण में नहीं समझे जाने वाले संव्यवहारों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 47 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि पूंजी अभिलाभ उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अंतरणों को लागू नहीं होते हैं ।

उक्त धारा के खंड (viक) में यह उपबंध है कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा ऐसी पूंजी आस्ति का, जो भारतीय कंपनी के शेयर हैं, किसी दूसरी विदेशी कंपनी को समामेलन की स्कीम के अधीन अंतरण को इस खंड में उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए अंतरण में समझा जाएगा । उक्त धारा का खंड (viग) में यह उपबंधित है कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा ऐसी पूंजी आस्ति का, जो भारतीय कंपनी के शेयर हैं, किसी दूसरी विदेशी कंपनी को समामेलन की स्कीम के अधीन अंतरण को इस खंड में उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए अंतरण समझा जाएगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि निम्नलिखित अंतरणों को उक्त धारा के अधीन अंतरण नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :—

(i) समामेलन की स्कीम में किसी ऐसी पूंजी आस्ति का, धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी ऐसी विदेशी कंपनी का शेयर है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः समामेलक विदेशी कंपनी द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से अपने मूल्य सारवान रूप से व्युत्पन्न करती है, समामेलित विदेशी कंपनी को उसमें उपबंधित शर्तों के अधीन अंतरण ;

(ii) किसी निर्विलयन में ऐसी पूंजी आस्ति का, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट किसी ऐसी विदेशी कंपनी का शेयर है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निर्विलीन विदेशी कंपनी द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से अपने मूल्य सारवान रूप से व्युत्पन्न करती है, परिणामी विदेशी कंपनी को उसमें उपबंधित शर्तों के अधीन अंतरण ;

धारा 47 का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूंजी अभिलाभ किसी यूनिट धारक द्वारा, किसी पारस्परिक निधि की समेकन स्कीम में किसी पूंजी आस्ति के जो यूनिट है या हैं, किसी अंतरण को लागू नहीं होंगे, यदि अंतरण उसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अनुसार पारस्परिक निधि की स्कीमों के समेकन की प्रक्रिया के अधीन पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम में यूनिटों के आबंटन के प्रतिफलस्वरूप किया गया है । तथापि, समेकन साधारण शेयरोन्मुख निधि की दो या अधिक स्कीमों के बीच है या साधारण शेयरोन्मुख निधि से भिन्न निधि की दो या अधिक स्कीमों के बीच है ।

इसमें "समेकन स्कीम ", "समेकित स्कीम", "शेयरोन्मुख निधि" और "पारस्परिक निधि" पदों को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन से 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 14,** आय-कर अधिनियम की धारा 49 का, जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां पूंजी आस्ति कतिपय परिस्थितियों के अधीन निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां उस आस्ति के अर्जन की लागत, वह लागत जिस पर कि संपत्ति के पूर्वतन स्वामी ने उसे अर्जित किया, समझी जाएगी जैसी कि यथास्थिति पूर्वतन स्वामी या निर्धारिती द्वारा उपगत या उठाई गई आस्तियों के किसी सुधार की लागत को जोड़ कर आए ।

उक्त उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ङ) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त उपखंड में धारा 47 के खंड (viख) में निर्दिष्ट अंतरण को सम्मिलित किया जा सके ।

पूर्वोक्त उपखण्ड (ङ) का , कतिपय मामलों में विदेशी कम्पनी या इकाई के शेयरों का हित की बावत अर्जन की लागत की अवधारणा का उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव यह उपबंध करता है कि जहां पूंजी आस्ति, पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम की यूनिट या यूनिटों का धारा 47 के खंड (xviii) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत, पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम की यूनिट या यूनिटों के अर्जन की बाबत उसकी लागत समझी जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 15,** आय-कर अधिनियम की धारा 80ग का, जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि आदि में अभिदाय के संबंध में कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) और उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि स्कीम में ऐसा विनिर्दिष्ट हो, तो उस व्यष्टि की किसी बालिका के नाम में या ऐसी किसी बालिका के नाम में, जिसका ऐसा व्यष्टि विधिक संरक्षक है, वर्ष के दौरान अभिदाय के रूप में संदत्त या जमा राशि कटौती के लिए पात्र होगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 16,** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग का, जो कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि किसी निर्धारिती को, जो व्यष्टि है, उसकी कुल आय की संगणना करने में, किसी पेंशन स्कीम के अधीन स्थापित किसी निधि से पेंशन प्राप्त करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना के लिए संविदा करने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए, उसके द्वारा संदत्त या निक्षिप्त एक लाख रुपए तक की रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कटौती की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 17,** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का, जो केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80गगघ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियोजित किसी ऐसे व्यष्टि या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित किसी ऐसे व्यष्टि की दशा में, जिसने पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है, ऐसी रकम की कटौती, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, अनुज्ञात की जाएगी ।

उपधारा (1क) का लोप करने और एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यष्टि को इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अधीन रहते हुए पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त पूरी रकम की अतिरिक्त कटौती जो पचास हजार रुपए से अधिक न हो, उसकी कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी । यह उपबंध करने का प्रस्ताव भी है कि ऐसी रकम जिस पर उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा और उसे अनुज्ञात किया गया है, की बाबत इस उपधारा में कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

धारा 80गगघ की उपधारा (3) और उपधारा (4) में पारिणामिक संशोधन का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 18,** आय-कर अधिनियम की धारा 80घ का, जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे किसी निर्धारिती के लिए, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, निर्धारिती या उसके कुटुंब का स्वास्थ्य बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए नकद से भिन्न किसी ढंग द्वारा संदत्त स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में या किसी अन्य अधिसूचित स्कीम में किए गए किसी अभिदाय या निर्धारिती या उसके कुटुंब की निवारक स्वास्थ्य जांच के मद्दे किसी संदाय के लिए पन्द्रह हजार रुपए की कटौती का उपबंध है । किसी व्यष्टि निर्धारिती को निर्धारिती के माता-पिता अथवा माता-पिता के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए पन्द्रह हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती का उपबंध किया गया है । बीस हजार रुपए की कटौती का, दोनों दशाओं में, उपबंध है, यदि बीमाकृत व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कटौती की रकम पन्द्रह हजार रुपए से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपए की जा सके ।

"अति वरिष्ठ नागरिक" को इस रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव है कि इससे भारत में ऐसा कोई व्यष्टि निवासी अभिप्रेत है, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है ।

वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती की रकम बीस हजार रुपए से बढ़ाकर तीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किसी अति वरिष्ठ नागरिक के संबंध में चिकित्सा व्यय के मद्दे किया गया कोई संदाय, यदि ऐसा कोई संदाय ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए नहीं किया गया

है, जो तीस हजार रुपए से अधिक नहीं है, धारा 80घ के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव भी है कि निर्धारिती या उसके कुटुम्ब की बाबत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम मद्दे संकलित कटौती तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार माता-पिता की बाबत संकलित कटौती का तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होने का प्रस्ताव भी है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 19,** आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ का, जो किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80घघ के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब को, जो भारत में निवासी है, (क) किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास व्यय ; या (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता को किसी निःशक्त आश्रित के भरण-पोषण की स्कीम के संबंध में संदत्त रकम के संबंध में कटौती का उपबंध है ।

पूर्वोक्त धारा में, यदि आश्रित निःशक्तता से ग्रस्त है तो पचास हजार रुपए की और यदि आश्रित गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त है तो एक लाख रुपए की, कटौती का उपबंध है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निःशक्त आश्रित के संबंध में कटौती की सीमा को पचास हजार रुपए से बढ़ा कर पचहत्तर हजार रुपए किया जा सके ।

उक्त धारा का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे गंभीर निःशक्त आश्रित के संबंध में कटौती की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ा कर एक लाख पच्चीस हजार रुपए किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 20,** आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख का, जो चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80घघख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में किसी ऐसे निर्धारिती को, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, अपने स्वयं के लिए या अपने नातेदार या हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के ऐसे रोग या व्याधि के लिए, जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत व्यय हेतु कटौती का उपबंध किया गया है । यह कटौती चालीस हजार रुपए तक सीमित है । वरिष्ठ नागरिकों को साठ हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की गई है । ऐसी कटौती केवल तभी अनुज्ञात की गई है यदि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी तंत्रिका विज्ञानी, किसी अर्बुद विज्ञानी, किसी मूत्र रोग विज्ञानी, किसी रुधिर विज्ञानी, किसी प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है ।

इसमें धारा 80घघख के पहले परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती आय-कर की विवरणी के साथ, किसी तंत्रिका विज्ञानी, किसी अर्बुद विज्ञानी, किसी मूत्र रोग विज्ञानी, किसी रुधिर विज्ञानी, किसी प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ से, जो विहित किया जाए, ऐसे चिकित्सा उपचार की चिकित्सा पर्ची की प्रति अभिप्राप्त नहीं कर लेता है ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती या उसके आश्रित या निर्धारिती के हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य की बाबत वस्तुतः कोई रकम संदत्त की गई है और जो अति वरिष्ठ नागरिक है, वहां अस्सी हजार रुपए तक कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण से "सरकारी अस्पताल" पद की परिभाषा का लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण में एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे "अति वरिष्ठ नागरिक" पद को इस रूप में परिभाषित किया जा सके, अर्थात् इससे भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 21,** आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का, जो कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निर्धारिती को उसके द्वारा कतिपय निधियों और पूर्त संस्थाओं को किए गए दानों की बाबत उसकी कुल आय से कटौती अनुज्ञात की जाती है । इसमें राष्ट्रीय महत्व के किसी सामाजिक प्रयोजन के लिए बनाई गई कतिपय निधियों और संस्थाओं जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान आदि को किए गए दानों की रकम पर शत-प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे किसी निर्धारिती द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष को जहां ऐसा निर्धारिती कोई निवासी है, दान की गई ऐसी राशि की बाबत, उस राशि से भिन्न जो निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में खर्च की गई है, शत-प्रतिशत की कटौती का उपबंध किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी निर्धारिती द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि जहां ऐसा निर्धारिती कोई निवासी है, दान की गई ऐसी राशि की बाबत, उस राशि से भिन्न जो निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में खर्च की गई है, शत-प्रतिशत की कटौती का उपबंध किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7क के अधीन गठित राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि को किए गए दान की बाबत शत-प्रतिशत कटौती का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 22,** आय-कर अधिनियम की धारा 80जजकक का, जो नए कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कटौती से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भारतीय कंपनी को किसी कारखाने में माल के विनिर्माण से व्युत्पन्न लाभों के लिए कटौती का उपबंध है । अनुज्ञात कटौती की मात्रा, पूर्ववर्ष में तीन निर्धारण वर्षों के लिए जिसके अंतर्गत वह निर्धारण वर्ष भी है जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत है जिसमें ऐसा नियोजन दिया गया है, निर्धारिती द्वारा उस कारखाने में नियोजित नए नियमित कर्मकारों को संदत्त अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत के बराबर होगी ।

उपधारा (2) के खंड (क) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती तब उपलब्ध नहीं होगी, यदि कारखाने को निर्धारिती कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी के साथ उसके समामेलन के परिणामस्वरूप किसी विद्यमान सत्ता से अलग या अंतरित किया गया है अथवा अर्जित किया जाता है ।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण "अतिरिक्त मजदूरी" को परिभाषित करने के लिए है जिससे पूर्ववर्ष के दौरान नियोजित एक सौ कर्मकारों से अधिक नए नियमित कर्मकारों को संदत्त मजदूरी अभिप्रेत है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी कारखाने में माल के विनिर्माण से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां निर्धारिती को उस पूर्ववर्ष में, तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जिसके अंतर्गत वह निर्धारण वर्ष भी है, जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत है, जिसमें ऐसा नियोजन दिया गया है, निर्धारिती द्वारा नियोजित नए नियमित कर्मकारों को संदत्त अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी यदि कारखाने को निर्धारिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अंतरण द्वारा या कारबार के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अर्जित किया है ।

उक्त धारा स्पष्टीकरण में "अतिरिक्त मजदूरी" पद को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि इससे पूर्ववर्ष के दौरान नियोजित पचास कर्मकारों से अधिक नए नियमित कर्मकारों को संदत्त मजदूरी अभिप्रेत है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 23,** आय-कर अधिनियम की धारा 80प का, जो किसी निःशक्त व्यक्ति की दशा में कटौती के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80प के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी ऐसे व्यष्टि, जो निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्त व्यक्ति प्रमाणित है, के संबंध में कटौती का उपबंध है ।

पूर्वोक्त धारा में, यदि आश्रित निःशक्तता से ग्रस्त है तो पचास हजार रुपए की और यदि आश्रित गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त है तो एक लाख रुपए की, कटौती का उपबंध है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निःशक्त आश्रित के संबंध में कटौती की सीमा को पचास हजार रुपए से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रुपए किया जा सके ।

उक्त धारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे गंभीर रूप से निःशक्त आश्रित के संबंध में कटौती की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पच्चीस हजार रुपए किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 24,** आय-कर अधिनियम की धारा 92खक का, जो विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" को परिभाषित किया गया है अर्थात् इससे किसी निर्धारिती की दशा में किसी ऐसे विनिर्दिष्ट संव्यवहारों का कोई संव्यवहार अभिप्रेत है, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार न हो और जहां पूर्ववर्ष में निर्धारिती द्वारा किए गए ऐसे संव्यवहारों का योग पांच करोड़ रुपए की राशि से अधिक हो ।

उक्त धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ऐसे संव्यवहार को "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" के रूप माने जाने के लिए निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किए गए विनिर्दिष्ट संव्यवहारों का योग बीस करोड़ रुपए की राशि से अधिक होना चाहिए ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 25,** आय-कर अधिनियम की धारा 95 का, जो सामान्य परिवर्जन रोधी नियम के लागू होने से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित किया जा सकेगा और उससे उद्भूत होने वाले कर संबंधित परिणाम का अवधारण अध्याय 10क के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा ।

उक्त धारा को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित करने का प्रस्ताव है ।

यह उपबंध करने के लिए नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि अध्याय 10क के उपबंध 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए लागू होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 26,** आय-कर अधिनियम की धारा 111क का, जो कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर कर से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में ये उपबंध हैं कि पूर्वोक्त धारा के उपबंध कारबार न्यास की ऐसी यूनिटों के अंतरण से उद्भूत किसी आय की बाबत लागू नहीं होंगे, जो किसी विशेष प्रयोजन एकक के शेयरों के आदान-प्रदान में निर्धारिती द्वारा अर्जित किए गए थे ।

उक्त दूसरे परंतुक का लोप करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध अब कारबार न्यास की ऐसी यूनिटों के अंतरण से उद्भूत किसी आय की बाबत लागू होंगे, जो किसी विशेष प्रयोजन एकक के शेयरों के आदान-प्रदान में निर्धारिती द्वारा अर्जित किए गए थे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 27,** आय-कर अधिनियम की धारा 115क का, जो विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में किसी अनिवासी कर दाता की दशा में कर के अवधारण का उपबंध है जहां ऐसे अनिवासी की कुल आय में उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में कोई आय सम्मिलित है और जो भारत में अनिवासी के स्थायी स्थापन से, यदि कोई हो, प्रभावी रूप से संबंधित नहीं है । इस समय कर की दर पच्चीस प्रतिशत उपबंधित है और ऐसी आय की सकल रकम पर लागू होती है ।

उक्त धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी अनिवासी कर दाता की दशा में, जहां उसकी कुल आय में 31मार्च,1976 के पश्चात् किए गए किसी करार के अधीन स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में कोई आय सम्मिलित है और जो भारत में अनिवासी के स्थायी स्थापन से, यदि कोई हो, प्रभावी रूप से संबंधित नहीं है, कर की दर ऐसी आय की सकल रकम पर दस प्रतिशत होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 28,** आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक का, जो विदेशी मुद्रा में क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद' को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि इससे निक्षेपागार रसीद या प्रमाणपत्र के रूप में कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जो भारत के बाहर विदेशी निक्षेपागार बैंक द्वारा सृजित की गई है और अनिवासी विनिधानकर्ताओं को साधारण शेयरों के पुरोधरण या पुरोधरण कंपनी के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय बंधपत्रों के मद्दे जारी की गई है ।

उक्त खण्ड में उपबंधित 'सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद' को इस रूप में परिभाषित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि इससे निक्षेपागार रसीद या प्रमाणपत्र के रूप में कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है जो भारत के बाहर विदेशी निक्षेपागार बैंक द्वारा सृजित की गई है और "विनिधानकर्ताओं" को—

(i) पुरोधरण कंपनी के, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, साधारण शेयरों ; या

(ii) पुरोधरण कंपनी के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय बंधपत्रों,

के मद्दे जारी की गई है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 29,** आय-कर अधिनियम की धारा 115जख, जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी कंपनी की दशा में, यदि 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के किसी सुसंगत पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय कर उसके बही लाभ के साढ़े अठारह प्रतिशत से कम है, वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और ऐसी कुल आय पर सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर उसके बही लाभ का साढ़े अठारह प्रतिशत होगा ।

स्पष्टीकरण 1 में नया खंड (चक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी आय, जो किसी निर्धारिती की आय का हिस्सा हो, जिस पर धारा 86 के उपबंधों के अनुसार कोई आय-कर संदेय नहीं है, से संबंधित व्यय की रकम या रकमों द्वारा बही लाभ बढ़ा दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1 में नया खंड (iiग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय की ऐसी रकम जो किसी निर्धारिती की आय का ऐसा हिस्सा है जिस पर धारा 86 के उपबंधों के अनुसार कोई आय-कर संदेय नहीं है, यदि ऐसी कोई रकम लाभ हानि लेखा में जमा की जाती है, पूर्वोक्त धारा के अधीन संदेय आय-कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए बही लाभ से घटा दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1 में नया खंड (चख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिभूतियों में संव्यवहार से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय (ऐसे संव्यवहारों से उद्भूत ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों से भिन्न, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभार्य नहीं है), जो ऐसे किसी निर्धारिती को, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता है, प्रोद्भूत या उद्भूत हुई है, जिसने ऐसी प्रतिभूतियों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिधान किया है, से संबंधित व्यय की रकम या रकमों तक बही लाभ को बढ़ा दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1 में नया खंड (iiघ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिभूतियों में संव्यवहार से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय की रकम को (ऐसे संव्यवहारों से उद्भूत ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों से भिन्न, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभार्य नहीं है), जो ऐसे किसी निर्धारिती को, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता है, प्रोद्भूत या उद्भूत हुई है, जिसने ऐसी प्रतिभूतियों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिधान किया है, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि लेखा में जमा की जाती है, पूर्वोक्त धारा के अधीन संदेय आय-कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए बही लाभ से घटा दिया जाएगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है और "प्रतिभूति" पद का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 30,** आय-कर अधिनियम की धारा 115प का, जो कतिपय मामलों में आय पर कर के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है।

अधिनियम की धारा 115प में यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति को जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि में किए गए विनिधानों से प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय चालू वर्ष के आधार पर उसी रीति में कराधेय होगी मानो उस व्यक्ति ने जोखिम पूंजी उपक्रम में सीधे विनिधान किया होता। धारा में जोखिम पूंजी कंपनी और जोखिम पूंजी निधि द्वारा अपने विनिधानकर्ताओं को किए गए वितरण को लाभांश वितरण कर और स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है ।

इसमें यह उपबंध करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 10(23चख) और धारा 115प के उपबंधों में अंतर्विष्ट विद्यमान पारण स्कीम ऐसी विनिधान निधियों को लागू नहीं होगी जिसको धारा 10(23चखक) और धारा 115पख में उपबंधित नए क्षेत्र लागू होते हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 31,** आय-कर अधिनियम की धारा 115पक, जो यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त वितरित आय या उसके किसी भाग को, जो ऐसे कारबार न्यास के प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन किसी भू-संपदा को, किराए पर या पट्टे पर या भाटक पर देने के रूप में हुई प्रकृति की आय है, उस यूनिट धारक की आय समझा जाएगा और उस पर कर प्रभारित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 32,** आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 12चख, जिसमें एक नई धारा 115पख है, जो विनिधान निधियों की आय पर और ऐसी निधियों से प्राप्त आय पर कर के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी विनिधान निधि का यूनिट धारक है, विनिधान

निधि में किए गए विनिधानों में से प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त ऐसी आय होती यदि ऐसे विनिधान उसके द्वारा सीधे विनिधान निधि में किए गए हों ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी पूर्ववर्ष में विनिधान निधि की कुल आय की संगणना करने का शुद्ध परिणाम [धारा 10 के खंड (23चखक) के उपबंधों को प्रभावी किए बिना] हानि है, वहां ऐसी हानि अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार विनिधान निधि द्वारा मुजरा करने के लिए अग्रनीत किए जाने के लिए अनुज्ञात की जाएगी और ऐसी हानि विनिधानकर्ताओं को पारण किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय यूनिट धारक के पास उसी प्रकृति की और उसी अनुपात में आय समझी जाएगी मानो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए पूर्ववर्ष में विनिधान निधि द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि विनिधान निधि की कुल आय कर के लिए प्रभार्य होगीः —

(i) सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट दर या दरों पर, जहां ऐसी निधि कोई कंपनी या कोई फर्म है; या

(ii) किसी अन्य मामले में, अधिकतम सीमांत दर पर।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि अध्याय 12घ या अध्याय 12ङ के उपबंध इस अध्याय के अधीन किसी विनिधान निधि द्वारा संदत्त आय को लागू नहीं होंगे ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (6) यह उपबंध करने के लिए है कि विनिधान निधि को पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय, यदि वह विनिधान कर्ता को संदत्त या उसके पास जमा नहीं की जाती है, तो प्रस्तावित उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त व्यक्ति के खाते में पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को उसी अनुपात में, जिसमें ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करने का तब हकदार होता यदि उसका पूर्ववर्ष में संदाय किया गया होता, जमा की गई समझी जाएगी ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (7) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी विनिधान निधि की ओर से आय को जमा करने या उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और विनिधान निधि, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उस व्यक्ति को, जो ऐसी आय के संबंध में कर के लिए दायी है और विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित रूप में और ऐसी रीति में सत्यापित एक विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त या जमा की गई आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, होंगे ।

प्रस्तावित नई धारा का स्पष्टीकरण 1, कतिपय पदों जैसे "विनिधान निधि", "न्यास" और "यूनिट" को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित नई धारा का स्पष्टीकरण 2 यह स्पष्ट करता है कि यदि ऐसी कोई आय, किसी व्यक्ति की दशा में प्रोद्भूत होने के कारण उसकी कुल आय में किसी पूर्ववर्ष में सम्मिलित की गई है, जब उसे वस्तुतः वह प्राप्त हो तो वह उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 33,** आय-कर अधिनियम की धारा 132ख का, जो अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियों के उपयोजन के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 132ख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित आस्ति को आय-कर अधिनियम, धन-कर अधिनियम, आदि के अधीन विद्यमान दायित्व की रकम और निर्धारण के पूरा होने पर अवधारित दायित्व की रकम से समायोजित किया जा सकेगा ।

धारा 132ख का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित आस्ति को धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किए गए आवेदन से उद्भूत दायित्व की रकम से समायोजित किया जा सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 34,** आय-कर अधिनियम की धारा 139 का, जो आय की विवरणी से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 139 में, अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनसे आय की विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4ग) में अंतर्विष्ट उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय इकाइयों द्वारा आय की विवरणी फाइल करने का उपबंध करते हैं जहां आय को अधिनियम की धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त है।

उक्त उपधारा (4ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23घ) के उपखंड (iiiकख) और (iiiकग) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था से आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है यदि ऐसे विश्वविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था की कुल आय, धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, अधिकतम रकम से, जो आय-कर से प्रभार्य न हो, अधिक हो जाए ।

उक्त धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 115पख में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिधान निधि, जिससे इस धारा के किसी अन्य उपबंध के अधीन आय या हानि की विवरणी देना अपेक्षित नहीं है, प्रत्येक पूर्ववर्ष में अपनी आय या हानि की बाबत विवरणी देगी और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे मानो वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 35,** आय-कर अधिनियम की धारा 151 का, जो सूचना जारी किए जाने के लिए मंजूरी से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 151 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के पूर्व कतिपय प्राधिकारियों से मंजूरी के लिए उपबंध करता है । धारा, ऐसे मामलों के लिए जहां पूर्वतर निर्धारण धारा 143 (3) या धारा 147 के अधीन किया गया है या अन्य मामलों (जहां ऐसा निर्धारण नहीं किया गया है) के लिए विभिन्न मंजूरी प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है । मंजूरी की अपेक्षा इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या सूचना का, जारी करना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्षों के भीतर या पश्चात्, प्रस्तावित है । यह विनिश्चित करने के लिए कि किसकी मंजूरी अपेक्षित है, ऐसी सूचना जारी करने वाले निर्धारण अधिकारी की पंक्ति भी सुसंगत है ।

उक्त धारा का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्षों की समाप्ति के पश्चात् किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त का, निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना जारी किए जाने के लिए वह ठीक मामला है । यह और प्रस्तावित है कि किसी अन्य मामले में किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का है, धारा 148 के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक

संयुक्त आयुक्त का, ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना जारी किए जाने के लिए वह ठीक मामला है ।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 36,** आय-कर अधिनियम की धारा 153ग, जो किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण करने के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 153ग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जिसके मामले में धारा 132 के अधीन तलाशी की कार्रवाई या धारा 132क के अधीन कार्रवाई की गई है, निर्धारण की किसी कार्यवाही के अनुक्रम में, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभिगृहीत आस्तियां या लेखा बहियां या दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के हैं, अभिगृहीत आस्तियां या लेखा बहियां या दस्तावेज ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अभिगृहीत लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के अवधारण से संबंधित हैं ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज ; या

(ख) अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या उसमें अंतर्विष्ट कोई सूचना,

धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं या उससे तात्पर्यित हैं या उसके संबंध में है, वहां धारा 153क के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को सौंप दी जाएंगी और वह निर्धारण अधिकारी, प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उस दशा में कार्यवाही करेगा और धारा 153क के उपबंधों के अनुसार सूचना जारी करेगा तथा अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा यदि उस निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां, धारा 153क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए ऐसे व्यक्ति की कुल आय के अवधारण से संबंधित हैं ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 37**, आय-कर अधिनियम की धारा 154, जो भूल सुधार के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर प्राधिकारी धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करके निर्धारिती या कटौतीकर्ता के अतिरिक्त "संग्रहणकर्ता" का निर्देश अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे उसे उक्त धारा के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करके निर्धारिती या कटौतीकर्ता के अतिरिक्त "संग्रहणकर्ता" का निर्देश अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे संग्रहणकर्ता को उक्त उपधारा के उपबंध के अनुसार सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करके निर्धारिती या कटौतीकर्ता के अतिरिक्त "संग्रहणकर्ता" का निर्देश अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे संग्रहणकर्ता को उक्त उपधारा के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय जारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (6) का संशोधन करके निर्धारिती या कटौतीकर्ता के अतिरिक्त "संग्रहणकर्ता" का निर्देश अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे संग्रहणकर्ता पर उक्त उपधारा के उपबंधों के अनुसार मांग की सूचना की तामील के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (8) का संशोधन करके निर्धारिती या कटौतीकर्ता के अतिरिक्त "संग्रहणकर्ता" का निर्देश अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां संग्रहणकर्ता द्वारा पूर्वोक्त धारा के अधीन संशोधन के लिए आवेदन फाइल किया जाता है, वहां आय-कर प्राधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 38,** आय-कर अधिनियम की धारा 156 का, जो मांग की सूचना के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन किसी राशि का अवधारण निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा संदेय राशि के रूप में किया जाता है, वहां उन उपधाराओं के अधीन सूचना को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझा जाएगा ।

धारा 156 के पूर्वोक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) या धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन किसी राशि का अवधारण निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा या संग्रहणकर्ता द्वारा संदेय राशि के रूप में किया जाता है, वहां उन उपधाराओं के अधीन सूचना को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 39,** आय-कर अधिनियम में प्रक्रिया जब राजस्व द्वारा किसी अपील में, विधि का समरूप प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, से संबंधित एक नई धारा 158कक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां आयुक्त या प्रधान आयुक्त की यह राय हो कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारिती के मामले में उद्भूत होने वाला विधि का कोई प्रश्न दूसरे निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में विधि के उद्भूत होने वाले ऐसे प्रश्न के समरूप हो जो धारा 261 के अधीन किसी अपील में या निर्धारिती के पक्ष में उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन किसी विशेष इजाजत याचिका में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, वहां वह निर्धारण अधिकारी को अपील अधिकरण में अपील फाइल करने के बजाय, निर्धारण अधिकारी को आयुक्त (अपील) का आदेश प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर विहित प्ररूप में अपील अधिकरण में एक आवेदन करने का निदेश इस कथन के साथ दे सकेगा कि अपील, सुसंगत मामले में ऐसी विधि के प्रश्न के संबंध में अंतिम आदेश की प्राप्ति पर फाइल की जाए ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करने के लिए है कि आयुक्त या प्रधान आयुक्त उपधारा (1) के अधीन आवेदन

करने के लिए निर्धारण अधिकारी को केवल तब निदेश देगा, जब निर्धारिती से इस आशय की स्वीकृति प्राप्त हो जाए कि अन्य मामले में विधि का प्रश्न, सुसंगत मामले में उद्‌भूत विधि के प्रश्न के समरूप है; और ऐसी स्वीकृति प्राप्त न होने की दशा में, आयुक्त या प्रधान आयुक्त, धारा 253 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयुक्त (अपील) का आदेश, अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय के अनुरूप नहीं है, आयुक्त या प्रधान आयुक्त, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील अधिकरण में अपील करने के लिए निर्धारण अधिकारी को निदेश दे सकेगा और इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय 20 के भाग ख के अन्य सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिनों के भीतर फाइल की जाएगी जिसको आयुक्त या प्रधान आयुक्त को अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश से संसूचित किया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 40,** आय-कर अधिनियम की धारा 192, जो वेतन के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, वेतन संदाय के समय संदेय रकम पर आय-कर की कटौती आय-कर की उस औसत दर पर करेगा जो इस शीर्ष के अधीन निर्धारिती की उस वित्तीय वर्ष की प्राक्कलित आय पर, उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें संदाय किया जाता है, प्रवृत्त दरों के आधार पर संगणित हो ।

उक्त धारा में, उपधारा (2घ) को यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, निर्धारिती की आय का प्राक्कलन करने या उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती से विहित दावों का (जिसके अंतर्गत हानि को मुजरा करने का दावा भी है) साक्ष्य या सबूत या विशिष्टियां अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में अभिप्राप्त करेगा, जो विहित किए जाएं ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 41,** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 192क, जो किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष के संदाय के संबंध में है, को अंतःस्थापित करने के लिए है ।

अधिनियम में एक नई धारा 192क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन विरचित कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के न्यासी या स्कीम के अधीन कर्मचारियों को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे मामले में, जहां किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष को चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 के उपबंधों के कारण उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है, वहां शोध्य संचयित अतिशेष का जिस समय किसी कर्मचारी को संदाय किया जाता है, तब उस पर आय-कर की दस प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त धारा के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां पाने वाले को किए गए, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदाय की संकलित रकम तीस हजार रुपए से कम है ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसी किसी रकम को, जिस पर इस धारा के अधीन कर कटौती योग्य है, प्राप्त करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति, अपना स्थायी खाता संख्यांक ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को देगा, जिसे देने में असफल रहने पर, अधिकतम सीमांत दर पर कर की कटौती की जाएगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 42**, आय-कर अधिनियम की धारा 194क का, जो प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी में सावधिक निक्षेपों या किसी पब्लिक कंपनी में निक्षेपों की बाबत जमा की गई या संदत्त आय की संगणना, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी की शाखा या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी के प्रत्येक निर्देश से की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) के उक्त खंड (i) के विद्यमान परंतुक के पश्चात्, एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट रकम की संगणना, उस स्थिति में, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी द्वारा जमा की गई या संदत्त की गई आय के प्रति निर्देश से की जाएगी, जहां ऐसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी ने आंतरिक बैंककारी समाधानों को अंगीकार किया है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (iv) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के उपबंध आय को लागू नहीं होंगे जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उसके किसी सदस्य या किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के नाम जमा की गई या संदत्त की गई है ।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 194क की उपधारा (1) के उपबंध ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा (किसी सहकारी बैंक से भिन्न) उसके किसी सदस्य के या किसी सहकारी सोसाइटी के नाम जमा की गई या संदत्त की गई हो या किसी सोसाइटी द्वारा किसी अन्य सोसाइटी को जमा की गई या संदत्त की गई हो ।

पूर्वोक्त धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (v) के नीचे एक स्पष्टीकरण के उपबंध करने का और प्रस्ताव, "सहकारी बैंक" पद को परिभाषित करने के लिए है ।

धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (ix) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 194क की उपधारा (1) के उपबंध को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम पर ब्याज के रूप में जमा की गई या संदत्त ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई या संदत्त ऐसी रकमों का योग पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

पूर्वोक्त खंड को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 194क की उपधारा (1) के उपबंध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम पर ब्याज के रूप में जमा की गई आय को लागू नहीं होंगे ।

धारा 194क की उपधारा (3) में यह उपबंध करने के लिए एक नया खंड (ixक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 194क की उपधारा (1)

के उपबंध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम पर ब्याज के रूप में जमा की गई या संदत्त ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त ऐसी रकमों का योग पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) का स्पष्टीकरण 1 उक्त उपधारा (3) के खंड (i), (vii) और (viiक) के प्रयोजनों के लिए "सावधिक निक्षेप" पद को इस रूप में परिभाषित करता है अर्थात् नियत अवधि के अवसान पर प्रतिसंदेय निक्षेप (जिसके अंतर्गत आवर्ती निक्षेप नहीं हैं) । सावधिक निक्षेपों की उक्त परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंडों के प्रयोजन के लिए "सावधिक निक्षपों" पद के अंतर्गत आवर्ती निक्षेप को अपवर्जित नहीं किया जाएगा बल्कि सम्मिलित किया जाएगा ।

ये संशोधन, 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 43,** आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का, जो ठेकेदारों को संदाय से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (6) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि माल वाहन चलाने, किसी राशि का संदाय या जमा करने वाले व्यक्ति को किराए या पट्टे पर देने के कारबार के अनुक्रम के दौरान, पूर्ववर्ष के दौरान ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित ऐसी राशि से उसका स्थायी लेखा संख्यांक देने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (6) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि माल वाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के दौरान, पूर्ववर्ष के दौरान ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई या संदत्त किए जाने के लिए संभावित ऐसी राशि से कोई कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक ऐसे ठेकेदार के स्वामित्वाधीन पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं और उसने इस आशय का घोषणापत्र ऐसी राशि का संदाय या जमा करने वाले व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्यांक सहित दे दिया है ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 44,** आय-कर अधिनियम की धारा 194झ का, जो किराए के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

उपरोक्त धारा किसी निवासी को किराए के रूप में किसी आय के संदाय पर स्रोत पर कर कटौती के लिए उपबंध करती है ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां किराए के रूप में आय की किसी ऐसे कारबार न्यास को, जो धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट किसी भू-संपदा आस्ति की बाबत ऐसे कारबार न्यास द्वारा प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन कोई भू-संपदा विनिधान न्यास है, संदेय है। इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन, 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 45,** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखक का, जो किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के संशोधन द्वारा यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो कोई निवासी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

उक्त धारा का संशोधन यह उपबंध करने के लिए और प्रस्तावित है कि जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को जो अनिवासी (कोई कंपनी न हों) या विदेशी कंपनी है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर प्रवृत्त दर से आय-कर की कटौती करेगा।

ये संशोधन, 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 46,** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194ठखख, जो विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय के संबंध में है, को अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई आय, आय के उस अनुपात से भिन्न, जो उसी प्रकृति की है जो धारा 10 के खंड (23चखख) में निर्दिष्ट है, किसी यूनिट धारक को धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या कोई चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग द्वारा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करने के समय उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 47,** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ का, जो कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, पांच प्रतिशत की निम्नतर कर दर विधारित रखने के लिए ब्याज की पात्र आय, जैसा कि उपधारा (1) में उपबंधित है, 1 जून, 2013 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2015 के पूर्व संदेय ब्याज के रूप में विनिर्दिष्ट की गई है ।

उपरोक्त धारा की उपधारा (2) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट के रुपए के अंकित बंधपत्र में विनिधान के संबंध में ब्याज के संदाय पर कर विधारण की पांच प्रतिशत की रियायती दर, अब 1 जुलाई, 2017 के पूर्व संदेय ब्याज पर उपलब्ध होगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 48,** आय-कर अधिनियम की धारा 195 का, जो अन्य राशियों से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (6) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में उपबंध है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से देगा, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (6) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि, चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या न हो, का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाए ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 49,** आय-कर अधिनियम की धारा 197क का, जो कुछ दशाओं में कटौती के न किए जाने से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1क) और उपधारा (1ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट धाराओं में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित करके, लिखित रूप से इस प्रभाव की घोषणा दो प्रतियों में देता है कि उसकी उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित की जानी है, प्राक्कलित कुल आय पर कर शून्य होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1क) और उपधारा (1ग) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त उपधाराओं में धारा 192क और धारा 194घक का भी निर्देश दिया जा सके ।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 50,** आय-कर अधिनियम की धारा 200, जो कर कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति, जो अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है, इस प्रकार कटौती की गई राशि का संदाय विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में, या जैसे बोर्ड निदिष्ट करे, वैसे करेगा । उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक विहित समय के भीतर कर का संदाय केंद्रीय सरकार के खाते में, या जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे, करेगा ।

उक्त धारा में उपधारा (2क) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार कटौती की गई राशि या धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कर, कोई चालान प्रस्तुत किए बिना, केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चैक आहरण और वितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो ऐसी राशि या कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित, ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक विवरण परिदत्त करेगा या कराएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 51,** आय-कर अधिनियम की धारा 200क का, जो स्रोत पर कर की कटौती के विवरण की प्रक्रिया से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, यह उपबंधित है कि स्रोत पर कर की कटौती के विवरण या धारा 200 के अधीन तैयार किए गए किसी संशोधन विवरण पर कार्रवाई उसमें विहित रीति में की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के संशोधन द्वारा यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर की कटौती के विवरण या धारा 200 के अधीन तैयार किए गए संशोधन विवरण पर कार्रवाई की जाएगी और अध्याय 17 के अधीन कटौती योग्य राशि की संगणना धारा 234ङ के उपबंधों के अनुसार संदेय फीसें, यदि कोई हों, को भी हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी । संदेय या प्रतिदेय रकम, धारा 200 या धारा 201 या धारा 234ङ के अधीन संदत्त किसी रकम के विरुद्ध पूर्वोक्त संगणित राशि और कर या ब्याज के माध्यम से अन्यथा संदत्त किसी रकम के समायोजन के पश्चात् अवधारित की जाएगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 52,** आय-कर अधिनियम की धारा 203क, जो कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अध्याय 17 के अनुसार कर की कटौती या कर का संग्रहण करता है, जिसे, यथास्थिति, कर कटौती लेखा संख्यांक या कर संग्रहण लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को, "कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक" के आबंटन के लिए आवेदन करेगा । उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि ऐसे व्यक्ति से जिसे, यथास्थिति "कर कटौती लेखा संख्यांक" या "कर संग्रहण लेखा संख्यांक" या "कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक" दे दिया गया है, उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (घ) में यथाविनिर्दिष्ट चालानों, प्रमाणपत्रों, विवरणों, विवरणियों या दस्तावेजों में ऐसी संख्या का हवाला देने की अपेक्षा होगी ।

उक्त धारा में उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 53,** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग, जो एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उपधारा (1) या उपधारा (1ग) या उपधारा (1घ) के अधीन किसी रकम का संग्रहण करने वाला व्यक्ति विहित समय के भीतर, इस प्रकार संगृहीत रकम का, केंद्रीय सरकार के जमा खाते में या बोर्ड के निर्देशानुसार, संदाय करेगा ।

उक्त धारा में, उपधारा (3क) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां उपधारा (1) या उपधारा (1ग) या उपधारा (1घ) के अधीन संगृहीत रकम का चालान पेश किए बिना, केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चैक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो ऐसा कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित रूप में एक विवरण उसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, परिदत्त करेगा या कराएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कर का संग्रहण करने वाला व्यक्ति संगृहीत किए गए कर का, केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर, ऐसी अवधि में, जो विहित की जाए, ऐसा विवरण तैयार करेगा और ऐसे विवरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित रूप में और ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

उक्त धारा में उपधारा (3ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति उक्त परंतुक के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी को किसी भूल को सुधारने के लिए या उक्त परंतुक के अधीन परिदत्त विवरण में दी गई सूचना में कुछ जोड़ने, उससे लोप करने या उसे अद्यतन बनाने के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित रूप में एक संशोधन विवरण भी परिदत्त कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 54,** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 206गख, जो स्रोत पर संगृहीत कर के विवरण तैयार किए जाने के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में स्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरणों की प्रक्रिया पद्धति का उपबंध है । चूंकि स्रोत पर संगृहीत कर की प्रक्रिया आरंभ करने के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं है, अतः स्रोत पर संगृहीत कर विवरण तैयार करने से संबंधित एक नई धारा 206गख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है और उक्त धारा में यह उपबंध है कि स्रोत पर कर संग्रहण का विवरण या धारा 206ग के अधीन तैयार किए गए संशोधन विवरण की प्रक्रिया उसमें उपबंधित रीति से आरंभ की जाएगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 55**, आय-कर अधिनियम की धारा 220 का, जो कर कब संदेय होगा और निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में उपधारा (2ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 220 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट कर की रकम पर धारा 206ग की उपधारा (7) के अधीन ब्याज जहां किसी अवधि के लिए, प्रभारित किया जाता है, वहां उसी अवधि के लिए उसी रकम पर उक्त उपधारा (2) के अधीन कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 56,** आय-कर अधिनियम की धारा 234ख का, जो अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (2क) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि—

(क) जहां किसी निर्धारिती ने किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया हो, वहां वह उस उपधारा में निर्दिष्ट आय-कर की अतिरिक्त रकम पर ऐसे निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली और ऐसा आवेदन करने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा;

(ख) जहां, किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के किसी आदेश के परिणामस्वरूप, धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र में प्रकट की गई कुल आय की रकम में वृद्धि हो जाती है, वहां निर्धारिती, ऐसे निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली और ऐसे आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए उस रकम पर जितनी से ऐसे आदेश के आधार पर अवधारित कुल आय पर कर, धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पत्र में प्रकट किए गए कुल आय पर कर से अधिक हो जाता है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां धारा 147 या धारा 153क के अधीन पुनः निर्धारण या पुनः संगणना पर कुल आय में वृद्धि हो जाती है, वहां निर्धारिती धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कुल आय के अवधारण या नियमित अवधारण की तारीख से प्रारंभ होने वाली और धारा 147 या धारा 153क के अधीन पुनः निर्धारण की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज संदाय करने के लिए दायी होगा ।

आय-कर अधिनियम की धारा 234ख की उपधारा (3) के संशोधन द्वारा यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि वह अवधि जिसके लिए ब्याज की संगणना की जाएगी, तुरंत आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी और धारा 147 या धारा 153क के अधीन कुल आय के अवधारण की तारीख को समाप्त होगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 57,** आय-कर अधिनियम की धारा 245क का, जो परिभाषाओं के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अध्याय 19क के प्रयोजन के लिए किसी मामले को, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण को, ऐसी किसी कार्यवाही के रूप में परिभाषित करती है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो । उक्त खंड का स्पष्टीकरण, विभिन्न परिस्थितियों के अधीन कार्यवाहियों का प्रारंभ होना समझे जाने के लिए उपबंध करता है ।

उक्त धारा के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के खंड (i) के संशोधन द्वारा यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ हुई समझी जाएगी,—

(क) उस तारीख से जिसको किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन सूचना जारी की जाती है;

(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी सूचना के जारी किए जाने की तारीख से, किसी अन्य निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों में जिनके लिए सूचना ऐसी तारीख पर जारी की जा सकती थी यदि ऐसे निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी, धारा 139 या धारा 142 के अधीन किसी सूचना के उत्तर में प्रस्तुत की गई होती ।

धारा 245 के खण्ड (ख) के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि खंड (i) या खंड (iii) या खंड (iiiक) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनः निर्धारण की कार्यवाहियों से भिन्न, किसी निर्धारण वर्ष के लिए कोई कार्यवाही "निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ की गई और उस तारीख को समाप्त की गई समझी जाएगी जिसको निर्धारण किया जाता है।"

उक्त स्पष्टीकरण के खण्ड (iv) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण के लिए कार्यवाही उस तारीख को, जिसको धारा 139 या धारा 142 के अधीन सूचना के उत्तर में आय की विवरणी प्रस्तुत की गई और उस तारीख को, जिसको निर्धारण किया जाता है या जहां कोई निर्धारण न किया गया हो, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति पर, समाप्त की गई समझी जाएगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 58,** आय-कर अधिनियम की धारा 245घ का, जो धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (6ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि समझौता आयोग, अभिलेख से प्रकट किसी

गलती को सुधारने की दृष्टि से, आदेश की तारीख से छह मास के भीतर किसी समय, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगा ।

उक्त उपधारा (6ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग, अभिलेख में प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का,—

(क) उस मास के अंत से, जिसमें आदेश पारित किया गया था, छह मास की अवधि के भीतर किसी समय; या

(ख) उस मास के अंत से, जिसमें, ऐसा आवेदन किया गया था छह मास की अवधि की समाप्ति से पहले, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर है,

संशोधन कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 59,** आय-कर अधिनियम की धारा 245ज का, जो अभियोजन और शास्ति से उन्मुक्ति देने की समझौता आयोग की शक्ति के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 245ज की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि समझौता आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने जिसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है, समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में उससे सहयोग किया है और अपनी आय का और उस रीति का, जिससे वह आय उद्भूत हुई है, पूरा और सही प्रकटन किया तो वह ऐसे व्यक्ति को अभियोजन से उन्मुक्ति दे सकेगा ।

आय-कर अधिनियम की धारा 245ज की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि समझौता आयोग का यह समाधान हो जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है, समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में उससे सहयोग किया है और अपनी आय का और उस रीति का, जिससे वह आय उद्भूत हुई है, पूरा और सही प्रकटन किया तो वह ऐसे व्यक्ति को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अभियोजन से उन्मुक्ति दे सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 60,** आय-कर अधिनियम की धारा 245जक का, जो समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के उपशमन से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 245जक की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, विभिन्न परिस्थितियों में कार्यवाहियों को उपशमन का उपबंध है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 245जक की उपधारा (1) का संशोधन यह उपबंध करने के लिए प्रस्तावित है कि जहां धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन के संबंध में, धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन यह निदेश देते हुए एक आदेश पारित किया गया है कि ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है, वहां समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का उपशमन उस दिन हो जाएगा जिसको धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन यह निदेश देते हुए आदेश पारित किया गया था कि ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं था।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 61,** आय-कर अधिनियम की धारा 245ट का, जो समझौते के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन के वर्जन से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि जहां किसी व्यक्ति के किसी आवेदन पर धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने का हकदार नहीं होगा । इसमें यह और उपबंधित है कि कतिपय परिस्थितियों में व्यक्ति समझौता आयोग के समक्ष समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

आय-कर अधिनियम की धारा 245ट का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उस व्यक्ति से, जिसको समझौते के लिए बाद में आवेदन करने के लिए वर्जित किया गया है, संबंधित कोई व्यक्ति भी समझौता आयोग के समक्ष बाद में कोई आदेश नहीं कर सकेगा । किसी व्यक्ति के संबंध में "संबंधित व्यक्ति" पद को भी निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है—

(i) जहां ऐसा व्यक्ति कोई व्यष्टि है, वहां ऐसी कोई कंपनी, जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी समय पचास प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार धारण करता है या कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी समय पचास प्रतिशत से अधिक लाभों का हकदार है या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसमें ऐसा व्यक्ति कर्ता है;

(ii) जहां ऐसा व्यक्ति कोई कंपनी है, वहां ऐसा कोई व्यष्टि, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने की तारीख के पूर्व किसी समय ऐसी कंपनी में पचास प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार धारण किए हुए था;

(iii) जहां ऐसा व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय है, वहां ऐसा कोई व्यष्टि, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने की तारीख के पूर्व किसी समय उस फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय में पचास प्रतिशत से अधिक लाभों का हकदार था;

(iv) जहां ऐसा व्यक्ति कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, अविभक्त कुटुब का कर्ता ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 62,** आय-कर अधिनियम की धारा 246क का, जो आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलीय आदेश से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी निर्धारिती या कटौतीकर्ता द्वारा, उसकी उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट आय-कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) को फाइल किए जाने का उपबंध है । उसमें उक्त धारा की उपधारा (1) में कोई निर्धारिती या कोई कटौतीकर्ता के अतिरिक्त "कोई संग्रहणकर्ता" के निर्देश को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जिससे संग्रहणकर्ता को भी उक्त धारा के अधीन अपील फाइल करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संग्रहणकर्ता धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी संसूचना के विरुद्ध आयुक्त (अपील) को अपील फाइल कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 63,** आय-कर अधिनियम की धारा 253 का, जो अपील अधिकरण को अपीलों से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 253 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष अपीलीय आदेशों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के संशोधन द्वारा उसमें एक नया खंड (च) अंतःस्थापित करके करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) और उपखंड (viक) के अधीन

विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 64,** आय-कर अधिनियम की धारा 255 का, जो अपील अधिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में एकल सदस्य न्यायपीठ और विशेष न्यायपीठ के गठन के बारे में उपबंध है । इसमें यह उपबंधित है कि एकल सदस्य न्यायपीठ में किसी ऐसे मामले का निपटारा किया जा सकेगा जो किसी ऐसे निर्धारिती के संबंध में है जिसकी निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित कुल आय पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है वहां ऐसे किसी मामले का निपटारा एकल सदस्य न्यायपीठ द्वारा किया जा सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 65,** आय-कर अधिनियम की धारा 263, जो राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों के पुनरीक्षण के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 263 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त यह समझता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश गलत है, जहां तक वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, तो वह निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और जांच करने या करवाने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझता है, निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण को उपांतरित करने या निर्धारण को रद्द करने और नए सिरे से निर्धारण करने का निदेश पारित कर सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का, उसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को गलत समझा जाएगा जहां तक वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त की यह राय है कि,—

(क) आदेश ऐसी जांच या सत्यापन के बिना किया गया है, जो किया जाना चाहिए था ;

(ख) आदेश ऐसी किसी राहत को, दावे की जांच किए बिना, अनुज्ञात करते हुए पारित किया गया है ;

(ग) आदेश बोर्ड द्वारा धारा 119 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, निदेश या अनुदेश के अनुसार नहीं किया गया है ; या

(घ) आदेश, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए ऐसे किसी विनिश्चय, जो निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, के अनुसार पारित नहीं किया गया है ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 66,** आय-कर अधिनियम की धारा 269धध, जो कतिपय उधार और निक्षेप लेने के ढंग के संबंध में है, का प्रतिस्थापन करने के लिए है ।

धारा 269धध में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से आनलाइन अंतरण करके ही लेगा अन्यथा नहीं, यदि ऐसा उधार या निक्षेप बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

उक्त धारा को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि, पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से आनलाइन अंतरण करके ही लेगा अन्यथा नहीं, यदि वह उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

इसमें "विनिर्दिष्ट राशि" को इस रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है, अर्थात् इससे किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के संबंध में, चाहे ऐसा अंतरण परिणत होता है अथवा नहीं, अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्य कोई धनराशि अभिप्रेत है ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 67,** आय-कर अधिनियम की धारा 269न, जो कतिपय उधारों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय के ढंग के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 269न में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा लिए गए किसी उधार या किए गए किसी निक्षेप का प्रतिसंदाय नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से आनलाइन अंतरण द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं यदि विनिर्दिष्ट धनराशि बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा लिए गए किसी उधार या किए गए किसी निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि का प्रतिसंदाय नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से आनलाइन अंतरण द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम या विनिर्दिष्ट राशि बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

"विनिर्दिष्ट राशि" को ऐसी किसी धनराशि के रूप में परिभाषित करने का और प्रस्ताव है जो किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के संबंध में अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त होती है और जो तब प्रतिसंदेय हो जाती है यदि बातचीत ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण में परिणत नहीं होती है ।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 68,** आय-कर अधिनियम में धारा 271 का, जो विवरणियां न देना, सूचनाओं का अनुपालन न करना, आय छिपाना, आदि से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 271 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) में विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय की विशिष्टियां छिपाता है या गलत विशिष्टियां देता है, तो ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में अपवंचन का प्रयास की जाने वाली कर की रकम का सौ प्रतिशत से तीन सौ प्रतिशत राशि का संदाय करेगा । उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 4 में अपवंचन का प्रयास की जाने वाली रकम का अर्थ उपबंधित है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि अपवंचन का प्रयास की जाने वाली कर की रकम की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित की जाएगी—

(क-ख) + (ग-घ)

जिसमें—

क = धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् साधारण उपबंध कहा गया है) उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय पर कर की रकम ;

ख = कर की ऐसी रकम, जो तब प्रभार्य होती यदि साधारण उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय की रकम में से आय की ऐसी रकम को घटा दिया जाता, जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं ;

ग = धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय पर कर की रकम ;

घ = कर की रकम, जो तब प्रभार्य होती यदि धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय मे से आय की ऐसी रकम को घटा दिया जाता, जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं :

परंतु जहां आय की ऐसी रकम, जिसकी बाबत किसी विवाद्यक पर विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, पर धारा 115जख या धारा 115जग और साधारण उपबंधों, दोनों के अधीन विचार कर लिया गया है, तो ऐसी रकम को, मद घ के अधीन रकम का अवधारण करते समय निर्धारित कुल आय में से नहीं घटाया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां धारा 115जख और धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंध लागू नहीं होते हैं, वहां सूत्र में मद (ग-घ) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें आय की उस रकम, जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, का प्रभाव विवरणी में घोषित हानि को कम करना या उस हानि को आय में संपरिवर्तित करना है, अपवंचन का प्रयास की जाने वाली कर की रकम का अवधारण खंड (क) में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार इस उपांतरण के साथ किया जाएगा कि उस सूत्र में मद (क-ख) के लिए अवधारित की जाने वाली रकम, कर की वह रकम होगी जो उस आय पर प्रभार्य होती, जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, यदि ऐसी आय कुल आय होती ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी ऐसे मामले में, जिसको स्पष्टीकरण 3 लागू होता है, अपवंचन का प्रयास की जाने वाली कर की रकम, धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने से पहले संदत्त अग्रिम कर, स्रोत पर कटौती किया गया कर, स्रोत पर संगृहीत किया गया कर और स्वःनिर्धारण कर घटाने के पश्चात् निर्धारित कुल आय पर कर होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 69,** आय-कर अधिनियम की धारा 271घ का, जो धारा 269धध के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 271घ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 269धध के उपबंधों के उल्लघंन में कोई उधार लेगा या निक्षेप प्रतिगृहीत करेगा तो वह, शास्ति के रूप में, इस प्रकार लिए गए उधार या प्रतिगृहीत किए गए निक्षेप की रकम के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

आय-कर अधिनियम की धारा 271घ का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 269धध के उपबंधों के उल्लंघन में उस धारा में निर्दिष्ट कोई उधार लेगा या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि प्रतिगृहीत करेगा तो वह, शास्ति के रूप में, इस प्रकार प्रतिगृहीत उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 70,** आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ का, जो धारा 269न के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति के संबंध में है, का संशोधन करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 269न में निर्दिष्ट किसी ऋण या निक्षेप का उस धारा के उपबंधों से भिन्न रूप में प्रतिसंदाय करेगा तो वह शास्ति के रूप में, इस प्रकार प्रतिसंदत्त ऋण या निक्षेप की रकम के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 269न में निर्दिष्ट किसी ऋण या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम का उस धारा के उपबंधों से भिन्न रूप में प्रतिसंदाय करेगा तो वह शास्ति के रूप में, इस प्रकार प्रतिसंदत्त ऋण या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम की रकम के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 71,** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271चकक, जो किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा विवरण या सूचना या दस्तावेज देने में असफल रहने के लिए शास्ति के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

इसमें यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 9क की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित कोई विवरण या कोई सूचना या दस्तावेज देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे विवरण या सूचना और दस्तावेज उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर देने में असफल रहता है तो उक्त उपधारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी निधि, शास्ति के रूप में, पांच लाख रुपए का संदाय करेगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 72,** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271छक, जो धारा 285क के अधीन सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति के संबंध में है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि कोई भारतीय समुत्थान, जिससे प्रस्तावित धारा 285क के अधीन कोई सूचना या दस्तावेज देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसा आय-कर प्राधिकारी, जो उक्त धारा 285क के अधीन विहित किया जाए, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा भारतीय समुत्थान,—

(i) ऐसे संव्यवहार के, जिसके संबंध में ऐसी असफलता हुई है, मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की राशि का, यदि ऐसे संव्यवहार का प्रभाव भारतीय समुत्थान के संबंध में प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरित करने का है;

(ii) किसी अन्य मामले में पांच लाख रुपए की राशि का,

शास्ति के रूप में, संदाय करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 73,** आय-कर अधिनियम में धारा 195 के अधीन जानकारी देने में असफलता या गलत सूचना देने के लिए शास्ति से संबंधित एक नई धारा 271झ अंतःस्थापित करने के लिए है ।

अधिनियम में एक नई धारा 271झ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा धारा 195 की

उपधारा (6) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, अपेक्षित जानकारी देने में असफल रहता है ; या गलत जानकारी देता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में एक लाख रुपए की राशि का संदाय करे ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 74,** आय-कर अधिनियम की धारा 272क का, जो प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने आदि में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया खंड (ड) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति कोई विवरण ऐसे समय के भीतर जो धारा 200 की उपधारा (2क) या धारा 206ग की उपधारा (3क) के अधीन विहित किया जाए, परिदत्त करने या कराने में असफल रहता है तो वह शास्ति के रूप में, ऐसे व्यतिक्रम के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के पहले परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 200 की उपधारा (2क) के अधीन या धारा 206ग की उपधारा (3क) के अधीन विवरण फाइल करने में असफलता के लिए शास्ति की रकम, यथास्थिति, कटौती कर योग्य या संग्रहणीय कर की रकम से अधिक नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 75,** आय-कर अधिनियम की धारा 273ख का, जो कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित न किए जाने से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

यह धारा, उक्त धारा में प्रगणित आय-कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण न किए जाने का उपबंध है, यदि निर्धारिती, उस असफलता के लिए, जिसके लिए शास्ति उद्ग्रहणीय है, युक्तियुक्त कारण विद्यमान होने के तथ्य को दर्शित करने में समर्थ है ।

किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा विवरण या सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित नई धारा 271चकक सम्मिलित करने के लिए पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है।

धारा 285क के अधीन सूचना या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित प्रस्तावित नई धारा 271छक का निर्देश सम्मिलित करने के लिए, उक्त धारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन किया जाना इसलिए भी प्रस्तावित है जिससे अंतःस्थापित नई धारा 271झ का निर्देश अन्तःस्थापित किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 76,** कतिपय मामलों में भारतीय समुत्थान द्वारा सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित एक नई धारा 285क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में कोई शेयर या हित, सारतः अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में यथा निर्दिष्ट भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न करती है और, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या इकाई किसी भारतीय समुत्थान में या उसके माध्यम से ऐसी आस्तियां धारित करती है, वहां ऐसा भारतीय समुत्थान, धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी सुसंगत सूचना या दस्तावेज विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित अवधि के भीतर, ऐसी रीति और प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस निमित्त विहित की जाए ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 77**, आय-कर अधिनियम की धारा 288 का, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के नीचे का विद्यमान स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि इस धारा में "लेखापाल" से चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के अर्थ में चार्टर्ड अकाउन्टेंट अभिप्रेत है और किसी राज्य के संबंध में इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है ।

उक्त स्पष्टीकरण को यह उपबंधित करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि "लेखापाल" पद से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जिसके पास उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का एक विधिमान्य प्रमाणपत्र हो । यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि लेखापाल में निम्नलिखित व्यक्ति [उपधारा (1) में निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनों के सिवाय] सम्मिलित नहीं है,—

(क) ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो कोई कंपनी हो, व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उक्त कंपनी में संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है; या

(ख) किसी अन्य मामले में, (i) स्वयं निर्धारिती या निर्धारिती की दशा में, जो कोई फर्म, व्यक्तियों का संगम या अविभक्त हिंदू कुटुंब हो, फर्म का कोई भागीदार, संगम या कुटुंब का सदस्य; (ii) निर्धारिती की दशा में, जो कोई न्यास या संस्था हो, धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (गग) में निर्दिष्ट व्यक्ति; (iii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, व्यक्ति जो धारा 140 के उपबंधों के अनुसार धारा 139 के अधीन विवरणियां सत्यापित करने के लिए सक्षम हो; (iv) उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी का कोई नातेदार; (v) निर्धारिती का कोई अधिकारी या कर्मचारी; (vi) कोई व्यष्टि, जो भागीदार हो या जो निर्धारिती के नियोजन में हो या उसका कोई अधिकारी या कर्मचारी; (vii) कोई व्यष्टि या उसके नातेदार या भागीदार जिसकी निर्धारिती में प्रतिभूति या हित हो । यह भी उपबंध किया गया है कि नातेदार निर्धारिती में ऐसे अंकित मूल्य की प्रतिभूति या हित धारित कर सकेगा जो एक लाख रुपए से अधिक न हो; कोई व्यष्टि या उसका नातेदार या भागीदार जो निर्धारिती का ऋणी हो, यह भी उपबंध किया गया है कि नातेदार, निर्धारिती का ऐसी रकम के लिए ऋणी हो सकेगा जो एक लाख रुपए से अधिक न हो; कोई व्यक्ति, उसका नातेदार या भागीदार जिसने किसी अन्य व्यक्ति के ऋण के लिए निर्धारिती को गारंटी दी हो या प्रतिभूति उपलब्ध कराई हो । यह भी उपबंध किया गया है कि नातेदार किसी अन्य व्यक्ति के ऋण के लिए निर्धारिती को ऐसी रकम के लिए गारंटी दे सकेगा या प्रतिभूति उपलब्ध करा सकेगा जो एक लाख रुपए से अधिक न हो; (viii) कोई व्यक्ति, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निर्धारिती के साथ ऐसी प्रकृति का कारबारी संबंध रखता हो, जो विहित किया जाए; (ix) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें कपट अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का भी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें कपट अंतर्वलित है, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए दोषसिद्धि की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अर्ह होगा ।

उक्त धारा के अंत में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यष्टि के संबंध में "नातेदार " से अभिप्रेत है (क) व्यष्टि की पत्नी या पति; (ख) व्यष्टि का भाई या बहिन; (ग) व्यष्टि की पत्नी या पति का भाई या बहिन; (घ) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज; (ङ) व्यष्टि की पत्नि या पति का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज; (च) खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की पत्नी या पति; (छ) व्यष्टि या व्यष्टि के पति या पत्नी के भाई अथवा बहिन का कोई पारंपरिक वंशज ।

ये संशोधन, 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 78,** आय-कर अधिनियम की धारा 295 का, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नियम बना सकेगा । उक्त धारा की उपधारा (2) में विभिन्न मामले विनिर्दिष्ट हैं जिनके संबंध में ऐसे नियमों में उपबंध किया जा सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा ।

धन-कर

विधेयक का **खंड 79,** धन-कर अधिनियम की धारा 3 का, जो धन-कर के प्रभारण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब या कंपनी के शुद्ध धन के संबंध में धन-कर 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कराधेय शुद्ध धन की रकम के एक प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाता है ।

उक्त उपधारा (2) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धन-कर 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 80,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि—

(i) यह उपबंध करने के लिए उसकी उपधारा (2) में एक परन्तुक अंतःस्थापित किया जा सके कि जहां खंड (क) के अधीन सूचना की तामील की गई है और उचित अधिकारी की यह राय है कि यथास्थिति, धारा 28कक के अधीन उद्ग्रहणीय ब्याज के साथ शुल्क की रकम या सूचना में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज की रकम का सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर पूर्णतया संदाय कर दिया गया है, वहां कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी और ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनको उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उक्त सूचना की तामील की गई है, कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ;

(ii) उसकी उपधारा (5) में निर्दिष्ट शुल्क के "पच्चीस प्रतिशत" के स्थान पर, "पंद्रह प्रतिशत" की शास्ति अधिरोपित की जा सके ;

(iii) उसके स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् एक स्पष्टीकरण यह घोषित करने के लिए अंतःस्थापित किया जा सके कि अनुद्ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूलवश प्रतिदांय के किसी मामले के संबंध में, जहां हेतुक दर्शित करने संबंधी सूचना, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन जारी की गई है किन्तु उपधारा (8) के अधीन शुल्क का अवधारण करने संबंधी आदेश उस तारीख के पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पारित नहीं किया गया है, कार्यवाहियां धारा 135, धारा 135क और धारा 140 के उपबंधों पर, जैसे लागू हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि, यथास्थिति, उपधारा (2) के परंतुक या उपधारा (5) के अधीन शुल्क, ब्याज और शास्ति को उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन के भीतर पूर्णतः संदत्त कर दिया जाता है ।

विधेयक का **खंड 81,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसके खंड (ख) के उपखंड (ii) को ऐसे शुल्क के, जिसका अपवंचन करने का प्रयास किया गया है, दस प्रतिशत से अनधिक या पांच हजार रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो, की शास्ति को विनिर्दिष्ट करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके । यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि जहां धारा 28 की उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित ऐसा शुल्क और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसे शुल्क का अवधारण करने वाले उचित अधिकारी के आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, वहां इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत होगी ।

विधेयक का **खंड 82,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसके खंड (ii) को ऐसे शुल्क के, जिसका अपवंचन करने का प्रयास किया गया है, दस प्रतिशत से अनधिक या पांच हजार रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो, की शास्ति को विनिर्दिष्ट करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके । यह खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि जहां धारा 28 की उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित ऐसा शुल्क और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसे शुल्क का अवधारण करने वाले उचित अधिकारी के आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, वहां इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत होगी ।

विधेयक का **खंड 83,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उसमें से "यथास्थिति, किसी अपील या पुनरीक्षण में" शब्दों का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 84,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (1क) का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 85,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (6) का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 86,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ङ का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 87,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ज का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उसके स्पष्टीकरण का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 88,** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय शब्दों का लोप किया जा सके ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 89,** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 27, अध्याय 72, अध्याय 73 और अध्याय 87 का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें विनिर्दिष्ट टैरिफ मदों की बाबत टैरिफ दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

विधेयक का **खंड 90,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क का, उसमें स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए " कारक" शब्द के अंतर्गत "कारकों" को सम्मिलित किया जाए ।

विधेयक का **खंड 91,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क का संशोधन करने के लिए, जिससे,—

(i) उसकी उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) का लोप किया जा सके;

(ii) उपधारा (7क), उपधारा (8) और उपधारा (11) के खंड (ख) में आने वाले "या उपधारा (5)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जा सके,

(iii) उसके स्पष्टीकरण का संशोधन किया जा सके;

(iv) उसमें नई उपधारा (16) को यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया जा सके कि इस धारा के उपबंध उन मामलों को लागू नहीं होंगे जिनमें ऐसे शुल्क के दायित्व का, जिसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है, स्वतः निर्धारण किया गया है और निर्धारिती द्वारा फाइल की गई कालिक विवरणियों में उसके द्वारा संदेय शुल्क के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे मामलों में शुल्क के असंदाय या कम संदाय की वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(v) उसके स्पष्टीकरण 2 का प्रतिस्थापन यह उपबंध करने के लिए किया जा सके कि कोई अनुद्ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूलवश प्रतिदाय, जहां उस तारीख से पहले, जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, कोई हेतुक दर्शित करने संबंधी सूचना जारी नहीं की गई है, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 11क के उपबंधों द्वारा शासित होंगे;

विधेयक का **खंड 92**, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग के स्थान पर, नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे उसमें अंतर्विष्ट शास्तिक उपबंधों को सुव्यवस्थित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 93,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उसके खंड (ग) के परंतुक में आने वाले "यथास्थिति, किसी अपील या पुनरीक्षण में" शब्दों का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 94,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (3) के परंतुक का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 95,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ख का संशोधन करने के लिए है जिससे "यथास्थिति, उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से ऐसा कोई उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "सदस्य" शब्द रखा जा सके ।

विधेयक का **खंड 96,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (1क) का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 97,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उसमें से कतिपय शब्दों का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 98,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ज का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 99,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ट की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 100,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उसमें से कतिपय शब्दों का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 101,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) और उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है, जिससे "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जा सकें ।

विधेयक का **खंड 102,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी रूप से उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संशोधन करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 103,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से अंतःस्थापन और संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें कतिपय प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जा सकें ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 104,** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है, जिससे टैरिफ मदों की बाबत कतिपय टैरिफ दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ।

सेवा कर

विधेयक का **खंड 105,** अधिनियम, 1994 की धारा 65ख का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार अधिनियम द्वारा नियत करे । कतिपय खंड अन्तःस्थापित, कतिपय परिभाषाओं की परिधि को उपान्तरित या स्पष्ट और —

(क) खंड (9), खंड (24) और खंड (49) का लोप;

(ख) खंड (40) में कतिपय शब्दों का लोप,

किया जा सके।

खंड 106, अधिनियम, 1994 की धारा 66ख का संशोधन करने के लिए है, जिससे सेवा कर की दर को बारह प्रतिशत से बढ़ाकर चौदह प्रतिशत किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 107,** अधिनियम, 1994 की धारा 66घ का संशोधन करने के लिए है, जिससे नकारात्मक सूची की सेवाओं की परिधि को उपांतरित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 108,** अधिनियम, 1994 की धारा 66च की उपधारा (1) में एक दृष्टांत अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे दृष्टांत द्वारा उस उपधारा की परिधि को स्पष्ट किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 109**, अधिनियम, 1994 की धारा 67 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "प्रतिफल" पद का क्षेत्र व्यापक करने के लिए स्पष्टीकरण के खंड (क) का प्रतिस्थापन किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 110,** अधिनियम, 1994 की धारा 73 का संशोधन करने के लिए है, जिससे,—

(क) यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित की जा सके कि उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील किए बिना विवरणी में घोषित, किंतु असंदत्त स्वतः निर्धारण सेवा कर की धारा 87 के अधीन वसूली की जा सकेगी ।

(ख) उपधारा (4क) का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 111,** सेवा कर के संदाय के अपवंचन के आशय से कपट, दुरभिसंधि, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन, तथ्यों को छिपाने, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के कारणों से भिन्न मामलों में सेवा कर का संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित अधिनियम, 1994 की धारा 76 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 112,** सेवा कर के संदाय के अपवंचन के आशय से कपट, दुरभिसंधि, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन, तथ्यों को छिपाने या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के कारण सेवा कर के संदाय में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित अधिनियम, 1994 की धारा 78 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 113**, अधिनियम, 1994 में एक नई धारा 78ख अन्तःस्थापित करने के लिए है जिससे संशोधित धारा 76 और धारा 78 की बाबत अस्थायी उपबंधों का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 114,** अधिनियम, 1994 की धारा 80 का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 115,** अधिनियम, 1994 की धारा 86 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध करने के लिए उसमें एक परन्तुक अन्तःस्थापित किया जा सके कि इसके अधीन विनिर्दिष्ट मामलों में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङङ के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विधेयक का **खंड 116,** अधिनियम, 1994 की धारा 94 का, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें खंड (कक) को प्रतिस्थापित किया जा सके ।

स्वच्छ भारत उपकर

विधेयक का **खंड 117,** इस विधेयक में एक नया अध्याय 6 अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे स्वच्छ भारत की गतिविधियों को और उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के वित्तपोषण और संवर्धन हेतु संघ के प्रयोजनों के लिए सभी या किन्हीं कराधेय सेवाओं पर सेवा कर के रूप में स्वच्छ भारत उपकर के नाम से ज्ञात उपकर का उद्ग्रहण किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 118** से **खंड 142** वित्त विधेयक, 2015 में एक नया अध्याय, जो लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त अध्याय में निम्नलिखित का प्रस्ताव है—

(क) केंद्रीय सरकार को इस दृष्टि से लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण नामक एक अभिकरण की स्थापना करने के लिए सशक्त बनाना, केंद्रीय सरकार के साधारण अधीक्षण के अधीन इस भाग में यथा उपबंधित सभी समयों पर स्वीकार्य जोखिम स्तर के भीतर दीर्घावधि के लिए लोक ऋण जुटाने और उस संबंध में सेवा उपलब्ध कराने की लागत को कम करने का है ।

(ख) यह उपबंध करना कि अभिकरण के कामकाज और कार्य का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध बोर्ड में निहित होगा जो उतने कार्यपालक और नामनिर्देशिती सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

(ग) अभिकरण के कृत्यों को विनिर्दिष्ट करना, जिनमें निम्नलिखित आएंगे,—

(क) लोक ऋण, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा इस अध्याय के अधीन भिन्न रूप में उधार लेना भी है, के बारे में सूचना संगृहीत करना और उसका प्रकाशन करना ;

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में क्रय करना, पुनःनिर्गमित करना और लेन-देन करना ; और

(ग) ऐसे अन्य संव्यवहार करना, जो लोक ऋण के प्रबंधन के लिए अपेक्षित हों ।

(घ) यह उपबंध करना कि केन्द्रीय सरकार अभिकरण को सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन का कार्य सौंपेगी;

(ङ) यह उपबंध करना कि अभिकरण सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के निबन्धनों के अनुसार संदाय करने का उत्तरदायी होगा;

(च) समय-समय पर प्राधिकरण को निदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना;

(छ) अभिकरण को कर के संदाय से छूट प्रदान करना।

विधेयक का खंड **143 से खंड 150** एक नए अध्याय 8 को, जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 143**, उक्त अध्याय के विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

विधेयक का **खंड 144,** कतिपय शब्दों और पदों को परिभाषित करता है ।

विधेयक का **खंड 145,** "वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि" नामक एक निधि की स्थापना का उपबंध करता है ।

विधेयक का **खंड 146,** उक्त निधि के प्रशासन के लिए एक समिति के गठन का उपबंध करता है ।

विधेयक का **खंड 147,** अदावाकृत रकम की बाबत दावों के संदाय से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 148,** संस्थाओं द्वारा अदावाकृत रकम की बाबत सूचना के प्रकाशन से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 149,** यह उपबंध करता है कि यदि ऐसे अदावाकृत रकम की बाबत पच्चीस वर्ष की अवधि के भीतर कोई अनुरोध नहीं किया जाता है तो वह केंद्रीय सरकार की राजगामी संपत्ति हो जाएगी ।

विधेयक का **खंड 150,** निधि के लेखाओं और संपरीक्षा से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 151,** केंद्रीय सरकार को नियम बनाने और उन्हें संसद् के दोनों सदनों में रखे जाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का **खंड 152** से **153** कतिपय मामलों में केंद्रीय सरकार की छूट देने की शक्ति और उक्त अध्याय को कार्यान्वित करने के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 154,** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है । उक्त अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध करने के लिए एक परंतुक

अंतःस्थापित किया जा सके कि रिजर्व बैंक उक्त धारा की उपधारा (11) के खंड (ङ) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट कृत्य कर सकेगा, यदि, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन एक अधिसूचना जारी कर के लोक ऋण के प्रबंध और केंद्रीय सरकार के बंधपत्रों और डिबेंचरों को जारी करने और प्रबंध करने के कार्य बैंक को न्यस्त कर देती है ।

विधेयक के **खंड 155 से खंड 157** में अधिनियम की धारा 21, धारा 24, धारा 39, धारा 45प और धारा 45ब का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 158,** अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है । उक्त अधिनियम के संशोधन द्वारा इसमें मान्यताप्राप्त संगमों की व्यावृत्ति से संबंधित एक नई धारा 28क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 159,** एक नई धारा 29क, जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम के निरसन और कतिपय उपबंधों की व्यावृत्ति से संबंधित है, अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । आगे एक नई धारा 29ख, जो आयोग के उपक्रम के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में अंतरण और निहित होने से संबंधित है, अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । उक्त संशोधन "लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण" का नया अध्याय अंतःस्थापित करने की दृष्टि से पारिणामिक है ।

विधेयक का **खंड 160,** प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है । उक्त अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा में कतिपय परिभाषाओं का संशोधन किया जा सके और नई परिभाषाओं जैसे "माल" "वस्तु व्युत्पन्न", "अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा", "विनिर्दिष्ट परिदान संविदा" आदि को अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक **खंड 161,** प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में व्युत्पन्नों में संविदाओं से संबंधित धारा 18क के संशोधन के लिए है जिससे केन्द्रीय सरकार को व्युत्पन्नों में ऐसी संविदाएं अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।

विधेयक का **खंड 162,** एक नई धारा 30क को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो वस्तु व्युत्पन्नों की बाबत विशेष उपबंधों के संबंध में है । ये संशोधन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 से संबंधित हैं जो वायदा बाजार आयोग और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के विलयन का उपबंध करते हैं और नए अध्याय 7 "लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण" के अंतःस्थापन की दृष्टि से पारिणामिक है ।

खंड 163, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दरों को दो रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर आठ रुपए प्रति लीटर किया जा सके ।

खंड 164, वित्त अधिनियम, 1999 की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दरों को दो रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर आठ रुपए प्रति लीटर किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 165,** विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है । अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक के परामर्श से पूंजीगत लेखा संव्यवहार के, जिसमें ऋण लिखतें जो अनुज्ञेय हैं; अंतर्वलित नहीं हैं, किसी वर्ग या वर्गों को, वह सीमा जिस तक विदेशी मुद्रा ऐसे संव्यवहारों के लिए अनुज्ञेय होंगी; और कोई अन्य शर्तें जो ऐसे संव्यवहारों में रखी जा सकेंगी, विहित कर सकेगी । उक्त धारा में एक नई उपधारा (7) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंधित है कि "ऋण लिखतों" पद से ऐसी लिखतें अभिप्रेत हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से अवधारित की जाएं ।

विधेयक का **खंड 166** से **खंड 170,** उक्त अधिनियम, की धारा 18, धारा 34, धारा 46 और धारा 47 में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है । उक्त संशोधन, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संशोधन का उपबंध करने के लिए भाग 7 के प्रति पारिणामिक है ।

विधेयक का **खंड 171,** धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2, जो परिभाषाओं से संबंधित है, की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है। उपखंड (i), खंड (प) में, "या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य" शब्दों के पश्चात् "या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली जाती है या धारित की जाती है, वहां देश के भीतर धारित सममूल्य की संपत्ति" शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है। उपखंड (ii) खंड (म) में, उपखंड (ii) में, "तीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक करोड़ रुपए" शब्द रखने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 172,** अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का संशोधन करने के लिए है जिससे "खंड (ख)" के निर्देश के स्थान पर "पहला परंतुक" का निर्देश प्रतिस्थापित किया जा सके और उक्त संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

विधेयक का **खंड 173,** अधिनियम की धारा 8, जो न्यायनिर्णयन से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है । उपखंड (i) उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ख) में आने वाले "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "विशेष न्यायालय" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए है । उपखंड (ii) अधिनियम की धारा 8 का उसमें उपधारा (8) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने के लिए है जिससे अधिहृत संपत्ति, विशेष न्यायालय के निदेशों पर विधिसम्मत विधिक हित के साथ ऐसे दावाकर्ताओं को जिन्हें धन-शोधन के अपराधों के परिणामस्वरूप अत्यधिक हानि हुई है, प्रत्यावर्तित किए जाने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 174,** अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है । यह खंड उक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है जिससे "यथास्थिति, न्यायालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय" शब्द रखे जा सकें । उपखंड (ii), उपधारा (6) में उपांतरण करने के लिए है जिसमें "न्यायालय" के बजाय "विशेष न्यायालय" निर्देश किया गया है और उपधारा (6), स्पष्ट रूप से उस तारीख को विनिर्दिष्ट करने के लिए है जिससे नब्बे दिन की अवधि, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशालय संपत्ति या अभिलेख के निर्मोचन को धारा 20 के अधीन प्रतिधारित कर सकेगा, की संगणना की जाएगी, "की प्राप्ति की" पद अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 175,** अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है । धारा 21 की उपधारा (5), धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन अधिहरण के आदेश के संबंध में है किंतु उसमें उन मामलों को नहीं लिया गया है जहां विशेष न्यायालय उक्त धारा 8 की उपधारा (6) या धारा 58ख के अधीन निर्मोचन का आदेश या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन अधिहरण का आदेश किया जाता है । इस प्रकार उपखंड (i) "धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन" शब्दों के स्थान पर, "धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (6) या उपधारा (7) या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन अधिहरण या निर्मोचन" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखने के लिए है । उपखंड (ii) "धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन न्यायालय द्वारा या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "न्यायालय द्वारा या धारा 21 की उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा" शब्द, अंक और कोष्ठक रखने के लिए है और उपधारा (6), स्पष्ट रूप से उस तारीख को विनिर्दिष्ट करने के लिए है जिससे नब्बे दिन की

अवधि, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशालय संपत्ति या अभिलेख के निर्मोचन को धारा 20 के अधीन प्रतिधारित कर सकेगा, की संगणना की जाएगी, "की प्राप्ति की" पद अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 176,** अधिनियम की धारा 60 का, जो संविदाकारी राज्य या भारत में संपत्ति की कुर्की, अधिहरण आदि के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है । अधिहरण की शक्ति विशेष न्यायालय में निहित है न कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी में, जैसा कि धारा 60 की उपधारा (2क) में वर्णित है । इस प्रकार यह खंड "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "विशेष न्यायालय" शब्द रखने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 177,** अधिनियम की अनुसूची का संशोधन करने के लिए है । यह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 को, प्रतिपादित अपराध के रूप में भाग ख के पैरा 1 के रूप में अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 178,** राज वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए जिससे उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि को 2015 से बढ़ाकर 2018 किया जाए ।

विधेयक का **खंड 179,** वित्त अधिनियम (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 95 का लोप ऐसी तारीख से करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

विधेयक का **खंड 180,** उक्त अधिनियम की धारा 97 में नया खंड (5कक) अन्तःस्थापित करने के लिए है । यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार के अंतर्गत किसी कारबार न्यास की असूचीबद्ध यूनिटों का, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफल स्वरूप अर्जित की गई थीं, ऐसी यूनिट जनसाधारण को विक्रय के लिए ऐसी किसी प्रस्थापना के अधीन, जो किसी आरंभिक लोक प्रस्थापना में सम्मिलित हैं और जहां ऐसी यूनिटें बाद में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की जाती हैं, विक्रय भी सम्मिलित होगा ।

विधेयक का **खंड 181,** धारा 98 के अधीन दी गई सारणी का संशोधन करने के लिए है । जिसमें ऐसी दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा । जिससे 0.2 प्रतिशत की दर पर ऐसे प्रतिभूति संव्यवहार कर का उपबंध किया जा सके, जो किसी आरंभिक प्रस्थापना के अधीन किसी कारबार न्यास की असूचीबद्ध यूनिटों के विक्रय पर विक्रेता द्वारा संदेय होगा ।

विधेयक का **खंड 182,** में 2004 के उक्त अधिनियम की धारा 100 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,—

(क) किसी आरंभिक प्रस्थापना की बाबत कारबार न्यास द्वारा नियुक्त प्रमुख वाणिज्यिक बैंककार, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो धारा 97 के खंड (13) के उपखंड (कख) में निर्दिष्ट किन्हीं कराधेय प्रतिभूतियों का संव्यवहार करता है, धारा 98 में विनिर्दिष्ट दर से प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा ; और

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, धारा 97 के खंड (13) के उपखंड (कख) में निर्दिष्ट कोई कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार, जो धारा 98 में विनिर्दिष्ट दर पर, करता है, किसी कलेंडर मास के दौरान संगृहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर, प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा या आरंभिक प्रस्थापना की दशा में, प्रमुख वाणिज्यिक बैंककार द्वारा, केंद्रीय सरकार के खाते में उक्त कलेंडर मास के ठीक बाद के मास के सातवें दिन तक जमा किया जाएगा ।

विधेयक के **खंड 183,** में 2004 के उक्त अधिनियम की धारा 101 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि प्रत्येक स्टाक एक्सचेंज या किसी आरंभिक प्रस्थापना की दशा में, प्रमुख वाणिज्यिक बैंककार द्वारा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, उस स्टाक एक्सचेंज में उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में, ऐसे प्ररूप में और उसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और उसे निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

खंड 184, वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे उपशीर्ष 2202 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 185,** सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है । उक्त अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नई धारा 34क, जो लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण में संक्रमित बैंक की शक्ति से संबंधित है, अंतःस्थापित की जा सके ।

विधेयक का **खंड 186**, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में नई धारा 35क, जो उक्त अधिनियम का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को निरसन करने और कतिपय उपबंधों की व्यावृत्ति से संबंधित है, अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । उक्त संशोधन, नया अध्याय "लोक ऋण प्रबंधन अधिकरण" के अंतःस्थापन को ध्यान में रखते हुए पारिणामिक संशोधन हैं ।

विधेयक का **खंड 187,** वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है जिससे कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को ऐसी तारीख से वापस लिया जा सके जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

विधेयक का **खंड 188,** वित्त अधिनियम, 2010 की दसवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर की दर को "100 रुपए प्रति टन" से बढ़ाकर "300 रुपए प्रति टन" किया जा सके ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4, आय-कर अधिनियम की धारा 6, जो भारत में निवास से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन, उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यष्टि की दशा में जो भारत का नागरिक है और भारत से विदेश को जाने वाले पोत के कर्मीदल का सदस्य है, ऐसी समुद्र यात्रा के संबंध में, भारत में रहने की कालावधि या कालावधियां ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन अवधारित की जाएंगी, जो विहित की जाएं ।

विधेयक का खंड 5, आय-कर अधिनियम की धारा 9 का, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसे मामले में जहां उक्त धारा के स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट कंपनी या इकाई के स्वामित्वाधीन सभी आस्तियां भारत में स्थित नहीं हैं तो आय के केवल ऐसा भाग भारत में प्रोद्भूत और उद्भूत होगा जो युक्तियुक्त रूप से भारत में स्थित आस्तियों के फलस्वरूप है और ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा जो विहित की जाए ।

विधेयक का खंड 6, भारत में कारबार संबंध गठित न करने वाले कतिपय क्रियाकलापों से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 9क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 9क की उपधारा (5) आय-कर प्राधिकारी को विहित प्ररूप में एक विवरण, जिसमें इस धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी और ऐसी अन्य सुसंगत सूचना या दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, देने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 8, आय-कर अधिनियम की धारा 11 का, जो पूर्त और धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि न्यास या संस्था उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग ऐसे प्ररूप और रीति में करेगी, जो विहित की जाए ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए भी है कि न्यास या संस्थाएं धारा 11 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए विहित प्ररूप और रीति में विवरण देंगे ।

विधेयक का खंड 12, आय-कर अधिनियम की धारा 35 का, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2कख) के खंड (3) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि कोई भी कंपनी उपधारा (2कख) के खंड (1) के अधीन कटौती के लिए तब तक हकदार नहीं होगी जब तक कि वह ऐसे अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए करार नहीं करती है तथा लेखाओं के रखे जाने और उनकी संपरीक्षा के लिए विहित शर्तों को पूरा नहीं करती है और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रिपोर्ट नहीं देती है ।

विधेयक का खंड 20, आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख का, जो चिकित्सा उपचार आदि की बाबत कटौती से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

धारा 80घघख के पहले परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती किसी तंत्रिका विज्ञानी, किसी अर्बुद विज्ञानी, किसी मूत्र रोग विज्ञानी, किसी रुधिर विज्ञानी, किसी प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ से, जो विहित किया जाए, ऐसे चिकित्सा उपचार की चिकित्सा पर्ची की प्रति अभिप्राप्त नहीं कर लेता है ।

विधेयक का खंड 32, आय-कर अधिनियम की धारा 115पख, जो कतिपय मामलों में आय पर कर से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (7) में यह उपबंध है कि उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को एक विवरण विहित प्ररूप में ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे देते हुए, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 40, आय-कर अधिनियम की धारा 192 का, जो वेतन से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में उपधारा (2घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, निर्धारिती की आय का प्राक्कलन करने या उसमें उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती से विहित दावों का (जिसके अंतर्गत हानि को मुजरा करने का दावा भी है) साक्ष्य या सबूत या विशिष्टियां अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में अभिप्राप्त करेगा, जो विहित किए जाएं ।

विधेयक का खंड 48, आय-कर अधिनियम की धारा 195 का, जो अन्य राशियों से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (6) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि, चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या न हो, का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए ।

विधेयक का खंड 50, आय-कर अधिनियम की धारा 200 का, जो कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई राशि या धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कर, कोई चालान पेश किए बिना, केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चैक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो ऐसी राशि या कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित, ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते

हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक विवरण परिदत्त करेगा या कराएगा ।

विधेयक का खंड 53, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग, जो एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में उपधारा (3क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां उपधारा (1) या उपधारा (1ग) या उपधारा (1घ) के अधीन संगृहीत रकम का चालान पेश किए बिना, केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो ऐसा कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित रूप में एक विवरण, उसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, परिदत्त करेगा या कराएगा ।

विधेयक का खंड 76, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285क, जो कतिपय मामलों में किसी भारतीय समुत्थान द्वारा सूचना या दस्तावेज देने से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में कोई शेयर या हित, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राप्त किया जाए, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में यथा विनिर्दिष्ट भारत में अवस्थित आस्तियों से सारतः इसका मूल्य और, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या इकाई भारत में किसी समुत्थान में या माध्यम से ऐसी आस्तियां प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्युत्पन्न करती हैं, वहां ऐसा भारतीय समुत्थान, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना या दस्तावेज विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित अवधि के भीतर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 77, आय-कर अधिनियम की धारा 288 का, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण को यह उपबंधित करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे "लेखापाल" पद को परिभाषित किया जा सके । प्रस्तावित परिभाषा में उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (viii) द्वारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि किसी निर्धारिती की दशा में जो कोई कंपनी नहीं है, कोई व्यक्ति निर्धारिती के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी प्रकृति के कारबार संबंध रखता है जो विहित किए जाएं, धारा 288 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन के सिवाय लेखापाल होने के रूप में अर्हित नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 78, आय-कर अधिनियम की धारा 295 का, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, नियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय आय-कर में से, किसी देश या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी आय-कर से, धारा 90 या धारा 90क या धारा 91 के अधीन, यथास्थिति, राहत देने या उसकी कटौती करने की प्रक्रिया का उपबंध कर सकेगा ।

अप्रत्यक्ष कर

विधेयक का खंड 91, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क के संशोधन के साथ-साथ उसमें एक नई उपधारा (16) अंतःस्थापित करने के लिए है । उक्त उपधारा (16) केंद्रीय सरकार को शुल्क के असंदाय या कम संदाय की वसूली की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 109, 1994 के अधिनियम के स्पष्टीकरण के खंड (क) को प्रतिस्थापित करने के लिए उसकी धारा 67 का संशोधन करने के लिए है जिससे "प्रतिफल" पद के क्षेत्र का विस्तार किया जा सके । उक्त खंड (क) का उपखंड (ii) केंद्रीय सरकार को ऐसी परिस्थितियों और शर्तों का उपबंध करने के लिए, जिनमें "प्रतिफल" पद के अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा उपगत कोई भी प्रतिपूर्ति योग्य व्यय या लागत और प्रभारित नहीं होंगे नियम बनाने के लिए है, सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 118, लोक ऋण प्रबंधन अधिकरण की स्थापना के संबंध में एक नए अध्याय 7 को अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 138, केंद्रीय सरकार को उक्त अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 143, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की स्थापना के संबंध में एक नया अध्याय 8 अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 151, केंद्रीय सरकार को उक्त अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

ऐसे विषय जिनकी बाबत विधेयक के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना जारी की जाएं या नियम बनाए जाएं, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनका उपबंध विधेयक में ही करना व्यवहार्य नहीं है ।

अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
24 फरवरी, 2015 **अरुण जेटली**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली, के लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 24 फरवरी, 2015 के पत्र सं० एफ० 2(6)-बी०(डी०)/2015 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2015 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करते हैं ।

2. यह विधेयक लोक सभा में 28 फरवरी, 2015 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा ।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

[श्री अरुण जेटली,
वित्त मंत्री]